ISSN No 2347-7075
Impact Factor- 7.328
Volume-4 Issue-22

INTERNATIONAL JOURNAL of ADVANCE and APPLIED RESEARCH

Publisher: P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association
Kolhapur(M.S), India

Young Researcher Association

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.4 Issue-22 May-June - 2023

International journal of advance and applied research (IJAAR)

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

Volume-4 *Issue-22*

Chief Editor
P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde	**Dr. M. B. Potdar**	**Dr. P. K. Pandey**
Dr. L. R. Rathod	Mr. V. P. Dhulap	Dr. A. G. Koppad
Dr. S. B. Abhang	Dr. S. P. Mali	Dr. G. B. Kalyanshetti
Dr. M. H. Lohgaonkar	Dr. R. D. Bodare	Dr. D. T. Bornare

Published by: Young Researcher Association, Kolhapur, Maharashtra, India

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.4 Issue-22 May-June 2023

CONTENTS

Sr No	Paper Title	Page No.
1	'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' और बुनकर समाज **डॉ नवनीत कुमार राय**	1-2
2	विद्यालय संसाधन का शिक्षा पर प्रभावः एक अध्ययन **डॉ. रोमिला टेटे**	3-5
3	रायगड जिल्हयातील आदिवासी कातकरी समाज समस्या **प्रा. डॉ. एस. एल. म्हात्रे**	6-8
4	डॉ. रखमाबाई राऊत (१८६४-१९५५) – व्यक्ती, कार्य आणि कर्तृत्व **सतीश पाटीलबा चव्हाण, प्रा. डॉ. सुरेश सं. माळशिखरे**	9-11
5	पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य **अश्विनी भाऊरावजी चौधरी**	12-14
6	कोरोना काल के दौरान संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का महिलाओं पर प्रभाव— उ०प्र० के श्रावस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में **वेद प्रकाश द्विवेदी**	15-17
7	'राज्यपाल हा नामधारी की खरा सत्ताधीश?' **प्रा.डॉ.शिंदे शाम भागवत**	18-21
8	महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: (घरेलू हिंसा के विशेष संदर्भ मे) एक अध्ययन। **Dr. Poornima Devendra Bairagi**	22-25
9	वर्तमान राजनीति में राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका **अजय कुमार ओझा**	26-29
10	"वर्तमान परंपरागत ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" **प्रोफेसर, आलोक कुमार ,संदीप निमेष**	30-35
11	"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्वीकार्यताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण" **प्रोफेसर आलोक कुमार, सौरभ चौधरी**	36-43
12	"भारतीय किसान सम्मान निधि योजना की दशा एवं दिशा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" **प्रो० आलोक कुमार, सौरभ चौधरी**	44-47
13	प्राचीन खानदेशातील ताम्रपट : एक चिकित्सक अभ्यास **डॉ. सरतापे हनुमंत भारत**	48-49
14	हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य संघर्ष आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ **प्रा.डॉ. कांबळे शिवाजी ईरबा**	50-54
15	झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की स्थिति का अध्ययन : भोपाल नगर के संदर्भ में **नमिता सेन, प्रो. विजय कुमार सिंह**	55-60
16	भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंध **Dr. Sanjay Mishra, Pradeep Tripathi**	61-63

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' और बुनकर समाज

डॉ नवनीत कुमार राय
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर , हिन्दी विभाग ,वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
Corresponding Author- डॉ नवनीत कुमार राय
Email- navneet.rai34@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8134847

अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' हिन्दी उपन्यास की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।1986 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास बुनकर समाज के ताने-बाने को उसकी संपूर्णता के साथ उजागर करता है। किसी भी रचना की सफलता का एक मानदंड उसका पठनीय, सार्थक और प्रभावपूर्ण होना है।अब्दुल बिस्मिल्लाह की यह कृति इस मानदंड पर पूरी तरह खरी उतरती है।यह पाठक को निराश नहीं करती। एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' बुनकर समाज की ज्वलंत समस्याओं से पाठक को रूबरू कराती है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह का यह उपन्यास बुनकरों के जीवन-संघर्ष एवं संस्कृति को समग्रता में प्रस्तुत करता है।यह उपन्यास हमें बनारस की उन गलियों में ले जाता है जहां शोषण, भूख और अत्याचार की चक्की में पिसते हुए बुनकर हमारे लिए सुंदर बनारसी साड़ियाँ तैयार करते हैं। बुनाई इस देश की संस्कृति कला और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में जबकि हमारे परंपरागत हस्त-शिल्प उद्योग निरंतर ह्रासमान हैं तब इन परिस्थितियों में इस उपन्यास बढ़ जाती है। यह लेख 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' में अभिव्यक्त बुनकर समाज के यथार्थ को उसकी संपूर्ण विडम्बनाओं के साथ उजागर करने का एक प्रयास है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए कुछ सवाल स्वाभाविक रूप से हमारे ज़ेहन में कौंधते हैं। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बुनकर समाज पिछड़ा है। ज़िंदगी भर बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकर क्यों नहीं अपने घर की औरतों को एक बनारसी साड़ी दे पाते हैं? जब हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से टकराते हैं तो हमारा सामना उन सच्चाइयों से होता है जिनसे आँखें चुराना संवेदनशील पाठक के लिए संभव नहीं हो पता। परत दर परत बुनकर समाज की सचाइयाँ उभरती जाती हैं जिनसे पाठक का अंतस् अछूता नहीं रहता।

बनारस में बुनकरों की दुनिया कैसे निर्मित हुई, इसके लिए इतिहास और जनश्रुति के साक्ष्य पर कहा गया है- " एक समाज दुनिया का है। एक समाज भारत का है। एक समाज हिंदुओं का है और एक समाज बनारस के जुलाहों का है। यह समाज कई अर्थों में दुनिया के हर समाज से अलग है। अब एक नयी बाइसी भी बन गई है। इनमें कुछ बनारसिया तो कुछ मऊवाले। अलयीपुरिया अलग, मदनपुरिया अलग। खंड में से खंड जैसे रेशम के अधरंगी पिंडी में से कई धागे निकले आ रहे हों। हर धागा दूसरे धागे से थोड़ा अलग दिखता है पर ऐसा है नहीं।.....हैं सब एक।मुर्दों के पाँव करघे में और स्त्रियों के पाँव चरखे में।"1 कहने की ज़रूरत नहीं कि अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इसी एक मूल ज़िंदगी को, जिसमें एक प्रत्यक्ष वर्ग के भीतर उपवर्ग भी हैं ,खंड के भीतर दूसरे खंड भी हैं, प्रत्यक्ष करने की कोशिश की है।बुनकरों में भी कई बुनकर हैं। बानी पर बिनने वाले, अपना माल ख़रीदकर बिनने वाले, मजूरी पर बिनने वाले लेकिन सबकी स्थिति एक है "हाजी अमीरुल्ला साहब दें तो खाओ वरना भूखे रहो"2 और जब हम समाज में मतीन, अलीमुन और नन्हे इक़बाल के सहारे प्रवेश करते हैं तो वहाँ रऊफ़ चाचा, नजबुनिया, नसीबन बुआ, रेहाना, कमरून, लतीफ़, बशीर और अल्लाह जैसे अनेक लोगों को मौजूद पाते हैं जो टूटते हुए भी साबुत हैं- हालात से समझौता नहीं करते बल्कि उनसे लड़ना और उन्हें बदलना चाहते हैं।

अब्दुल बिस्मिल्लाह के इस उपन्यास में जहां आत्मनिर्भर होने का प्रयास दिखता है वहीं उसके मूल में अर्थ की समस्या दिखाई देती है। इसके कारण बुनकर हाजी अमीरुल्लाह जैसे गिरस्तों के शोषण का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। उनके सामने विकल्पहीनता की ऐसी स्थिति है कि न चाहते हुए भी उन्हें शोषण की अनवरत चलने वाली इस चक्की में पीसना पड़ता है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अपने इस उपन्यास में केवल बुनकरों के शोषण और उनके नारकीय जीवन का सजीव चित्र ही नहीं खींचा है अपितु इसके पीछे के कारणों की तलाश भी की है जिसके फलस्वरूप बुनकर समाज का वास्तविक चित्र उभरकर हमारे सामने आता है। जहां एक तरफ़ मतीन, इक़बाल, अलीमुन, इक़बाल, अल्ताफ़, रऊफ़ चाचा,बशीर जैसे चरित्रों से हमारा सामना होता है जो विडंबनापूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं वहीं दूसरी तरफ़ हाजी अमीरुल्ला, हाजी नज़ीर जैसे परजीवी चरित्र भी हैं जो बुनकरों के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं तथा दिन-प्रतिदिन संपन्न से संपन्नतर होते जा रहे हैं।

इस उपन्यास का मुख्य पात्र मतीन होश सँभालने के बाद से ही बानी पर ही बिन रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति कभी इतनी अच्छी हुई ही नहीं कि अपना क़तान ख़रीद सके। 'गोदान' के होरी की तरह। मतीन का बस एक ही सपना है - 'हाजी अमीरुल्लाह का गढ़ तोड़ना है'।3 तोड़ने होंगे ही गढ़

और मठ सब। उसकी कोशिश है कि 'सोसाइटी बननी चाहिए, जैसे भी हो। दिमाग़ में बस यही एक बात घूम रही है।'4 यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 'हर बुनकर एक उलझा हुआ ताना बनकर रह जाता है'।5 और मतीन उसी ताने को सुलझाने का प्रयास सोसाइटी बनाकर करना चाहता है लेकिन उनकी ज़िंदगी का ताना सुलझने की जगह और उलझता ही चला जाता है। मतीन के लिए सोसाइटी एक मक़सद है जिससे उस जैसे अनेक ग़रीब जुलाहों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हाजी अमीरुल्लाह को जब सोसाइटी बनने की बात पता चलती है तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। उन्हें यह प्रश्न परेशान करता है कि अगर सोसाइटी बन गई तो? लेखक लिखता है "और हाजी साहब बेहद उदास हो गये। वे उठे और घर की ओर चल पड़े।"6 लेकिन हाजी अमीरुल्ला की यह उदासी उस समय ख़ुशी में तब्दील हो जाती है जब वह अपने छल और कपट से फर्जी सोसाइटी बनाकर मतीन के सोसाइटी बनाने के सपने को छिन्न -भिन्न कर देते हैं। इस तरह मतीन की सोसाइटी सिर्फ़ कल्पना बन कर रह जाती है और आशा की बची हुई वह किरण भी समाप्त हो जाती है जिसके सहारे मतीन बुनकरों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है। सोसाइटी न बनने से मतीन टूटता ज़रूर है, " मतीन को क्या हो गया आख़िर? इस जरा सी बात को लेकर वह इतना परेशान क्यों है? अरे नहीं बनी सोसाइटी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? जैसे इतने दिनों तक रहते आये हैं उसी तरह बाक़ी ज़िंदगी भी काट लेंगे। जुलाहा क्या लेगा, क्या राज लेगा?"7 लेकिन अपने हालात से समझौता नहीं करता। बनारस छोड़कर मऊ जाते समय उसके मन में यह विचार कौंधता है कि वापस लौट चले और अपनी ज़िंदगी से समझौता कर ले लेकिन वापस नहीं लौटता। समझौता और संघर्ष के बीच वो संघर्ष को चुनता है। मतीन के ज़रिए लेखक ने कथा साहित्य को 'होरी' जैसा पात्र दिया है। होरी जैसे उत्तर भारत के किसानों का प्रतिनिधि चरित्र है कुछ वैसे ही मतीन बुनकरों के प्रतिनिधि पात्र के रूप में दिखाई देता है।

कोठीवालों और गिरस्तों के ख़िलाफ़ मतीन की इस लड़ाई को आगे चलकर उसका पुत्र इक़बाल आगे बढ़ाता है तथा बुनकरों पर हो रहे विविधरूपी अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करता है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह का यह उपन्यास ग़रीबी और शोषण की ज़िंदगी गुज़ार रहे उत्तर भारत के इस निम्नवर्गीय समुदाय के जीविका के लिए किए जाने वाले संघर्षों की ही कहानी नहीं कहता अपितु इस समुदाय में व्याप्त अंधविश्वास, आडंबर, सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, धार्मिक उन्माद, स्त्रियों के साथ होने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार आदि सामाजिक बुराइयों को भी प्रकाश में लता है। स्त्रियों के प्रति इनकी सोच क्या है? "औरत का और इस्तेमाल ही क्या है? कटान फेरे, हांडी चूल्हा करे, साथ में सोये, बच्चे जने, और पाँव दबाए। इनमें से अगर किसी भी काम में हीला -हवाली करे तो क़ानून इस्लाम का पालन करो और बोल दो कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ।"8

बुनकर समुदाय के पिछड़ेपन का मूलभूत कारण उनका अशिक्षित होना है। इसी अशिक्षा के फलस्वरूप अंधविश्वास और आडंबरों का जन्म होता है जिसका कोपभाजन रेहाना जैसी लड़कियों को बनना पड़ता है। इक़बाल बुनकर समुदाय को फटकारता भी है और सीख भी देता है। वह कहता है कि "ऐसा क्यों है कि ईद के रोज़ आपकी बीबी मामूली कपड़े के सलवार क़मीज़ से ही अपना तन ढँकती है? तो यह मेहनत किसके लिए? यह फ़न किसके लिये? दोस्तों! आज आप तय करें कि इस निज़ाम को आप बदलकर रहेंगे। लेकिन निज़ाम ऐसे नहीं बदल जाएगा। उसके लिए अपने में सुधार करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि हम अपनी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करें। सोचिए, सारी दुनिया में जबकि लड़कियों पढ़-लिखकर क्या-से-क्या बन रही हैं, हमारे घरों की लड़कियाँ सिर्फ़ क़ुरान पढ़-पढ़कर पर्दों में बैठी कतान फेर रही हैं।उन्हें टी बी हो जाती है और उनकी ज़िंदगी ज़हर हो जाती है। बात-बात में हमारे यहाँ तलाक़ हो जाता है। लड़कों को भी ज़्यादा न पढ़ाकर उन्हें जल्दी ही साड़ी की पेटियाँ थमा दी जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे अपना काम न करें लेकिन पुश्तैनी धंधे के साथ-साथ हमें तरक़्क़ी करती हुई दुनिया के साथ भी चलना होगा।"9 कहना न होगा कि इक़बाल के ये विचार बुनकर समाज के बड़े यथार्थ को बड़ी बेबाक़ी से व्यक्त कर देते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं 1986 में प्रकाशित इस उपन्यास के माध्यम से अब्दुल बिस्मिल्लाह ने बुनकरों के जीवन का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास लिख दिया है। यह उपन्यास इतिहास की तरह तथ्यपरक सूचनाएँ नहीं देता बल्कि पाठकों में एक गहरी संवेदना उत्पन्न करता है। हिन्दी के महत्वपूर्ण कथा आलोचक गोपाल राय अपनी पुस्तक 'हिन्दी उपन्यास का इतिहास' में इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि - "उपन्यासकार बुनकरों के जीवन यथार्थ को पूरी संश्लिष्टता में प्रस्तुत करता है तथा उसमें फैली तमाम कुरीतियों, अंधविश्वासों, मज़हबी कट्टरपन और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को आलोचनात्मक दृष्टि से सामने रखता है।"10

संदर्भ सूची:

1) झीनी झीनी बीनी चदरिया - अब्दुल बिस्मिल्लाह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ 10-11
2) वही, पृष्ठ - 11
3) वही, पृष्ठ- 21
4) वही, पृष्ठ - 22
5) वही, पृष्ठ- 73
6) वही, पृष्ठ 25
7) वही, पृष्ठ- 106
8) वही, पृष्ठ- 49
9) वही, पृष्ठ - 184-85
10) हिन्दी उपन्यास का इतिहास - गोपाल राय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 437

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

विद्यालय संसाधन का शिक्षा पर प्रभावः एक अध्ययन

डॉ. रोमिला टेटे
एम. ए. एम. एड. पी–एच.डी.
(इतिहास) व्याख्याता (फाउण्डेशन), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) किलाघाट, दरभंगा (बिहार)
Corresponding Author- डॉ. रोमिला टेटे
DOI- 10.5281/zenodo.8134837

आलेख सार :–
विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होता है। इसका बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज अपनी भलाई हेतु विद्यालय की स्थापना करता है। इसमें औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में रहकर ही छात्रों के द्वारा अपने व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। विद्यालय को एक मन्दिर की भाँति माना गया है। ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि तथा संस्कृति का संगठन इतना अधिक बढ़ गया है कि विद्यालय के बिना उचित शिक्षा प्रदान करना न केवल कठिन है अपितु असंभव है। आज के समाज में औद्योगिक उन्नति हो रही है, विज्ञान की उत्कृष्टता है। कम्प्यूटर का युग आ गया है। संचार क्रांति एवं सूचना तकनीक ने शिक्षा को काफी प्रभावित किया है। इसका फल यही है कि विद्यालय का महत्त्व दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस लेख का उद्देश्य विद्यालय संसाधन का शिक्षा पर प्रभाव के संबंध में चर्चा करना है।

मुख्य शब्द :– विद्यालय, विद्यालय संसाधन, भौतिक संसाधनो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर, कक्षा प्रबंधन, मानवीय तत्त्वों, मानवीय संसाधन, आदि।

प्रस्तावना :– विद्यालय के सामाजिक संस्था होने के कारण इसके बहुत से उत्तरदायित्व है। विद्यालय का संचालन उसके मानवीय तथा भौतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। दोनों संसाधन हर प्रकार से अच्छे होने चाहिए। विद्यालय के मानवीय संचालन में मुख्याध्यापक, अध्यापक, छात्र–छात्राएँ, कार्यालय कर्मचारी तथा सेवक कर्मचारी आते हैं. जबकि भौतिक संसाधन में स्कूल, भवन, कक्षा प्रबंधन, पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय, एवं खेल का मैदान आदि आते हैं। जबतक विद्यालय में मानवीय संसाधन के साथ भौतिक संसाधन सुदृढ नहीं होंगे तबतक विद्यालय का संचालन सही ढंग से नहीं हो सकता है।

विद्यालय संसाधन मुख्यतः उन व्यवस्थाओं से संबंधित है, जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देती है। विद्यालय संसाधन के अन्तर्गत भौतिक एवं मानवीय तत्त्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध तथा सुव्यवस्थित किया जाता है। यदि एक विद्यालय की स्थापना करनी हो तो उसके लिए **स्थान वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, शैक्षिक साज–सज्जा, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों आदि** का प्रबन्ध करना होगा तथा अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए इन तत्त्वों को सुव्यवस्थित करना होगा। उदाहरणार्थ शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, नैतिक वातावरण, सामाजिक क्रियाओं आदि का प्रबंध इस प्रकार करना होगा, जिससे बालकों का चरित्र–निर्माण उचित दिशा में हो सके। उपयुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए योग्य एवं चरित्रवान शिक्षकों की भी नियुक्ति करनी होगी। विद्यालय संसाधन जिसका उपयोग कर शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, परिनीरक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय की क्रियाओं को संचालित करने के लिए करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधन की भूमिका अहम होती है।

विद्यालय संसाधन के अन्तर्गत केवल व्यवस्था ही नहीं वरन विभिन्न विद्यालयीय तत्त्वों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना भी अनिवार्य है। सभी आवश्यक संसाधन का प्रबन्ध करके उनमें इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक तत्त्व का अधिकतम उपयोग कम–से–कम विघ्न एवं बाधा के अभाव में किया जा सके। यदि विभिन्न संसाधन के प्रयोग एवं उनके कार्यों में उचित समन्वय का जमाव है तो विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकेगा। विद्यालय में पुस्तकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं भवन आदि संसाधन का प्रबन्ध रहता है। परन्तु यदि पुस्तकों का उचित प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया है और विद्यालय की समय तालिका में छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करने के लिए विशेष समय नहीं दिया गया है अथवा बहुत बड़ी संख्या में छात्र एक ही समय में पुस्तक पढ़ने व लेने हेतु पुस्तकालय में एकत्रित हो अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष का इस कार्य के लिये नियत समय छात्रों की सुविधा के समय से भिन्न हो तो विद्यालय में पुस्तकालय संबंध समस्त सुविधाएँ एवं व्यवस्था होते हुए भी समय के अभाव में पुस्तकालय का अधिकतम लाभ छात्रों को नहीं मिल पायेगा।

विद्यालय संसाधन को एक ऐसे साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि अभीष्ट शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। विद्यालय संसाधन वह यन्त्र है जिसको विधिवत् संचालित करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसको स्वयं में साध्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वरन् इसको सदैव उस लक्ष्य के अधीन रखा जाना चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए नियोजन किया जा रहा है। **विद्यालय की स्थापना का मुख्य ध्येय** बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए विद्यालय संसाधन का उद्देश्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सक्रिय योग प्रदान करना होना चाहिए। विद्यालय संसाधन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है, जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामजस्यपूर्ण विकास सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग एवं शोधन तथा रूचियों का स्वस्थ प्रकाशन एवं परिष्कारण हो सके। बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करने की दृष्टि से विद्यालय संसाधन का ध्येये उसके शारीरिक, मानसिक चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करते हुए उसे इस योग्य बनाना है कि यह भावी जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह सफलता एवं सच्चाई के साथ कर सके।

विद्यालय का आन्तरिक संसाधन मुख्यत : विद्यालय के प्रकार एवं आकार पर निर्भर करता है। यदिकोई संस्था बहुउद्देशीय विद्यालय है तो उस विद्यालय में विभिन्न विभाग पृथक–पृथक अध्यक्ष के अधीन होंगे जो अपने विभाग के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई विद्यालय आकार में बहुत बड़ा है तो उसके प्रधान को अपने दायित्वों को अपने शिक्षकों को सौपना पड़ेगा। जिन दायित्वों को सहयोगियों को सौंपा जा सकता है, वे दो प्रकार के हैं– (1) जो कि एकाकी शिक्षक द्वारा पूर्ण किये जा सकते हैं, तथा (2) वे दायित्व जो कि एक शिक्षक की अपेक्षा एक छोटी समिति द्वारा पूर्ण किये जा सकते है। यद्यपि प्रधानाध्यापक विद्यालय के समस्त कार्यों के संचालन के लिये उत्तरदायी होता है फिर भी उसे अपने कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये विभिन्न शिक्षकों छात्रों एवं अन्य कर्मचारियों की सहायता लेनी पड़ती है। **विद्यालय के आन्तरिक कार्यों के संचालन में संसाधन की भूमिका निम्नलिखित है।**

मानवीय संसाधन – (1) **मुख्याध्यापक :** विद्यालय में मुख्याध्यापक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मुख्याध्यापक अपने सफल नेतृत्व व्यक्तित्व, अनुभव, योग्यता तथा कार्य दक्षता के आधार पर विद्यालय का निर्दिष्ट लक्ष्य की और अग्रसर करता है। विद्यालय में मुख्यध्यापक को ठीक उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी कि खेल के मैदान में कप्तान की और युद्ध क्षेत्र में सेनापति की। जैसा मुख्याध्यापक होगा, वैसा ही विद्यालय होगा। विद्यालय के हर अंग से मुख्याध्यापक की छवि प्रतिबिम्बित होती है। **मुख्याध्यापक सम्पूर्ण विद्यालय की प्रगति का प्रेरणा स्रोत होता है।** विद्यालय में एकता बनायें रखने, विद्यालय की विभिन्न गतिविधयों में सन्तुलन बनाये रखने, विद्यालय परम्पराओं को जीवित बनाये रखने तथा विद्यालय को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए मुख्याध्यापक एक प्रमुख शक्ति के रूप कार्य करता है। वह विद्यालय का ऐसा केन्द्र बिन्दु है, जिसके चारों और विद्यालय की समस्त क्रियाएं घूमती हैं। डॉ० एस० एन० मुखर्जी के शब्दों में मुख्याध्यापक विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। वह विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का सम्बन्ध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन में गुम्बद का अधाररूपी पत्थर है।''

(2) अध्यापक : विद्यालय प्रांगण में अध्यापक को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। विद्यालय–जीवन में मुख्याध्यापक मस्तिष्क के रूप में होता है एवं अध्यापक आत्मा–स्वरूप होता है। वस्तुत अध्यापक ही विद्यालय–जीवन को गति प्रदान करता है। अध्यापक ही वह शक्ति है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली सन्ततियों पर अपना प्रभाव डालती है। केवल विद्यालय की ही नहीं वरन मानव समाज एवं देश की उन्नति भी उत्तम अध्यापक पर निर्भर है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में अध्यापक की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापक अपने सद्प्रयासों से बालक का सफल मार्गदर्शन कर उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास कर उसे सफल नागरिक बनाता है। इस प्रकार वहबालके के साथ–साथ समूचे समाज तथा राष्ट्र का कल्याण करता है।

(3) कार्यालय कर्मचारी : प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन में मुख्याध्यापक, अध्यापक के साथ–साथ कार्यालयकर्मचारी की अहम भूमिका होती है। कार्यालय कर्मचारियों ही छात्रों के नामांकन परीक्षा से संबंधित फॉर्मके निश्पादन तथा छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं।

भौतिक संसाधन– (1) विद्यालय प्रांगण : विद्यालय प्रांगण विद्यालय का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। इसलिए यहाँ की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना नितान्त आवश्य है। यदि विद्यालय का वातावरण गन्दगी युक्त होगा तो इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसी दशा में विद्यालय के आस–पास का वातावरण भी पूर्णतयास्वच्छ होना चाहिए। अतः विद्यालय के प्रबन्धकों, अध्यापकों छात्रों, मुख्याध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों कर्त्तव्य है कि वे विद्यालय प्रांगण की स्वछता को बनाये रखने हेतु सतत प्रयास करें। प्रत्येक कक्षा के सामने कूड़ेदान रखे जाने चाहिए। प्रागण में फुलवाडी एवं पौधे लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रांगण की सफाई प्रतिदिन विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व एव विद्यालय समाप्त होने के पश्चात् की जानी चाहिए। विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित पोस्टर भी लगवाये जाने चाहिए। विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों को एवं कार्यतर समस्त कर्मचारियों को बताया जाना चाहिए कि विद्यालय–प्रागण को साफ रखना उनका दायित्व है। यदि वे इसे गन्दा रखेंगे तो इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।

(2) कक्षा–प्रबंध : जो भूमिका विद्यालय प्रबंध के लिए संस्था के प्रधानाध्यापक को निभानी पड़ती है उससे मिलती–जुलती भूमिका कक्षा प्रबन्ध के लिए शिक्षक को निभानी पड़ती है। यदि स्कूल की कक्षाओं में उत्तम प्रबन्ध नहीं होगा तो स्कूल में भी अच्छा प्रबंध नहीं होगा। शिक्षक को कक्षा में एक अच्छे प्रबन्धक की भूमिका निभानी पड़ती है। कक्षा का प्रबन्ध यदि अच्छा होगा तो शिक्षण प्रक्रिया में सफलता प्राप्त होगी। अध्यापको के बिना कक्षा ही नहीं बल्कि समस्त विद्यालय निर्जीव के समान है। कक्षा प्रबंध की समस्त जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है।

(3) खेल का मैदान : खेल बालको के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। खेल बालक के स्वास्थ्य, सामाजिक शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उपयोगी हैं। खेल एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। इसलिए खेलों के मैदान को विद्यालय में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।

(4) कम्प्यूटर : कम्प्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम अपरिष्कृत आकडे देकर प्रोग्राम के नियन्त्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिष्कृत आकड़े (ूं क्ंज) सूचनाओं, आकड़ों आदि के रूप में कम्प्यूटर को दिए जाने वाले आगम (प्दचनजे) होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नम्बर, नाम, कक्षा, विषय प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्ही जानकारियों को अपरिष्कृत आकड़े कहा जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप में हो रहा है। कक्षा में विज्ञान प्रायोजनाओं के निमार्ण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारियाँ एकत्रित करने, तथा अन्तः क्रियात्मक अधिगम पूल के रूप में कम्प्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कम्प्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। कम्प्यूटर आधारित शिक्षण (ब्वउचनजमत ठेंमक ज्मंबीपदह ब्ठज) के अन्तगर्त ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया (ध्वनि, चित्र, एनिमेशन एवं वीडियो से युक्त) सी. बी. टी. सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग एवं ट्रेनिंग सम्भव है। इसके अन्तगर्त विद्यार्थी अपने घर में बैठे हुए अपने शिक्षक से बात कर सकता है तथा अपनी जिज्ञासाएँ शान्त कर सकता है। आज आभासी कक्षा कक्ष (टपतजनंस ब्सें त्ववउ) वास्तविकता बन गए हैं। अभियान्त्रिकी क्षेत्र में भी कम्प्यदूर से अपना कमाल दिखाया है। किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे, आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर होगा तथा क्या दे आवश्यक तनाव व ताप आदि सहन कर सकगे आदि का निधार्रण कम्प्यूटर एडड इन्जिनियरिंग (ब्।म्) से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में सी. ए.ई. का प्रयोग सुरक्षा दृष्टि से अति आवश्यक है। कम्प्यूटर एड्ड डिजाईनिंग (ब्।क्) के द्वारा किसी

भी वस्तु का भीतरी बाहरी विस्तृत एवं त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता हैं। कागज पर निर्मित किसी घर के नक्शे को देखकर साधारणतः यह पता नहीं चलता कि उस घर का वास्तविक रूप क्या होगा तथा पूरा बनने पर वह कैसा दिखेगा। किन्तु (ब।क) के माध्यम से यह सब घर बनने से पूर्व ही देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ मानव के लिए कार्य करना संकटमय हो सकता है, वहाँ रोबोट का उपयोग प्रारम्भ हो गया है। रोबोट कम्प्यूटर संचालित यान्त्रिक मानव होता है।

(5) पुस्तकालय : पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपातर है। लाइबेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'लाइवर' से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– पुस्तक़आलय जिसमें लेखक के भाव संगृहीत हो, उसे पुस्तक कहा जाता है और आलय स्थान या घर को कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रेकार्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री संगृहीत रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्त विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता कि वहाँ पर पुस्तक व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती है। पुस्तकालय, विद्यालय का हृदय है। छात्र यहाँ विभिन्न अनुभव समस्याएँ तथा प्रश्न लेकर जाते है तथा उन पर विचार–विमर्श करते हैं और दूसरों के अनुभवों तथा संग्रहीत विद्वता, जो कि पुस्तकालय मे सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय से ज्ञान में वृद्धि होती है। पुस्तकालय सेवा शैक्षिक कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। इसको शैक्षिक कार्यक्रम का एक अंग मानना उपयुक्त होगा। पुस्तकालय को विद्यालय के एक सहायक अंग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए वरन इसका एक अनिवार्य सेवा के रूप में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। यह अपने उच्चतम महत्ता को भी प्राप्त कर सकता है, जब यह छात्रों को शिक्षा देने के लिए मुख्य साधन के रूप कार्य करे। इसलिए पुस्तकालय को शिक्षा जगत का हृदय कहा गया है। स्पष्ट है कि पुस्तकालय वह स्थान है जिसका बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से सहारा लेना चाहिए। पुस्तकों का पद लेना ही शिक्षा का मर्म नहीं है, वरन यह एक क्रिया है जो उत्तम रूप से शिक्षित होने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। इसलिए पुस्तकालय को शिक्षा की अनिवार्य सेवा के रूप में ग्रहण किया गया है। स्पष्ट है कि पुस्तकालय से तात्पर्य है पुस्तकों का घर। विद्या के प्रचार–प्रसार में विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालयों का ही सर्वाधिक योगदान होता है। यह वही स्थल है। जहां हमे भांति–भांति के विषयों की सहज जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

(6) प्रयोगशाला : प्रयोगशाला एक ऐसी सुविधा को कहते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग एवं मापन के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है। विद्यालय में विज्ञान तथा गणित के विषय को प्रयोग विधि से समझाने के लिए प्रयोगशाला अति आवश्यक है।

(7) शौचालय : छात्रों एवं कर्मचारियों हेतु विद्यालय में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय होने चाहिए। ये विद्यालय में ऐसे स्थान पर निर्मित किये जाने चाहिए जहाँ दुर्गन्ध तथा गन्दिगी न फैले। इनकी प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिए। प्रत्येक शौचालय में पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। विद्यालय संचालन में संसाधन का उपयोग विद्यालय के उद्देश्यों के मूर्ति में सहायक क रूप में की जाती है। वह केवल आनन्द प्रदान करने वाली साधन न हो। विद्यालय में किसी संसाधन के उपयोग करने से पूर्व उसकी योजना बना लेनी चाहिए। इस योजना का निर्माण छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के ही सहयोग से हो। योजना का निर्माण करते समय विद्यालय में साधना की उपलब्धि पर ध्यान देना आवश्यक है। योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व प्रधानाध्यापक से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वह जो सुझाव प्रदान करें, उन पर विचार–विमर्ष करके संसाधन को योजना में स्थान प्रदान किया जाय। प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रशासक होने के नाते उसे संसाधन के संचालन के प्रस्ताव पर विषेशाधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। विद्यालयसंसाधन के उपयोग में छात्रों को अधिकाधिक दायित्व प्रदान किये जाए। उन्हें इन संसाधन के उपयोगकरने में कभी कठिनाई का अनुभव न हो, तभी जाकर संसाधन छात्रों के उचित पथ प्रदर्शन बन सकेंगे। शिक्षकों को इन संसाधन की संरक्षता का दायित्व अपनी योग्यता एवं रूचि के अनुसार लेना चाहिए तथा आवश्यकता होने पर उचित परामर्श व सहायता द्वारा बालकों का पथ–प्रदर्शन किया जा सके।

संदर्भ– ग्रन्थ :

1) गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता, अलका, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तकभवन, इलाहाबाद, 2012
2) शर्मा, कुसुम, विद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, राधा प्रकाशन मन्दिर प्रा०लिए आगरा, 2014
3) पाण्डेय, रामशकल उभरते हुए समाज में शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2013.
4) कोहली. वि. के. भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, विवेक पब्लिशर्स, हरियाणा 2011
5) मश्रा, मंजू, विद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2012

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

रायगड जिल्हयातील आदिवासी कातकरी समाज समस्या

प्रा. डॉ. एस. एल. म्हात्रे
वसंतराव नाईक महाविद्यालय मुरूड-जंजिरा, जि.रायगड
Corresponding Author- प्रा. डॉ. एस. एल. म्हात्रे
Email - subhashmhatre66@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8134833

प्रस्तावना :-

आदिवासी है या देशाचे मूळ रहिवासी आहेत. बाहेरून येणाऱ्या सबळानी त्यांचा प्रदेश व्यापाला परिणामी त्यांना जंगल, दऱ्या खोऱ्यात आश्रय प्यावा लागला. त्यांना शेकडो वर्षे अज्ञानात राहावे लागले तरी पण त्यांनी आपली मूळ संस्कृती जपून ठेवली आहे. आदिवासी समजा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर निसर्गाला आपला सोबती मानून जीवन जगत आहेत. त्यांच्या पाचवीला जपून दारिद्र, अज्ञान पूजलेले आहे. आदिवासी समाजात वेगवेगळ्या जमाती असून प्रत्येक जमातीची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक पध्दती वेगवेगळी आहे. जगाच्या बदलाच्या प्रवाहाबरोबर आज आदिवासी बदलत चालले आहेत. हा बदल त्यांचा विकासाचा एक टप्पा मानावा लागल. नागर संस्कृतीपासून दूर अलिप्त राहिलेले संबंधित प्रदेशातील मुळचे रहिवासी म्हणजे आदिवासी जंगलात, दुर्गम दऱ्याखोऱ्यात व सुसंस्कृत समाजापासून तुटक असलेल्या प्रदेशात वस्ती करून राहतात आदिवासींना मूळ निवासी असे मानले जाते. महात्मा गाधीजी आदिवासांना गिरिजन संबोधले आहे ज्या समूहातील सदस्य एक समान बोली भाषा बालेवा युध्द वगैरेसारख्या उद्दिष्टपूर्तीकरीता एक होऊन झटतात. अशा सरळ व साध्या सामाजिक समूहाला आदिवासी म्हटले आहे.

अन्नाचा प्रश्न आदिवासी समाजात सामाजिक प्रश्न समजला जातो. त्याप्रमाणे तो हाताळला जातो. कौटुंबिक जबाबदाच्या नाते संबंध, शेजार धर्म, वडिलांचा व मोठे यांचा मान, पूर्वज व देवता या सर्वांचा विचार आर्थिक व्यवस्थेत केला जातो. कामाकरीता काम व पैशाकरीता काम असा व्यवहार आदिवासी समाजात नसतो. ज्या व्यक्तीचे काम असेल. त्यास कामात मदत करणे हे इतरांचे कर्तव्य ठरते. किती वेळ काम केले या वरून मोबदला ठरविण्यात येत नाही, कारण ते वेळेस महत्व देत नाही. ते गरजेनुसार काम करतात. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी त्यांचे आर्थिक व्यवहार होत असतात. आदिवासी समाज अन्न उत्पादन करताना गुराढोरांचा उपयोग कमी करतात. स्वतःच्या अंग मेहनतीनी धान्य पिकविणे व दुभत्या जनावरांवर आपला उदरनिर्वाह चालवितात. जंगलात सापडणारी विविध फळे हे आदिवासीचे मुख्य अन्न आहे. जंगलातील फळे, कंदमुळे, जंगली वनस्पती गोळा करून त्यांच्यातील कडवटपणा व विषारीपणा घालविण्याचे तंत्र त्यांना माहित असते ऋतूमानानुसार ते विविध भागात स्तलांतरीत होत असतात.

सामाजिक परिस्थिती :-

महाराष्ट्रातील अनेक राज्यात कातकरी जमातीचे लोक असले तरी रायगड जिल्हयात काकरी जमातीचे लोक जास्त आहेत. कर्जत, खालापूर, रोहा, पनवेल, पेण, सुधागड व आलिबाग या तालुक्यात आढळतात. कातकऱ्यांना काथोडी असेही म्हणतात. कृती म्हणजे कातडे व पट्टीन म्हणजे ते वापरणारा या वरून कृतिपट्टीन या संस्कृत शब्दांचा अपभ्रंश होवून कातवडी नाव पडले असावे असे राजवाडे म्हणतात. हि जमात ढोर कातकरी व सोन कातकरी या दोन गटात विभागली आहे. सोन कातकरी स्वतःला उच्च समजतात. ढोर कातकरी मेलेल्या जनावरांचे मांस खातात म्हणून त्यांना ढोर कातकरी म्हणतात.

कातकरी रंगाने काळे, ठेंगणे, काटक व चपळ असतात. कमरेला लंगोटी नेसतात. अंगात कोपरी घालतात. स्त्रिया गुडघ्यापर्यंत लुगडे घट्ट नेसतात. अंगात चोळी घालतात. कातकरी भविष्यात बदल बेफीकीर असतात. त्यांच्यात साठवून ठेवण्याची वृत्ती नसते. सर्वसाधारणपणे कातकरी पती-पत्नी बरोबर फिरतात अथवा एकत्र काम करताना दिसून येतात. त्यांची चूल सामान्यपणे तीन दगड

ठेवून तयार केलेली असते. घरात अत्यल्प वस्तू असतात. त्यांची घरे साधी असून झाडाच्या फांदयापासून बनवलेली असतात. सरकार तर्फे त्यांना पक्क्या घरांची बांधणी करून देण्यात आली असली तरी त्या घरांचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे एका वर्षामध्ये घराची पडझड होवू लागते. त्यामुळे कातकरी आपल्या झोपडीतच राहणे पसंत करते. आधुनिक पध्दतीच्या घरातील लादी पेक्षा त्यांना जमिनीवर चांगली झोप लागते. हातावर कमविणे आणि पानावर खाणे हे त्यांचे वैशिष्टये आहे.

दळी जमीन :-

कोकणात शेती करण्याच्या दोन पध्दती होत्या. एक आळी पध्द तर दुसरी दळी पध्दत. डोंगर उतारावर पालापाचोळा जाळून त्यात बी फेरून जे पीक घेतले जाते त्याला दळी म्हणतात. दळी शेतीला वरकस शेती म्हणतात. वरकस जमीनी सामाईक मालकीच्या असल्या तरी त्यांची अलिखित वाटणी होत असे. यातूनच आद्योषित मालकी हक्क निर्माण होत असे.

स्वातंत्र्यानंतर आदिवासीनी जंगल जमिनीवरील हक्कासाठी उठाव केले त्याचा परिणाम होवून शासनाने विविध निर्णय घेतले. २६ जुलै १९७१ च्या निर्णयानुसार दळी जमिनी कसणाऱ्या आदिवासीच्या नावे करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. सरकारने निर्णय घेतला होता, पण प्रत्यक्षात या जमिनी आदिवासीच्या नावावर झालेल्या नव्हत्या. या प्रश्नी श्रमिक क्रांती संघटना, जागृत कष्टकारी संघटना यांनी जन आंदोलन केले होते. जमिनीचा मालकी हक्क नसल्यामुळे या जमिनीवर आदिवासी शेतकऱ्यांना

कोणतीही विकासाची योजना राबविता येत नाही. जमीनीचे सपाटीकरण, विहिर खोदणे, फळ झाडे लावणे, भाजीपाला करणे अशा अनेक उपक्रमातून जमीनीचा विकास होऊ शकतो. आदिवासी विकास खात्यातर्फे अनेक योजना आहेत. परंतु कातकरी समाजाच्या जमीनी नावावर नाहीत त्यामुळे योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

जमिनीवर मालकी हक्क नसल्याने इतर लोक त्यावर अतिक्रम करून तीचे तुकडे आपल्या कब्ज्याखाली घेतले आहेत. बिगर आदिवासींकडून दळी जमीनीतील झाडे तोडण्याचे प्रकार सर्रास होत आहेत. आदिवासीची संख्या कमी व त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून बिगर अदिवासी दळी जमिनीवर अतिकम करत आहेत. फॉरेस्ट खातेही या बाबतीत बघ्याची भूमिका घेत आहे. वनखात्यामार्फत वनिकरणाच्या ज्या योजना राबविल्या जातात त्यासाठी दळी जमिन बिनधास्त उपयोगात आणली जाते. सरकार जेव्हा विकास प्रकल्पासाठी जमिनी खरेदी संपादित करते त्यावेळी जमिन मालकांना मोबदला देतो. मात्र दळी जमिन हि आदिवासीच्या नावावर नसल्याने आदिवासीना भरपाई मिळत नाही. दळी जमिन ही नाचनी, वरीची डोंगराळ शेती असल्यामुळे जमिनीचे तुकडे अलटून पालटून उपयोगात आणले जातात. दळी जमिनीची मालकी जर कायम आदिवासींकडे दिली तर ते त्या जमिनीवर उपजिविका करू शकतील यासाठी सरकारने उपाय योजना करणे आवश्यक आहे.

आदिवासी कायदा व संघटक :-

आदिवासी समाजात सर्वात महत्वाचा सामाजिक गट म्हणजे कुळी होय. कायदयाच्या बाबतीत गुन्हा व शासन या बाबतीत कुळीचे सभासद सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारतात. दोन कुळीच्या सभासदांचे भांडण झाल्यास बदला घेण्याची प्रवृत्ती असते. विशिष्ट व्यक्तीवर रोख ठेवून बदला न घेता. कुळीतील कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत घेतला जातो. चोरी, आप्तसंभोग, जादूटोणा इत्यादी बाबतीत गुन्हा केल्यास शिक्षा करणे कठीण असते. गुन्हयाच्या बाबतीत जमातीची प्रतिक्रिया तीव्र असते. आरोपीला कुळीबाहेर काढण्याची सर्वात मोठी शिक्षा करण्यात येते. त्यांचे जीवन सहकारावर अवलंबून असल्याने असहकार हि शिक्षा परिणामकारक ठरते. गेन्हेगारास शासनकरण्याबाबत दोन दृष्टीकोन असतात. पहिल्या प्रकारात सुधारण्याचा प्रयत्न करणे, तर दुसऱ्या प्रकारात गुन्हेगारास कठोर शिक्षा देऊन संभाव्या गुन्हेगारांना धाक बसविणे हा आहे. आदिवासी समाजात अदयाप पर्यंत कायदयाची जागृती झालेली नाही. असे दिसून येते.कायदयाची जागृती घडवून आणण्यासाठी त्यांचे सामाजिक प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सुशिक्षित समाजाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. जर त्यांच्यात जागृती झाली तर त्यांना त्यांचे हक्क, कर्तव्य याची जाणिव होईल व ते आपल्या गुन्हयाच्या प्रकरणात दिवाणी अथवा फौजदारी कायदयाच्या आधार घेवू शकतील.

आदिवासी समाजाची गुण वैशिष्टये -:

1) आदिवासी समाजातील लोक एका विशिष्ट भूप्रदेशात - .प्रगत समाजापासून दूर व जंगलात राहतात ,राहतात त्यांचा प्रदेश दुर्गम असतो.
2) आदिवासी समाजात साधारणपणे अंतर्विवाही असते . त्यांचे गट लहान व नाते संबंधावर आधारलेले असतात.
3) प्रत्येक आदिवासी जमातीची स्वतंत्र पंचायत असते . मुखियाचा .पंचायतीच्या प्रमुखाला मुखिया म्हणतात .निर्णय अंतिम मानला जातो त्यांची भाषा स्वतंत्र असते.
4) आदिवासीचा धार्मिक क्षेत्र मर्यादित असतो व आपल्या वस्तीपासून काही ठराविक अंतरावर धार्मिक क्षेत्र असते.
5) त्यांची उत्पादनाची साधने प्राथमिक स्वरूपाची असतात ,गळ ,आकडे ,जाळी ,सापळे ,पाटा वरंवटा . कोयती इत्यादी ,टोकदारर व धारदार दांडकी हातोडा .प्राथमिक अवजारेच वापरतात
6) मालाची विक्री हा टप्पा आदिवासी अर्थव्यवस्थेत नसतोउत्पादन कमी असल्यामुळे बाजारपेठाही . जो तो आपल्या उत्पादनाचा .नसतातउपभोग घेतो .

त्यांची अर्थव्यवस्था बहुधा नाणे इत्यादी चलनावाचून .चालणारी व वस्तुविनिमय पध्दतीनुसार असते

7) समाजात परंपरेला महत्व असते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कथा.नृत्य इ ,काव्य , माध्यमाद्वारे हस्तांतरी होत असतो.
8) आदिवासी समाज निसर्गपूजक आहेत.
9) आदिवासी समाजात एकजिनसीपणा असतोदैनंदिन . व्यवहारातील चाकोरीमुळे सवयी व चालीरीती बनतात. आदिवासी समाज स्वंयकेंद्रित असून त्यांचे समाजिक व धार्मिक जीवन बाहय संपर्कापासून अलिप्त आहे.

संदर्भ ग्रंथ :-

1) महादेव शास्त्री जोशी, संपादक, भारतीय संस्कृती कोश खंड दुसरा, पान नं. २८
2) कित्ता – ३०
3) चौधरी कि.का, रायगड जिल्हा गॅझेटिअर, दार्शनिक विभाग, महाराष्ट्र शासन १९९३, पान नं. २३८
4) महाजन उल्का, न्यायासाठी लढा व वाटचाल एका दशकाची, पान नं. १२
5) महादेव शास्त्री जोशी, संपादक, भारतीय संस्कृती कोश खंड दुसरा, पान नं. ३६

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

डॉ (१९५५-१८६४) रखमाबाई राऊत .– व्यक्तीकार्य आणि कर्तृत्व ,

सतीश पाटीलबा चव्हाण[1], प्रा. डॉ. सुरेश सं. माळशिखरे[2]

[1]संशोधक विद्यार्थी, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, चिखली

ता. चिखली जि. बुलढाणा

[2]मार्गदर्शक ,इतिहास विभाग प्रमुख, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय,

चिखली ता. चिखली जि. बुलढाणा

Corresponding Author- सतीश पाटीलबा चव्हाण

Email- satishchawhan3@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.8134853

प्रस्तावना:

भारतात एकोणीसाव्या शतकात सामाजिक सुधारणा व स्त्रिमुक्ती चळवळीचा विशेष प्रभाव वाढला होता, परंतु यात पुरुष वर्गाचे वर्चस्व आढळते स्त्रियांनी या .चळवळीत प्रथमच प्रवेश केलेला दिसतो .यामध्ये प्रामुख्याने सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे, ताराबाई शिंदे, काशिबाई कानिटकर व डॉ.आनंदीबाई जोशी अशा अनेक स्त्रियांचा उल्लेख येतो . पण स्त्रीमुक्ती चळवळीसाठी कार्य करणाऱ्या डॉरखमाबाई या उपेक्षीत रा .हिल्याचे दिसते .स्त्रीमुक्ती चळवळ ते स्त्रीवादी चळवळ असा उल्लेखनीय प्रवास डॉरखमाबाई यांनी केला ., ज्या काळात स्त्रिया नुकत्याच शिक्षणासाठी बाहेर पडल्या .त्या काळात स्त्रिवादी दृष्टीकोन दिसणे ही गोष्ट अवघडच होती परंतु अतिशय सुक्ष्म निरिक्षण केल्यास स्वातंत्र्यपूर्व .काळात स्त्रिवादी चळवळीला सुरुवात झालेली दिसते. हाच स्त्रीवादी दृष्टीकोन डॉ.रखमाबाई यांच्या जीवन कार्यात दिसतो .

स्त्रियांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी सामाजिक स्थरावर सुरुवात झाली. यात मुलीसाठी शिक्षणाचे द्वार खुले झाले . ,(१८६७) प्रार्थना समाज सत्यशोधक समाज ,(१८७५) आर्य समाज (१८७३) सेवा सदन)१८८५) व ,शारदा सदन)१८८९), यांच्यातून स्त्रियांच्या सामाजिक सुधारणासाठी कार्य होत होते पण या काळात स्वतःच्या .न्याय हक्कासाठी लढा देणाऱ्या रखमाबाई दुर्लक्षित राहिल्या .दादाजी -रखमाबाई खटला)१८८४) यासाठीच मर्यादीत स्वरुपात त्यांना इतिहासात ओळखले जाते. रखमाबाई यांची दिर्घकाळ डॉक्टरी सेवा, सामाजिक कार्य, आणि स्त्रियांसाठी विविध माध्यमातून प्रबोधन कार्य इत्यादी कार्याची माहिती होणे आवश्यक वाटले.

मुख्य शब्दरखमाबाई .डॉ - :, समाजसुधारक, डॉक्टरी सेवा, स्त्रीमुक्ती चळवळ, स्त्रीवादी दृष्टीकोन, मेडिकल गॅझेट रिपोर्ट,

समस्या सूत्रण -:

एकोणीसाव्या शतकात स्त्रीमुक्ती चळवळीत सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, काशिबाई कानिटकर, ताराबाई शिंदे आणि आनंदीबाई जोशी अशा अनेक थोर महिला समाजसुधारकांची नावे घेतली जातात. मात्र डॉ . .म्हणून डॉ .घेतले जात नाही रखमाबाई यांचे नाव यात रखमाबाई यांच्या जीवन कार्याचा आढावा प्रस्तुत शोधनिबंधातमांडला आहे.

उदिष्टे -:

१) डॉ.रखमाबाई यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेणे .
२) डॉरखमाबाई यांचे वैद्यकीय कार्य व सामा .जिक कार्य याचा आढावा घेणे.
३) स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून डॉरखमाबाईंच्या कार्या .चे सूक्ष्म अध्ययन करणे.

गृहीतके :

१) डॉरखमाबाई यांनी आप .ल्या कार्यातून समाजसेवा केली आहे.
२) डॉक्टरी शिक्षण घेऊन डॉक्टरी सेवेतून त्यांनी स्त्रीमुक्ती चळवळीसाठी कार्य केले आहे.
३) स्त्रीवादी दृष्टिकोन डॉ रखमाबाई यांच्या .जीवनकार्यात आढळतो.

पार्श्वभूमी :

रखमाबाई यांचा जन्म आई जयंतीबाई व वडील जनार्दन सावे यांच्यापोटी २२ नोव्हेंबर १८६४ रोजी मुंबई येथे झाला .रखमाबाई दोन वर्षाच्या असतांनी त्यांच्या वडीलांचे निधन झालेयामुळे काही वर्षानी रखमाबाईच्या . .आई जयंतीबाई यांनी डॉसखाराम अर्जुन राऊत यांच्याशी पुनर्विवाह १८७० रोजी केला.यावेळी रखमाबाई अवघ्या आठ वर्षाच्या होत्या .डॉ .सखाराम अर्जुन हे पेशाने वनस्पतीशास्त्रज्ञ व डॉक्टर होतेते पुरोगामी .

त्यांची अभ्यासू .विचारसारणीचे होतेवृत्ती, कार्यतत्परता आणि समाजातील उच्चवर्णिय व्यक्ती सोबत असणारी उठबैठक यामुळे रखमाबाईवर बालपणी चांगले संस्कार झाले होते.

तत्कालीन रुढी परंपरेनुसार-रखमाबाईचा बालविवाह वयाच्या ११व्या वर्षी दादाजी भिकाजी ठाकूर यांच्यासोबत झाला होतामात्र दादाजी भिकाजी पुढे वाईट . संगत व अवैचारिक वृत्तीमुळे रखमाबाई दादाजीपासून दुरावल्या. रखमाबाईना शिक्षणाची आवड होतीयातून . या कारणाने रखमाबाई .त्याची वैचारिकता पुढारलेली होती यांनी दादाजीकडे सासरी जाण्यास नकार दिला होता.

खटला :

दादाजीने पत्नी सासरी नांदण्यास यावी म्हणून अनेक प्रयत्न केले. परंतु रखमाबाई व त्यांचे कुटुंब यांनी त्यांना नकार दिला ,म्हणून दादाजीने १८८४ मध्ये "पत्नी सासरी नांदण्यास यावी "यासाठी वैवाहिक पुर्नस्थापनेचा खटला दाखल केला .या खटल्याच्या प्रथम फेरीत न्या .पिन्हें यांनी रखमाबाईच्या बाजूने निर्णय दिला. यामुळे तत्कालीन समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला होता व रखमाबाई आणि ब्रिटीश सरकारवर अनेक वृत्तपत्रांनी टिकाटिपणी केली होती.दादाजीने या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात अपिल केले, यावेळी मात्र भारतीय विवाह कायदे, हिंदू प्रथा - परंपरा व ब्रिटिशांचे न्यायीक धोरण यावर सुक्ष्मप्रकारे विचारमंथन होऊण व भारतीयांचा असंतोष पाहून न्या . फेरन यांनी दादाजीच्याबाजूने निर्णय दिला व रखमाबाईला दादाजीकडे नांदण्यास जावे किंवा सहा महिने कारावासात जावे असा आदेश दिला. रखमाबाईने कारागृहात जाणे पसंत केले, मात्र या वेळीही अनेक मतप्रवाह मांडण्यात आले. शेवटी दादाजीने दोन हजार रू. घेऊन खटला मागे घेतला व रखमाबाई यांच्यावरील पतीचे अधिकार सोडून दिले .

परिणाम:

दादाजी रखमाबाई खटला हा तत्कालीन परिस्थितीत स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत, समस्येवर आणि स्त्रियांचे सामाजिक स्थान या मुलभूत गोष्टींवर केंद्रीभूत होतायामुळे . यावर सामाजिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात उहापोह झालेला दिसतो या .खटल्यादरम्यान रखमाबाई यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' वृत्तपत्रात 'अ हिंदू लेडी' म्हणून दोन पत्रे लिहली होती. या पत्रांमुळे रखमाबाई यांनी प्रथमच स्त्रियांचे प्रश्न व समस्या जाहीरपणे मांडल्याचे दिसते . बालविवाह व सक्तीचे वैधत्त्व यावर त्यांनी स्पष्टपणे विचार मांडलेया खटल्याच्या दरम्यान नैतिक बळातून अतिशय . टिपणी-टिका .संघर्षमय प्रवास रखमाबाई यांनी केलांना, सामाजिक स्तरावरील अपमान आणि अवहेलनांनी सामोऱ्या गेल्याभारतीय मह यातून त्यांनी असंख्य .िलांना जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा एक नवा दृष्टीकोन दिला .

शिक्षण आणि समाज कार्य :

रखमाबाई वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी)१८९०) लंडनला गेल्या तेथे डॉक्टरी क्षेत्रातील शिक्षण घेऊण त्यानी एम ची पदवी .डी.मिळवली व १८९५ मध्ये भारतात एम . डी डॉक्टर म्हणून परतल्या यावेळी पंडिता रमाबाईच्या आर्य महिला समाजाने त्यांचा जाहिर सत्कार समारंभ केला होतातत्कालीन मुंबई प्रांताचा भाग असलेल्या मुंबई .त कामा हॉस्पीटल, सुरत व राजकोट येथे त्यांनी मेडीकल ऑफिसर म्हणून वैद्यकीय सेवा केलीयावेळी स्त्रियांना . आ अनकेरोग्यविषयक समस्या भेडसावत होत्यायासाठी . रखमाबाईने अनेक व्याख्याने देऊण त्यांना मार्गदर्शन केले व जनसेवाकेली एवढेच .नव्हे तर १८९६ ची प्लेगची साथ व १८९७ चा भिषण दुष्काळात त्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा देऊण जनसेवा केली.

१९०९ मध्ये त्यांनी 'मिकसोमा 'नावाच्या ट्यूमरवर संशोधन करून संशोधन क्षेत्रात काम केले. या संशोधनाचा अहवाल मेडिकल गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहेआर्य महि .ला समाजाच्या सरचिटणीस म्हणून काहीकाळ त्यांनी काम केले, रेडक्रॉस सोसायटीची शाखा स्थापन करून समाजसेवा केली .पहिल्या महायुद्धजन्य परिस्थितीत विशेष वैद्यकीय सेवा दिली म्हणून ब्रिटीश सरकारणे 'कैसरहिंद-ए-' हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला होता सुरत येथे अतिशय .प्रतिकूल स्थितीत त्यांनी वैद्यकीय सेवेचे व्रत अंगीकारुण आरोग्य सेवा केली .

निष्कर्ष :

डॉआनंदीबाई जोशी यांच्या नंत .र महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने डॉक्टरी सेवेचा वसा डॉरखमाबाई यांनी . जपला व अतिशयनिष्ठेने पार पाडला .अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य, स्त्रियांचे समाज प्रबोधन कार्य आणि विविध आरोग्यविषयक व्याख्यानमाला अशा अनेक उपक्रमातून समाजकार्य केल्याचे दिसतेव्या शतकात १९ . दिर्घकाळ डॉक्टरी सेवा देण्याचा प्रथम मान हा डॉ . रखमाबाई यांनाच जातो, संपूर्ण आयुष्य त्यांनी स्त्रीमुक्ती चळवळीसाठी समर्पित केलेले दिसतेत्यांच्या कार्याचा कल . हास्त्रीवादी होतायातून .च त्याच्या महान कार्याची दखल प्रस्तुत शोधनिबंधातून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

1) वर्दे मोहिनी, **.डॉ'रखमाबाई :एक आर्त',** पॉप्युलर प्रकाश, मुंबई १९८२.
2) चन्द्र सुधीर, **'रख्माबाई स्त्री अधिकार और कानून',** राजकमल प्रकाशन.२०१२ ,नवी दिल्ली ,
3) कर्वे स्वाती' ,**स्त्रियांची शतपत्रे,'** प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती २००९ .पृ .३८२, ३३३ – ३४.
4) फडके य' ,.दि .**शोध बा :ळ गोपाळांचा -,'** श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, द्वितीय आवृत्ती २००० .पृ ११३ - १२४.
5) रॉव कविता, **'लेडी डॉक्टरस,'** वेस्टलॅण्ड पब्लीकेशन्स, चन्नई, प्रथम आवृत्ती २०२१, पृ१-९८ .३४.

6) गाठाळ एस' ,.एस .**आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास,'** कैलाश पब्लीकेशन्स, औरंगाबाद, आवृत्ती २०१८ पृ . - २२४२२६.

7) भावे ह .अ., **'न्यायमूर्ती म .गो. तथा माधवराव रानडे यांचे चरित्र,'** वरदा प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती २०१३, पृ .१८७ - २९४.

8) टोपे त्र्यं' .कृ .**न्यामहादेव गोविंद रानडे . व्यक्ती -कार्य आणि कर्तृत्व,'** रोहन प्रकाशन, पुणे, पाचवी आवृत्ती २०१९ .पृ .१७८, २१३.

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य

अश्विनी भाऊरावजी चौधरी
सशोधक विदयार्थिनी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर, विद्यापीठ, नागपूर
Corresponding Author- अश्विनी भाऊरावजी चौधरी
Email- Chaudharipuja027@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8134878

सारांश :— मनुष्य हा त्याच्या जीवनाच्या उत्पत्तीपासुन पर्यावरणाशी संबंधित आहे. मानवी पर्यावरणाचा संबध मानवाच्या तुलनेने अधिक फायदेशिर आहे. गेल्या शतकातील मानवी क्रियाकलापांमुळे पृथ्वीवरील मुलभूत घटक, हवा, पाणी, माती किंवा रासायनिक रचनेत बदल झाले आहेत. परिणामी पृथ्वीच्या भौतिक आणि रासायनिक वैशिष्टयांमध्ये झापाटयाने बदल होत आहेत. या बदलामुळे मोठया प्रमाणावर पर्यावरणीय प्रदूषण झाले आहे त्यामुळे जनजीवनावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. हा अभ्यास मानवी आरोग्यावर मुल्य—पर्यावरण संबंधांच्या प्रभावाचे परिक्षण करतो. कचऱ्याचे विश्लेषण मुख्यत्व दुय्यत स्त्रोतांकडून केले गेले आहे, जे असे सुचित करते की मानवी आरोग्यावर परिणाम करणारे अनेक व्युत्पत्र क्रियाकलापांमुळे होणाऱ्या पृष्ठभागाच्या प्रदुषणाचे परिणाम आहेत, मानवी पर्यावरण संबंध लक्षात घेऊन पर्यावरण संसाधनांचा अधिक चांगला वापर आणि संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रस्तावना :— पर्यावरण हा आपल्या पृथ्वीवरील जीवनाचा आधार आहे जो केवळ मानवच नाही तर सर्व चेतन — अचितन प्राणी आणि वनस्पतींच्या उत्पत्ती, विकास आणि अस्तित्वाचा आधार आहे. आपल्या आजुबाजुला असलेल्या सेंद्रीय, अजैविक घटकांमुळे पर्यावरणाची निर्मिती होते. परस्पर संबंध आणि समतोल यातून स्वच्छ वातावरण निर्माण होते. सभ्यतेच्या विकासापासून आजपर्यंत मानवाने जी काही प्रगती केली आहे. त्यात प्र्यावरणाने महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. या विश्वात विकसित झालेल्या सर्व सभ्यता आणि संस्कृती नष्ट झाल्या. पर्यावरण हा एक घटक आहे. ज्यामुळे मानवी शक्ति योग्यरित्या प्रसारित होत आहे. खरं तर पर्यावरण हे सुक्ष्म प्रणालीचे एकत्रित नाव आहे, जे संपूर्ण जग नियंत्रित करतात. आणि एकमेकांशी संबंधित असतात. ज्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मानवाच्या भौतिक सुखांची पूर्तता करण्यासाठी जागतिक स्तरावर पर्यावरणाचे अनियंत्रित शोषण केले जात आहे. त्यामुळे अनेक पर्यावरणीय प्रदुषण निर्माण झाली, त्याचा दुष्यपरिणाम मानवाच्या आरोग्यावर मोठया प्रमाणात झाला. पर्यावरणाच्या आरोग्यावर मोठया प्रमाणात झाला पर्यावरणाच्या रक्षणात निष्काळजी असणे म्हणजे स्वत:चे आरोग्य खराब करणे होय. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात पर्यावरण संसाधनाचा वापर करतो. त्यापैकी काही संसाधने नूतनीकरणीय आहेत. आणि काही नाहीत. कोळसा आणि पेट्रोलियम यांसारख्या अपारंपारिक संसाधनांचा वापर करतांना आपण विशेष काळजी घेतली पाहिजे, जी संपुष्टात येऊ शकते गेल्या दोन शतकांपासून लोकसंख्येची झपाटयाने वाढ आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या झपाटयाने होत असलेल्या विकासामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम अनेक पटींनी वाढला आहे. पर्यावरणाची गुणवत्ता कमी होण्यास आणि त्याचा ऱ्हास होण्यास हे दोन घटक प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.

मानव हा प्रतिनिधिक काळापासून प्र्यावरणाशी संबंधित आहे. त्याचा पर्यावरणाशी तीव्र संबंध आहे. तो नैसिर्गिक वातावरणातून परस्पर संबंध प्रस्तापित करुन आपले जीवन जगतो. प्र्यावरणाने मानसाला खुप काही दिले आहे. त्यामुळे भविष्यातील मानवी पिढीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये म्हणून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे आता मानवाचे कर्तव्य आणि नैतिक जबाबदारी आहे. पण परिस्थिती उलट आहे, आज मानवी क्रियाकलाप आणि शोषण प्रवृत्तींमुळे पर्यावरणाची मौलिकता संपुष्टात येऊ लागली आहे. माणुस ज्या हवेमध्ये श्वास घेतो, पाणी जे त्याची तहान भागवते, जे अन्न त्याचे पोषण करते आणि त्याच्या गरजा भागवणारा ऊर्जेचा प्रवाह हे सर्व आता बदलत जात आहे. हा बदल केवळ विनाशकारी नाही तर सर्व मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकतो.

मनुष्य आणि त्याचे पर्यावरण यांच्यातील संबंध मनुष्याला व्यावहारिक दृष्टया फायदेशिर आहे. परंतु जेव्हा ते पृथ्वीच्या वातावरणाशी अविवेकीपणे संवाद साधते तेव्हा वातावरणातील मुलभूत घटक हवा, पाणी आणि माती बदलतात. परिणामी पृथ्वीचे संपूर्ण हवामान बदलते या सर्व बदलामूळे मोठया प्रमाणावर पर्यावरणाची हानी झाली आहे. ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम दिसुन येत आहे.

मानव आणि पर्यावरण यांच्यांत स्थिरता असल्याने, आपले आरोग्य मुख्यत्वे पर्यावरणाच्या गुणवत्तेव्दारे निर्धारित केले जाते. त्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्य याचा जवळचा संबंध आहे. आपण ज्या वातवरणात राहातो, काम करतो आणि विश्रांती घेतो ते आपले आरोग्य ठरवते. पर्यावरणातील भौतिक, रासायनिक आणि जौविक घटक आपल्या आरोग्यावर शारिरीक व मानसिक दोन्हीवर परिणाम करू शकतात.

मराठी शब्दबंधातील पर्यावरण या शब्दाच्या व्याख्येनुसार संजीवांच्या नैसर्गिक परिसरास पर्यावरण असे म्हणतात. वैज्ञानिक परिभाषिक कोशानुसार पर्यावरण या संज्ञेत वनस्पती अथवा प्राणी ज्या नैसर्गिक परिसरात जगतात, वाढतात तेथील हवा, जमीन, पाणी, इतर

सजीव वर्जन्यमान, उंची, तापमान, इत्यादी सर्वाचा समावेश होतो.

पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य :—

निसर्गात कोणताही जीव एकटा राहु शकत नाही. नैसर्गिक शक्तिच्या प्रभावामुळे विविध प्रकारचे जीव निसर्गात एकत्र राहतात. संजीवांच्या जीवनासाठी संतुलित वातावरण आवश्यक आहे आणि स्वच्छ आणि संतुलिक वातावरण हा त्याच्या निरोगी जीवनाचा निकष आहे. संतुलित वातावरणात, प्रत्येक जैविक घटक ठराविक प्रमाणात उपस्थित असतो, परंतु कधी कधी वातावरणातील एक किंवा अधिक घटकांचे प्रमाण एकतर गरजेपेक्षा जास्त असते किंवा इतर हानिकारक घटक त्यात प्रवेश करतात, परिणामी पर्यावरण प्रदूषण होते. ज्यांचा विपरित परिणाम होतो.

मानवी आरोग्य संध्याच्या काळात जिथे एकीकडे विकासाने पर्यावरणाशी निगडीत अनेक बदल घडवून आणून मानवाला जगण्याच्या पध्दती अवघड केल्या आहेत, तर दुसरीकडे भौतिकवादी प्रवृत्तीमुळे विकासाचा वेग दिशहिन होऊ लागला आहे. आज निरोगी भारत घडवणे हे एक आव्हान बनले आहे. जिथे महागडया आरोग्य सेवा गरिबाच्या आवाक्याबाहेर होत आहेत. पृथ्वीवरील प्रत्येक जीवाला पर्यावरणीय समस्यांचा सामना करावा लागतो. पर्यावरणीय प्रदुषणामुळे प्रत्येक ५ पैकी ४ लोकांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांनी घेरले आहे. जसे श्वास लागणे, हृदयविकार, बहिरेपणा, अंधत्व, डोकेदुखी, तणाव, निद्रानाश, चिंता, कर्करोग, कोरोनासारखे साथीचे रोग, यांपैकी बहुतेक समस्या प्रदुषणाच्या समस्थेमुळे उध्दवलेल्या आहेत. मानवाशिवाय जगातील इतर प्राणीही प्रदूषित वातावरणपासून अस्पर्शित आहे. त्यांनाही आपल्या कवेत घेतले आहे, असा अंदाज बांधता येतो. आज वातावरण खुप प्रदूषित झाले आहे.

वैज्ञानिक दृष्टया प्रदूषण म्हणजे हवा, पाणी आणि मातीच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक वैशिष्टयांमधील आवांछित बदल, ज्यामुळे मानव आणि इतर फायदेशीर प्राणी, वनस्पती कच्चा माल आणि उदयोगांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे हानी पोहचते. जिथे माणुस या प्रदुषणाचा सर्वाधिक बळी जातो, तिथे गंमत अशी की, या प्रदुषणलाही तोच सर्वाधिक जबाबदार आहे. पुथ्वीचे पर्यावरण प्रदूषित करण्यात मानवाने महत्त्वाची, भुमिका बजावली आहे. आपल्या स्वार्थ आणि भौतिक वासनेमुळे माणसाने निसर्गात कहर निर्माण केला आहे. बेसुमार वृक्षतोड, जंगले, आणि वनस्पतीची मोठया प्रमाणावर होणारी तोड आणि त्यांची भरपाई न दिल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे, त्यामुळे आता पर्यावरण संतुलनाचा प्रश्न मानवजातीच्या भविष्यातील अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे.

कृषी पध्दती आणि शेतीच्या विविधतेनुसार पर्यावरणावर वेगवेगळे परिणाम होतात. संध्या शेतीच्या आधुनिकीकरणामुळे उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध रसायनाचा अतिप्रमाणात वापर केला जात असून, त्यामुळे मातीची गुणवत्ता ढसळणे, जलप्रदूषण जैवविविधतेचा नाश, भूगर्भातील पाण्याची पातळी घसरणे, वायू प्रदूषण, जमिनीचा वापर बदलणे, आणि कचरा व्यवस्थापन असे अनेक कारणे होत आहेत. पर्यावरणीय समस्या उध्दभवतात. या सर्व घटकामुळे मानवी आरोग्याचा समस्या निर्माण होत आहेत.

पर्यावरणाचे घटक :—

पर्यावरणाचे मुख्य चार घटक म्हणजे वातावरण, जलमण्डल, स्थल मण्डल आणि जैवमण्डल. मानवाचे जीवन आणि आरोग्य या चार घटकांवर अवलंबून असते. माणसाचे वातावरण जसे असेल तसे माणसचे आरोग्यही असेल निरोगी वातावरण वैयक्तिक आणि पर्यावरणीय स्वच्छता हा व्यक्ति आणि समुदायाच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणसाठी निर्णायक घटक आहे. आरोग्य हा विषय फक्त रोग आणि औषधांपुरता मर्यादित मानला जात नाही. आरोग्य ही एक व्यापक संकल्पना आहे. ज्या अंतर्गत अन्न, निवारा, पर्यावरण, स्वच्छता इतर विषयाचा समावेश केला आहे. रोग आणि औषध देखील त्याचाच एक भाग आहे. वातावरणतील काही परिस्थिती निसर्गाने दिलेल्या असतात तर काही मानवाने निर्माण केलेल्या असतात. माणसाने केलेल्या क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणता येतात. घरातील घाण, पाण्याचा निचारा करण्याची व्यवस्था, पशुपालन, स्वच्छतागृह किंवा इतर व्यवस्था, पिण्याचा पाण्याची साधणे व त्याची स्वच्छता व घराभोवती स्वच्छता ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सगळयाचा परिणाम स्थानिक वातावरणावर होतो. ज्याचा थेट संबंध आरोग्यांशी असतो.

वायुप्रदूषणाचे आरोग्यावर परिणाम

वायु प्रदूषणामुळे दीर्घ कालीन आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. वायु प्रदूषणामुळे उध्दवलेला आरोग्य समस्येने, श्वसनश क्रियेत अडचणी येने, दमा, खोकला यांसारखे श्वसन व हृदयासंबंधीची स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. मानवी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून वायु प्रदूषण अत्यंत धोकादायक आहे. मनुष्य दिवसातून २२००० वेळा श्वास घेतो. अस्थमा, टि.बी, ब्रॉकायटिस इत्यादी फुफफुसांशी संबंधीत आजार हे जीवनरक्षक हवेचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे व त्यातुन प्राप्त होणाऱ्या प्रदुषणामुळे होतात.

जलप्रदुषणाचे आरोग्यावर परिणाम :—

रासायनिक पदार्थ युक्त दूषित पाणी सेवन केल्यास त्यांचा अत्यंत वाईट परिणाम आपल्या किंडन्यांवर होतो. किडन्या निकामी होने, कॅन्सर या सारखे गंभीर आजार उत्पन्न होतात. पाण्यातील जलचर प्राणी, पाण्यातील वनस्पती यांचे आरोग्य धोक्यात येते. प्रदूषित पाण्यात असलेल्या विषाणू, जीवाणू, परजीवी आणि जंत या मुळे कावीळ, कॉलरा यासारखे संसर्गजन्य रोग, टायफाईट, डायरिया, हिपॅटायटीस, हे सार्वत्रिक पाणी पिण्यासाठी, आंधोळीसाठी, स्वयंपाकासाठी अयोग्य आहे. योग्य व्यवस्थापनाने जलप्रदूषण कमी करता येऊ शकते. आणि सर्वसामान्यांना त्यांच्या दुष्यपरिणामांची जाणीव करून दिली पाहीजे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित प्रक्रियांव्दारे पाण्याच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक वैशिष्टयांमध्ये असा ऱ्हास, ज्यामुळे ते मानवासाठी आणि इतर जैविक समुदायासाठी अयोग्य होते, याला जल प्रदूषण म्हणतात. सजीवासाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. आणि ते जीवमंडलातील पोषण घटकाचे प्रसारण आणि सायकलिंगामध्ये मदत करते औदयोगिकरण, शहरीकरण, आणि मानवी लोकसंख्येच्या सपाटयाने वाढ झाली आहे.

जमीन प्रदूषणाचे आरोग्यावर परिणाम :—

मातीमध्ये कोणताही पदार्थ मिसळणे ज्यामुळे जमिनीच्या गुणवत्तेवर आणि सुपीकतेवर विपरित परिणाम होतो. त्याला माती प्रदूषण म्हणतात औदयोगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता आहे तसे जमिनीमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे माती प्रदूषण होते. तसेच रसायनांचा वापर जमिनीच्या वापरातील, व्यापक बदल, मातीची धुप, खतांचा वापर, औदयोगिक आणि शहरी प्रदूषित कचरा सिंचन, हानिकारक सुक्ष्मजीव, इ. जमिन प्रदूषणाचे मुख्य प्रदूषक आहेत. मातीच्या प्रदुषणामुळे मुलांच्या मानसिक विकासावर आणि शारिरीक विकासावर मोठया प्रमाणावर परिणाम देखील होतात. जसे की, एंथ्रेक्स, टायफाईट, अतिसार.

ध्वनी प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम :—

ध्वनी प्रदूषण हा मानवनिर्मित धोका आहे, जो सतत वाढत आहे. कारखान्यातील मशिन्स, लाऊडंस्पीकर आणि इतर वादये यांचा आवाज, विमान ट्रेन, इ. मुळे निर्माण होणारे ध्वनी प्रदूषण मानवाला बहिरे बनवण्यास सक्रीय भुमिका बजावत आहे. ध्वनी प्रदूषणामुळे मानवाला पचन आणि हृदयांशी संबंधित आजार, मानसिक आजार, गर्भपात आणि असामान्य वर्तनाचा त्रास होतो. मनुष्य, प्राणी किंवा यांत्रिक पर्यावरणामुळे निर्माण झालेला मर्यादेपलीकडील असाहय ध्वनी म्हणजे ध्वनी प्रदूषण. यामुळे मनष्य किंवा प्राणी जीवनाच्या कृती विसकळीत होतात किंवा त्यांचा समतोल बिघडतो.

प्लास्टिक प्रदूषणाचे आरोग्यावर परिणाम :—

प्लास्टिकपासून बनवलेल्या वस्तु पाण्यात आणि जमिनीत जमा होण्याला प्लास्टिक प्रदुषण म्हणतात. या प्रदूषणाचा प्राणी आणि मानव यांच्या जीवनावर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पडतो. प्लास्टिक हे प्लास्टिक प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे. प्लास्टिकमध्ये असलेल्या विषारी घटकांमुळे मेंदूच्या समस्या, कर्करोग, जन्मजात, विकृती, अनुवांशिक बदल, थायराईड समस्या, पचनसंस्थेशी संबंधीत आजार होऊ शकतात. त्यांचा वापर कमी करुनच आपण या प्रदूषणपासून मुक्ती मिळवू शकतो.

वरील प्रदूषणाबरोबरच उष्मा प्रदूषण, ई—कचरा, घनकचरा, प्रकार प्रदूषण, याचाही मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो हे प्रदूषण पर्यावरणातील घटकांनाही हानी पोचवते. त्यामुळे वातावरणातील असंतुलन वाढते. विविध प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरण अभ्यास आणि पर्यावरणाचे आकलन विकसित करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना जागरुत करण्याची गरज आहे. जेणे करुन त्यांना कळेल की आपल्या वातावरणात होत असलेल्या बदलामुळे मानवी आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ? पर्यावरण संरक्षण हे कोणत्याही व्यक्ति, संस्था आणि सरकाराच्या पलिकडे आहे. त्यामुळे जगातील प्रत्येक नागरिकांने पर्यावरण स्वच्छ आणि सुरक्षित करण्यासाठी आपले बहुमोल योगदान दिले पाहिजे, जनजागृतीसाठी शाळा आणि विदयापिठे, प्रशासनामध्ये, वृत्तपत्र, मसिके, रेडिओ, यामध्ये पर्यावरण शिक्षण हा विषय अनिवार्य करावा.

संदर्भ:—

1) गर्ग, सजीव (१९८९), पर्यावरण और हम, राजपाल ॲन्ड सन्स दिल्ली, प्रथम संस्करण
2) प्रवीन कुमार रॉय आणि सुलेमान, मानव पर्यावरण संबध का मानव स्वास्थ पर प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन, (ष्श्रब्ज)
3) एम. ए. भाग—२, पर्यावरण आणि समाज.
4) मीना कुमार, डॉ. मनोज, पर्यावरण का स्वास्थ पर प्रभाव, (ष्श्रै)
5) सिंह अरूण कुमार (२००९) पर्यावरणीय अर्थशास्त्र — विविध आयाम, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली — ६४
6) सिंह, सावेन्द्र (१९९५) पर्यावरण भुगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
7) प्रज्ञा (पर्यावरण विशेषांक) २००९ —१० काशी हिन्दू विश्वविदयालय, वाराणसी.

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

कोरोना काल के दौरान संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का महिलाओं पर प्रभाव– उ0प्र0 के श्रावस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में

वेद प्रकाश द्विवेदी
समाजशास्त्र विभाग, **शोधार्थी,** डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या उ0 प्र0 भारत
Corresponding Author- वेद प्रकाश द्विवेदी
Email- vedprakashd1991@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8134888

सारांश

रोटी कपड़ा और मकान मानव की मूल भूत आवश्यकता है,इसके बिना जीवन यापन कर पाना सम्भव नही है। व्यक्ति इसी की पूर्ति हेतु दिन–रात, भाग–दौड़, मेहनत–मजदूरी, नौकरी–व्यवसाय आदि करता है। जो व्यक्ति नौकरी व्यवसाय आदि करता है,वह तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर ले जाता है, परन्तु जो व्यक्ति इससे दूर रहता है वह इसे पूर्ण करने में अस्मर्थ रहता है और इसे पानें के लिये संघर्षरत रहता है भारत की एक बृहद आबादी आज भी इन मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे अक्षम है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती वें और उनके बच्चें भुखमरी व भिक्षावृत्ति का शिकार हैं। ऐसे में भारत सरकार नें खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कर उनके नाम राशन कार्ड बनाकर उन्हें चन्द रू में 5 किलो राशन प्रति यूनिट देकर उनके भोजन का प्रबन्ध किया जीवन कुछ हद तक सुचारू रूप से कटनें लगा इसी बीच सन् 2020 के शुरूआती दौर में ही भयंकर महांमारी कोरोना नें दस्तक दे दिया इस महामारी नें मानव जीवन के सम्पूर्ण किया कलाप को अस्त व्यस्त कर दिया जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव दबे कुचले गरीब परिवारों पर पडा रोजी रोटी छिन जानें से यह आबादी रोटी के लिए मोहताज हो गयी। ऐसे में भारत सरकार नें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड लाभार्थियों को फ्री राशन देकर उनके खानें पीनें का प्रबन्ध किया जो ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ।

मुख्य शब्द– मौलिक आवश्यकताएं,गरीबी,महिलाएं,सहयोग,सुरक्षा,कोरोना,कल्याणकारी योजना,

प्रस्तावना–

प्रस्तुत शोधपत्र कोरोना महामारी के दौरान संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का महिलाओं पर प्रभाव श्रावस्ती जनपद पर आधारित है उक्त कार्य शोधकर्त्ता द्वारा यह जानने के लिए किया गया है,कि सरकार द्वारा प्रदत्त फ्री राशन से महिलाओं के जीवन–यापन,सोंच–विचार आदि पर क्या प्रभाव पडा है एक ओर विश्व भर में जहॉ कोरोना महांमारी भयंकर रूप धारण कर रखी थी देश के सम्पूर्ण कल कारखानें उद्योग–धन्धे,रोजगार–व्यवसाय,रेल–बस,हवाईजहाज आदि सब बन्द हो गया वह केवल घर के अन्दर चाहार दिवारी के अन्दर कैद हो गया ऐसे में तमाम आबादी रोटी के लिए मोहताज हो गयी क्योंकि रोजी–रोटी बन्द हो जानें के बाद वह अपनें मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असहाय हो गया उसका जीवन संकट में पड गया ऐसे असहाय लोगों को संकट से उबारनें के लिए सरकार नें करोडों आबादी को फ्री राशन देकर उनके जीवन में चार चॉद लगानें का जो साहसिक कदम उठाया है वह काफी सराहनीय एवं वांछनीय है।

साहित्यावलोकन–

किसी भी शोध कार्य को करनें से पूर्व शोध से सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन कर लेना अति आवश्यक होता है,क्योंकि ऐसा करनें से शोध में त्रुटि की सम्भावना कम हो जाती है और शोध में मौलिकता आती है।

वाल्टर आर बोर्ग नें कहा है– किसी भी क्षेत्र का साहित्य भविष्य में खण्ड बनानें वाले अध्ययन भवन की आधारशिला होती है।

आशीष बोस– पापुलेशन ऑफ इण्डिया 1992

अख्तर 2008– भारत में महिला सशक्तिकरण मुद्दे एवं चुनौतियॉ

डॉ0 जास्मिन लारेन्स– महिला एवं विकास

के0 यादव 2016 – भारत में शैक्षिक नीतियॉ एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण आदि तमाम शोध कार्य किए गए हैं।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधकार्य के निम्न उद्देश्य हैं–

1) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कितनी महिला परिवारों को लाभ मिल रहा है।
2) इस योजना का उनके जीवन यापन पर क्या प्रभाव पडा है।
3) इस योजना के प्रति महिलाओं के क्या विचार हैं।
4) इस योजना के सफल संचालन में आ रही समस्याओं का पता लगाना।

शोध परिकल्पनाए–

प्राक्कल्पना या उपकल्पना सा0 अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है किसी भी शोधकार्य करनें के पूर्व उपकल्पना का निर्माण कर लेना अति आवश्यक होता है,क्योंकि बिना उपकल्पना का निर्माण किए अगर कोई शोधकर्त्ता शोधकार्य प्रारम्भ कर देता है,तो वह ठीक उसी तरह भटकता है जिस तरह से कोई मुसाफिर रात को अपनें मार्ग को पानें के लिए भटकता है इसलिए उपकल्पना का निर्माण किसी भी शोध कार्य करनें से पूर्व शोधकर्त्ता के लिए बेहद जरूरी है।

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निम्न शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ श्रावस्ती जनपद के अधिकांश महिलाओं को मिल रहा है।
2) इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा है।
3) उक्त योजना से महिलाएं बहुत खुशहाल एवं प्रसन्न है।
4) कुछ महिलाएं विविध कारणों से इस योजना से वंचित हैं।

आंकडा संकलन विधि–

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करनें हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक आंकडे साक्षात्कार अनुसूची से भरे गये हैं तथा द्वितीयक आंकडे श्रावस्ती जनपद के विविध कार्यालयों एवं विभागों से प्राप्त किए गये हैं।

अध्ययन का समग्र व निदर्शनः–

महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण में विविधि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की भूमिका को जानने के उद्देश्य से उ0प्र0 के देवी पाटन मण्डल के श्रावस्ती जनपद का चयन सम्भावित दैव निदर्शन के लाटरी विधि द्वारा किया गया है जिसमें सम्पूर्ण गांवों (ग्राम पंचायत) की सं0–**397** व राजस्व ग्राम की संख्या **536** है। जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या जनगणना **2011** के अनुसार **1117361** है जिसमें पुरूष जनसंख्या **593897** महिला जनसंख्या **523464** जनपद के समस्त महिला उत्तरदात्रियों से सूचना प्राप्त कर पाना एक दुष्कर कार्य है इसलिए शोधार्थी ने अध्ययन की सुलभता एवं अनुसंधान की सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्भावित दैव निर्दशन के लाटरी पद्धति के द्वारा ही श्रावस्ती जनपद के पाँचो विकास खण्ड से चार–चार गांव–

विकास खण्ड इकौना से –भगवानपुर बनकट, चक्रभण्डार, राजगढ़ गुलरिहा, नरपतपुर

विकास खण्ड गिलौला से–औरैया निधान, गोड़ारी, परेवपुर, गिलौला

विकास खण्ड हरिहरपुररानी से –केशवापुर, खैरीकला, गोड़पुरवा, हरिहरपुररानी

विकास खण्ड जमुनहा से–बैजनाथपुर, शिकारी चौडा, तेन्दुआबरॉव, मल्हीपुर खुर्द

विकास खण्ड सिरसिया से– मोतीपुर, टिटिहिरिया, सम्हारपुरवा, सिरसिया

का चयन किया गया है जिसमें कुल जनसंख्या (20 गांव की) **49384** है जिसमें पुरूष जनसंख्या **26184** तथा महिला जनसंख्या **23200** है तथा कुल परिवारों की सं0 (**8000**) है समग्र की विशालता को देखते हुए चयनित गांवो में से उत्तरदात्रियों का चयन प्रत्येक गांवों परिवार की सं0 का **5** प्रतिशत चयन दैव निदर्शन विधि के नियमित अंकन विधि द्वारा किया गया है इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन कुल **400** उत्तरदात्रियों पर आधारित है इनकी सं0 का निर्धारण श्रावस्ती जनपद के जनगणना कार्यालय द्वारा प्राप्त सूची को प्रमाणित मानते हुए किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी

निदर्शन का अभिकल्पः–

क्र0	चयनित गांव का नाम	गांव की कुल जनसंख्या	गांव की पु0 जनसंख्या	गांव की म0 जनसंख्या	गांव के कुल परिवार की सं0	उत्तरदायित्तयों की सं0 (निदर्शन)
1	भगवानपुर बनकट	3059	1625	1434	503	25 (25.1)
2	चक्रभण्डार	1176	624	552	182	9 (9.1)
3	राजगढ़ गुलरिहा	3128	1680	1448	438	22 (21.9)
4	न्रपतपुर	3716	1947	1769	456	23 (22.8)
5	औरैया निधान	1541	836	705	280	14 (14.8)
6	गोड़ारी	2064	1081	983	376	19 (18.8)
7	प्रेवपुर	2333	1250	1083	328	16 (16.4)
8	गिलौला	2251	1173	1078	368	18 (18.4)
9	केशवापुर	1460	782	678	258	11 (10.9)
10	खैरी कलां	2354	1373	981	472	24 (23.6)
11	गोडपुरवा	2268	1225	1043	320	36 (36.1)
12	ळरिहरपुररानी	3853	2083	1770	723	36 (36.1)
13	बैजनाथपुर	2532	1352	1180	384	19 (19.2)
14	शिकारी चौंडा	829	405	424	139	07 (6.9)
15	तेन्दुआबरॉव	614	315	299	134	07 (6.7)
16	मल्हीपुर खुर्द	2547	1319	1228	452	23 (22.6)
17	मेतीपुर कलां	3755	1887	1868	547	27 (27.3)
18	टिटिहिरिया	1513	815	698	259	13 (12.9)
19	सम्हारपुरवा	3221	1707	1514	527	26 (26.3)
20	सिरसिया	5170	2705	2465	893	45 (44.6)
	योग–	**49384**	**26184**	**23200**	**8000**	**400**

नोट– कुल **8000** परिवारों में से प्रत्येक गांव के परिवारों की संख्या का 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

निदर्श में चयनित विविध विकास खण्ड की महिला उत्तरदात्रियों से पूछे गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न–

सारिणी सं0–1

कोरोना काल के दौरान से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको फ्री राशन प्राप्त हो रहा है–

कम सं0	उत्तरदात्रियों के विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ बराबर मिल रहा है	300	75
2	कभी कभी मिल रहा है	20	5
3	पात्र होनें के बावजूद भी कभी नही मिला	20	5
4	हम अपात्र हैं	60	15
	योग	400	100

सारिणी सं0–2

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति आपका क्या विचार है–

क्रम सं0	उत्तरदात्रियों के विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	योजना सराहनीय है	300	75
2	लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिला	10	2.5
3	दुकानदार नें हेरफेर करके दिया	10	2.5
4	कुछ कह नहीं सकते	20	5
5	हम अपात्र हैं	60	15
	योग	400	100

निष्कर्ष–

अध्ययन के उपरांत सारिणी नं0 1 से स्पष्ट होता है,कि 75 प्रतिशत महिला परिवारों को इस योजना का लाभ बराबर मिल रहा है, 5 प्रतिशत महिलाओं को लाभ कभी–कभी मिलता है 5 प्रतिशत महिलाओं नें बताया कि हम पात्रता की श्रेणी में आते हैं और राशनकार्ड बनवानें के लिए बारम्बार सम्बन्धित विभाग का चक्कर लगाते हैं फिर भी न तो राशनकार्ड बन रहा है और न ही मुझे इस योजना का लाभ ही मिल रहा है, जबकि 15 प्रतिशत महिलाएं पात्रता की श्रेणी में नहीं आतीं।

सारिणी नं0 2 में शोधार्थी को यह जानने की जिज्ञासा थी,कि सरकार के इस योजना के प्रति महिला उत्तरदात्रियों के क्या विचार हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि जितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है वे इस योजना से काफी सन्तुष्ट हैं वे 75 प्रतिशत महिलाएं इस योजना की सराहना करती हैं। तथा 2.5 प्रतिशत महिलाओं नें बताया कि जब हमको लाभ ही पूर्ण रूप से नही मिला तो मेरे विचार से योजना कोई खास प्रभावशाली नहीं है जबकि 2.5 प्रतिशत महिलाओं ने दुकानदार को ही आडे हाथों लिया है और जोर देकर कहा है, कि राशन देने में दुकानदार नें बहुत हेरफेर किया है, 5 प्रतिशत महिलाओं नें कुछ भी बोलन सें इन्कार कर दिया 15 प्रतिशत महिलाओं के अपात्र होनें से उन्होंनें घुला मिला विचार प्रस्तुत किया।

उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नें श्रावस्ती जनपद की महिलाओं को काफी प्रभावित किया है इस योजना से महिलाओं की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। यहॉ की महिलाओं नें इस योजना को न केवल कोटि–कोटि सराहा है, बल्कि इसको ऐसे अनवरत जारी रखनें की इच्छा भी जाहिर की हैं परन्तु कुछ पात्र वंचित महिलाएं नाखुश दिखी हैं इस हेतु अभी कार्य किया जाना अपेक्षित है जिससे सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके और वे भी खुशहाली पूर्वक जीवन यापन कर सकें।

निष्कर्ष–

बेशक सरकार नें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री राशन देकर उनके जीवन यापन में चार चॉद लगाया है परन्तु इसके शत प्रतिशत सफल होनें हेतु अभी कुछ और कार्य अपेक्षित हैं–

1) जो महिलाएं इस योजना की पात्रता श्रेणी में आतीं हैं और उनका राशनकार्ड नही बना है उनका राशनकार्ड बनाकर लाभान्वित किया जाय।
2) इस योजना का और प्रचार–प्रसार किया जाय।
3) राशन वितरक दुकानों पर वितरण के दौरान किसी जिम्मेंदार व ईमानदार अधिकारी को बैठाया जाय, जिससे घटतौली, कटौती जैसी समस्या से लाभार्थियों को बचाया जा सके और उनको उनका सम्पूर्ण अंश मिल सके।
4) राशन वितरण की सूचना ससमय लाभार्थियों को दे दी जाय जिससे लाभार्थी बराबर राशन पा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1) **कपाडिया के0 एम0**: भारत में विवाह और परिवार
2) **बोस आशीषः** पापुलेशन ऑफ इंडिया 1991 सेन्शस रिजल्ट्स एवं मेंथोडोलोजी दिल्ली बी. आर. पब्लिकेशन्स
3) **डॉ. राजकुमारः** महिला एवं विकास अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली 2009
4) **सैल्टिज एवं जहोदा**: रिसर्च मेंथड्स इन सोशल रिलेशन्स

पत्र एवं पत्रिकाएं

1) **डॉ. नीलम पाण्डेय 2022**: आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र अप्रैल 2022
2) **जे0 पी0 पाण्डेय 2022:** समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र अप्रैल 2022
3) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र श्रावस्ती
4) उ0प्र0 खाद्य एवं रशद विभाग की बेवसाइट
5) श्रावस्ती जनपद के विविध विभाग एवं कार्यालय
6) समाचार पत्र पत्रिका

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

'राज्यपाल हा नामधारी की खरा सत्ताधीश?'

प्रा.डॉ.शिंदे शाम भागवत
राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, महात्मा गांधी महाविद्यालय,अहमदपूर
Corresponding Author- प्रा.डॉ.शिंदे शाम भागवत
Email- Shindeshyam345@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8134902

प्रस्तावना :

केंद्रातील राष्ट्रपती पदाप्रमाणेच राज्यपाल हा कलम 153 नुसार घटकराज्याच्या सांविधानिक प्रमुख आहे. राज्यघटनेतील कलम 154 द्वारा राज्यपाल पदास कार्यकारी अधिकार बहाल केले आहेत. तर 155 नूसार राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात. कलम 156 नुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतात. सर्वसाधारणपणे 5 वर्षासाठी राज्यपालांची नेमणूक केली जाते. राज्यपालांची नियुक्ती व बडतर्फी याबाबत केंद्र शासनाला सर्वाधिकार देण्यात आलेले आहेत. राज्यपालाने केंद्र व राज्य यांच्यात दुवा साधण्याचे काम पार पाडावे ही अपेक्षा असते. संघराज्यीय व्यवस्थेत केंद्र व राज्य यांच्यात दुवा साधण्याचे काम पार पाडावे ही अपेक्षा असते. संघराज्यीय व्यस्थेत केंद्र व घटक राज्ये यांच्यात संवाद साधणारी महत्वाची घटनात्मक यंत्रणा म्हणून राज्यपालपद महत्वाचे आहे.

राज्यपालाचे स्थान :

चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुका (1967) पूर्वी केंद्रात व बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाचीच सरकारे असल्यामुळे त्यांच्यात फारसे अस्थैर्य नव्हते, किंवा केंद्राशी असलेले राज्याचे संबंध संघर्षाचे वा स्पर्धेचे नव्हते. साहजिकच राज्यपालाची भूमिका विवादास्पद ठरण्याचे काही कारणच नव्हते.आपले विवेकाधिकार वापरण्यास त्याला फारसा वावच नव्हता. राज्यपालाचे पद त्यामुळे अगदीच दुय्यम व उपेक्षित ठरले होते. अनेक राज्यपालांनी याबद्दल पंतप्रधान नेहरुंकडे तक्रारीही केल्या होत्या. पण पंडित नेहरुंनी त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले होते. डॉ.के.व्ही.राव म्हणतात,त्याप्रमाणे,'पंडित नेह डिग्री जिवंत होते तोपर्यंत सर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल हे त्यांचीच निर्मिती होती, त्यांची वैयक्तिक निवड होती. त्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल या दोहोंपैकी मुख्यमंत्र्यांचा स्वाभाविकच पंतप्रधानावर अधिक प्रभाव होता. त्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील मुख्यमंत्री हे अव्वल दर्जाचे नेते होते. उदा.,मध्य प्रदेशाचे रविशंकर शुक्ला,मुंबईचे बाळासाहेब खेर, पं.बंगालचे बी.सी.रॉय,बिहारचे एस.के.सिन्हा इत्यादी नेत्यांपुढे बिनीचे राज्यपालही (उदा.सरोजिनी नायडू,मुन्शी (उत्तर प्रदेश), पट्टाभि सीतारामैय्या (मध्य प्रदेश) निष्प्रभ ठरले.' सरोजिनी नायडंूनी राज्यपालपदाचे वर्णन 'सोनेरी पिंज-यातील पोपट' असे केले आहे. तर श्रीप्रकाश म्हणतात की, 'आखलेल्या कार्यक्रमांवर सही करण्यापलीकडे राज्यपालास कोणताच अधिकार वा कार्य नसते.' पट्टाभींच्या मते, 'पाहुण्यांचे मेजवानी प्रसंगी स्वागत करण्यासाठीच' राज्यपाल असतात. त्यामुळे या पदावर येण्यास आघाडीचे नेते नाराजच असतात. 'सेवानिवृत्त वा पराभूत झालेल्या राजकारण्यांचे व राजकीय अपंगांचे, मंत्रिपदांना व निवृत्त झालेल्या सनदी सेवकांचे राज्यपालपद हे आश्रयस्थान झाले होते.'

या पार्श्वभूमीवर 1967 नंतर काही राज्यपालांनी केलेल्या आपल्या विवेकाधिकारांच्या वापरामुळे वादळे निर्माण होणे साहजिकच म्हणावे लागेल. राज्यपाल प्रसंगी राज्याच्या राजकारणात काही बरे वाईट क डिग्री शकतो याचा प्रत्यय 1967 नंतरच येऊ लागला. अर्थात तत्पूर्वी सर्वच राज्यांमध्ये राज्यपालांची पदे ही केवळ 'नामधारी' होती असे म्हणता येणार नाही. काही राज्यांमध्ये तरी राज्यपालांची भूमिका निश्चितच यापेक्षा अधिक क्रियाशील होती. उदा.पंजाबचे राज्यपाल सी.एम.त्रिवेदी यांच्यावर तेव्हाचे सरकार बरेच विसंबून राहात असे. हेच गृहस्थ 1954 मध्ये आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल असताना त्या राज्याला नागार्जुनसागर धरण मिळवून देण्यात त्यांचा फार मोठा वाटा होता. 'ओरीसाचे मुख्यमंत्री नेहमीच महत्वाच्या विषयावर

माझा सल्ला घेतात; इतकेच नव्हे तर, कॅबिनेट बैठकीचे अध्यक्षस्थान मला देत असतात' असा अहवाल राज्यपाल व्ही.पी.मेनन यांनी 1958 साली दिला आहे. व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, ज्ञान व अनुभव या आधारे अनेक राज्यपाल राज्यांतील राजकारणावर प्रभाव टाकू शकत असत याची अशी कित्येक उदाहरणे सापडतील. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या केरळ, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये राज्यपाल पदे विवाद्यही ठरली होती. 356 च्या कलमान्वये प्राप्त अधिकारांचा,राज्यपालाने या राज्यांमध्ये गैरवापर केला असल्याची टीकाही त्या वेळी करण्यात आली होती.

त्यामुळे 1967 पूर्वीची राज्यपालाची भूमिका आणि 1967 नंतरची भूमिका असा जो भेद करण्यात येतो तो सर्वसाधारण अर्थाने व स्थूलमानानेच होय. रायपालपदांबद्दलचे वाद, त्याच्या भूमिकेबद्दल मतांतरे, त्याच्या हालचालीबद्दल संशय, संदेह इत्यांदीना 1967 नंतर अपूर्व व प्रचंड प्रमाणावर सुरुवात झाली या अर्थाने हा भेद समजून घेतला जाणे आवश्यक आहे.

1967 नंतर राज्यपालाच्या निर्णयांची वैधता अनेक राज्यांमधून आव्हानित होऊ लागली व राज्यपाल प्रत्यक्ष राजकारणामध्ये गोवले जाऊ लागले. राज्यपाल हा केंद्राचा हस्तक आहे आणि केंद्रसरकारारूढ काँग्रस पक्षाच्या बाजूने पक्षपाती आहे, अशी टीका जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी केली आहे. राज्यपालाची नियुक्ती जरी घटनेनुसार राष्ट्रपती करीत असला तरी प्रत्यक्षात पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ ही नियुक्ती करणार हे उघडच आहे आणि अशा प्रकारे नियुक्त झालेली व्यक्ती नियुक्त करणारांचे हितसंबंध साहजिकच जोपासणार, असा टीकाकारांचा अभिप्राय होता. काँग्रेसेतर पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालनियुक्तीची ही पध्दती असंमत होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. राज्यपालांची नियुक्ती करताना 1967 पूर्वी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला क्वचितच घेतला जात असे. सल्ला घेण्याची प्रथाच नव्हती असे नाही. पण एकाच पक्षाची सरकारे केंद्र व राज्यात असल्यामुळे व नेहरूंच्या व्यक्तिमत्वाच्या दडपणामुळे त्या प्रथेला फारसे महत्व राहिले नव्हते. एकच एक नाव त्या पदासाठी सुचवून त्यांपैकी एकाची निवड मुख्यमंत्र्याने करायची अशी नवी प्रथा पडली होती. हरियाणाचे मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंग यांनी अशी मागणी केली की सुचविण्यात आलेल्या नावांना पर्याय सुचविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्याला असावा. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तो अमान्य केला. सुचविलेल्या तीन नावांमधूनच एकाची निवड करावी लागेल असे केंद्राकडून निक्षून सांगण्यात आले. राव बिरेंद्र सिंग व पंजाबचे गुरनाम सिंग या मुख्यमंत्र्यांना त्यातल्या त्यात काँग्रेसत्तर व्यक्तीची निवड त्या तीनमधून करता आली एवढेच.बिहारच्या विरोधी पक्षीय मुख्यमंत्र्याला तर काँग्रेसचाच राज्यपाल पत्कारावा लागला. बिहारचे मंत्रिमंडळ आपला निषेध नोंदवायचा म्हणून राज्यपालांच्या स्वागतासाठी फक्त गेले नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री मात्र 'वैयक्तिक संबंधाखातर' स्वागतास हजर राहिले होते.

राज्यपालाच्या निवडीवरून वादळ होण्यास आणखी एक आनुषंगि कारण घडले. सेटलवाड समितीने असा निष्कर्ष काढला की गुणवत्तेखेरीज अन्य निकषांच्या आधारेच बहुधा आजपर्यंत राज्यपालांच्या नेमणुका झाल्या असून परिणामी सर्वसाधारण दर्जाच्या अनेक व्यक्ती या पदावर आल्या. अहवालात विशेष टीका पराभूत काँग्रेससदस्य व 'निवृत्त राजकारणी व्यक्तीची निवड राज्यपालपदी करण्यावर होती. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यापालांची नेमणूक केली जावी ही मागणी वरकरणी निरूपद्रवी व उपयुक्त वाटली तरी तीमध्ये अनेक अडचणी आहेत. कारण विशेषत: 1967 नंतर राज्यांमध्ये सरकारे इतकी भराभरा बदलत होती की एकच मुख्यमंत्री प्रदीर्घ काळ त्या पदावर राहणे असंभव झाले होते. मग दर वेळी नवा मुख्यमंत्री आल्यावर नव्या राज्यपालाची नियुक्ती करावी की काय, असा महत्वाचा प्रश्न त्यात होता. राज्यपालाची नियुक्ती करताना संसदेचा सल्ला घेतला जावा अशीही एक सूचना पुढे आली होती. पण तीही ग्राह्य नव्हती. कारण त्यामुळे राज्यपालाची नियुक्ती करणे संसदेच्या अधिकारात आले असते. पक्षापक्षांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली असती. राज्यपालपद निर्वाचित ठेवण्यातील अडचणींचे विवेचन मागे आलेले आहेच. तेव्हा राज्यपालाच्या नियुक्तीचा एकच योग्य मार्ग उरतो तो म्हणजे राष्ट्रपतीने नियुक्ती करण्याचा, राष्ट्रपतीनेच त्यासाठी काही इष्ट पायंडे पाडावेत. उदा. स्थानिक राजकारणातून राज्यपाल अलिप्त राहण्याच्या दृष्टीने एका राज्याच्या रहिवाशास दुस-या राज्यात राज्यपाल म्हणून नियुक्त करणे; स्वत: राष्ट्रपतीनंी नि:पक्षपाती राहून अशा नि:पक्षपाती,क्रियाशील व्यक्तीची नियुक्ती करणे इत्यादी.

केंद्राचा हस्तक म्हणून राज्यपालाचे वर्तन अनेक राज्यांमध्ये टीकास्पद ठरले होते. 1967 च्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लगेच राज्यस्थानमध्ये तिथल्या राज्यपालाच्या वर्तनावर टीका झाली. निवडणुकांमध्ये कोणत्याच एका पक्षाला निर्विवाद व स्थिर बहुमत प्राप्त झाले नव्हते. मात्र विरोधी पक्षांनी परस्परांशी सहकार्य केल्यास त्यांना असे बहुमत मिळू शकत होते. विरोधी पक्षानी अशी तयारी दाखवून संयुक्त सरकार निर्मिण्याची आपली इच्छा राज्यपालास कळविली होती. पण विरोधी

पक्षांच्या संयुक्त विधायक दलाची मागणी दुर्लक्षुन राज्यपालाने काँग्रेसपक्षाचे नेते श्री. मोहनलाल सुखाडिया यांना, ते सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून सरकार बनविण्यास 4 मार्च 1967 रोजी सांगितले. राज्यपालाच्या या आदेशावरून जयपूरमध्ये उग्र निदर्शने झाली. तिथली राजकीय परिस्थिती संतप्त झाली. शेवटी श्री.सुखाडियांनीच सरकार बनविण्याचे नाकारले, तेव्हा राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. 13 मार्च 1967 रोजी विधानसभा स्थगित करून राजस्थानात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. लोकसभेत राज्यपालाच्या वर्तनावर सडकून टीका करण्यात आली.

'राज्यपाल हा नामधारी की खरा सत्ताधीश?' हा प्रश्नही बराच काळ तामिळनाडूत एक ज्वलंत प्रश्न होता,आणि अजूनही आहे. सप्टेंबर 1972 मध्ये मदूराईत झालेल्या द्रमुम डिस्ट्रिक्ट कॉन्फरन्समध्ये या चर्चेला प्रारंभ झाला. द्रमुकचे नेते खासदार श्री.मुरासोली यांनी अध्यक्षपदावरून राज्यपाल के.के.शहा राज्यात ज्या पध्दतीने कारभार करतात त्यावर हल्ला केला. 'राज्यपाल केंद्राचे हस्तक म्हणून राज्यात वावरून हेरगिरी करतात. राज्यसरकारचे 13 लाख रूपये ज्यासाठी खर्ची पडतात, ते हे पद खरोखर आवश्यक आहे काय?' असा त्याचा आशय होता. करुणानिधी एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणाले की, 'माझ्या पक्षाची ही आधीपासूनची भूमिका आहे की राज्यपालपद अनावश्यक असून ते नष्ट केले जावे'. राज्यपाल शहांनी राज्यात दौरा करून नागरिकांच्या भेटी घेतल्या व तक्रारी स्वीकारल्या यावरून हा वाद सु डिग्री झाला. शहांचे म्हणणे, त्यांनी यासाठी मुख्यमंत्र्याची परवानगी घेतली होती. कदाचित आलेल्या तक्रारींमध्ये द्रमुकने मदुराई परिषदेसाठी ज्या पध्दतीने प्रचंड पैसा उभा केला होता त्यासंबंधीच्याही काही रास्त तक्रारी असल्यामुळेच करूणानिधींनी राज्यपालाविरूध्द टीकास्त्र सोडले असावे, असा अनेक टीकाकारांचा कयास आहे. राज्यपाल राज्याच्या कारभारावर केंद्राच्या वतीने 'हेरगिरी करतात हाही आक्षेप आत्यंतिकच वाटतो. राज्यपालपदाच्या घटनात्मक जबाबदारींशी त्यांचे हे कृत्य फारसे विसंगत म्हणता येणार नाही. या राज्यात केंद्राबद्दल एकप्रकारचा भयगंड आहे. आपले सरकार कोसळविण्यासाठीच केंद्रसरकार धारणा आकारायला आली आहे. राज्यपालाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तो प्रतिकूल धाराणा आकाराला आली आहे. राज्यपालाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तो प्रतिकूल अहवाल केंद्राकडे करील व परिणामी द्रमुक सरकार कोसळविले जाईल ही भीती या टीकेपोटी दिसते.

अर्थात काही वेळा राज्यपालच अशा गैर समजांना अवसर देत असतात, हे नाकारून चालणार नाही. राज्यपालपद स्वीकारल्यानंतर कोणत्याही पक्षीय राजकारणात लक्ष न घालण्याचे पथ्य राज्यपालाने पाळणे आवश्यक असते. पण कित्येकदा ते पाळले जात नाही. के.के. शहा तामिळनाडूचे राज्यपाल असतांना त्यांच्याबद्दल असे वृत्त आले की, गुजरात काँग्रेसमधील भांडण मिळविण्याचे प्रयत्न ते करणार आहेत. वास्तवीक राज्यपाल शहा यांना काँग्रेस संघटनेतील अंतर्गत भांडणात हस्तक्षेप करण्याचा मुळीच अधिकार पोचत नव्हता. एका राज्यपालाने पक्ष संघटनेतील व्यवहारात लक्ष घालावे हे घटनात्मक व औचित्याच्या दृष्टीने उचित नव्हते. राज्यपालच एखाद्या पक्षाचा असा कैवार घेऊ लागला तर त्याच्या नि:पक्षपातीपणावर कोण विश्वास ठेवणार? राज्यपाल शहा हे काँग्रेस पक्षाचे पूर्वी असले तरी राज्यपाल झाल्यानंतर ते कोणत्याही पक्षाचे राहिलेले नव्हते. अशा परिस्थितीत गुजरात काँग्रेसमधील भांडण मिटविण्याचा त्यांचा उद्योग नुसता अनुचित नव्हे, तर घटनाविषयक संकेताचा भंग करणारा होता.

राज्यपालांच्या वर्तनासंबंधी वर करण्यात आलेल्या सोदाहरण चर्चेवरून काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात येतात. त्या म्हणजे सारख्याच परिस्थितीत विभिन्न प्रकारचे वर्तन राज्यपालांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केले आहे; कित्येकांनी आपल्या विवेकाधिकारांचा वापर अनेकदा पुरेसा विचार न करता केला आहे. आपल्या वर्तनाबद्दल विरोधी पक्षीय राज्यकर्त्यांच्या मनात संदेह निर्माण होण्यास अनेकांनी अवसर दिला आहे. अनेक राज्यपालांना आपल्या पक्षनिष्ठा विसरणे साध्य झालेले नाही इत्यादी. पण एकदा असा अनुभव आल्यावर पुन्हा तसे होऊ नये; हे पद नेहमीकरीता आत्यंतिक टीकेस पात्र ठ डिग्री नये याकरिता उपाययोजना आवश्यक वाटल्यावरून 26 नोव्हेंबर 1970 रोजी राष्ट्रपतीने जम्मू कश्मीरने राज्यपाल भगवान सहाय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यपालांची समिती नेमली होती. राज्यपालाच्या कामकाजाच्या अभ्यास करून काही आदर्शत्मक भूमिका निश्चित करणे, कोणत्या परिस्थितीत कसे वागावे यासंबंधीची एक निश्चित आचारसंहिता तयार करणे व राज्यपालाच्या घटनागत वर्तनाबद्दल इष्ट पायंड्यांवर विचार करणे हे कार्य या समितीवर सोपविले होते. 26 नोव्हेंबर 1971 रोजी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. समितीने केलेल्या काही महत्वाच्या सूचना अशा : राष्ट्रपतीच्या सचिवालयात एक स्वतंत्र खाते निर्माण करून त्यामार्फत राज्यपालासंबंधी, प्रत्येक राज्यातील वस्तुस्थितीसंबंधी आणि राज्यपालाने परिस्थितीनुरूप

काय केले यासंबंधी पूर्ण माहिती संकलित केली जावी आणि गुप्तपणे ती माहिती सर्व राज्यपालांना दिली जावी. म्हणजे राज्यापालांना अधिकृत माहिती उपलब्ध राहू शकेल. सारख्या प्रसंगी सर्वांच्या वर्तनांत व निर्णयांत सारखेपणा येऊ शकेल.

घटनेच्या कलमांचा व अभिप्रेत आशयाचा सारखाच अन्वयार्थ लावणे त्यांना शक्य होईल. राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यातील संबंध घनिष्ठ व सहकार्याचे राहाणे घटनात्मक यंत्रणा सुरळित चालू राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असते. त्यासाठी राज्यात घडणा-या घडामोडींबद्दल व केंद्राशी राज्याच्या असलेल्या संबंधाबद्दल राज्यपालास सातत्याने माहिती मिळत राहण्याची व्यवस्था केली जाणेही आवश्यक आहे.

सारांश :

संभाव्य पेचप्रसंग आणि त्यावरील राज्यपालांच्या संभाव्य कृती यासंबंधी अत्यंत विस्ताराने व साक्षेपाने चर्चा या अहवालात करण्यात आली आहे. त्या संपूर्ण तपशिलांत जाणे येथे शक्यही नाही व आवश्यकताही नाही. फक्त एवढेच जाता जाता नोंदवावेसे वाटते की विवेकाधिकांराचा वापर कराताना राज्यपालांनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की विवेकाधिकार म्हणजे मन:पूत, लहरी निर्णय नाहीतत तर वस्तुस्थितीवर व सत्यावर आधारलेले बुध्दिनिष्ठ निष्कर्ष आहेत. पुरेशा विचारान्तीच त्यांचा वापर केला जाणे आवश्यक असते. स्वत:च पेचप्रसंग निर्माण करून राष्ट्रपती राजवट चालू असताना आधीच्या सरकारचे निर्णय मन मानेल तसे फिरविण्याची, महत्वाचे नवे खर्च लादणारे निर्णय घेण्याची, वा महत्वाच्या जागांवर भराभर नेमणुका करण्याचीही राज्यपालाकडून घटनकारांची अपेक्षा नाही. केंद्र-राज्यातील संबंधात एक निष्पक्षपाती दुवा अशी त्याची भूमिका आहे आणि ती कसोशीने टिकविण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होणे आवश्यक आहे.

राज्याचा घटनात्मक प्रमुख यामध्ये मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करणे, मंत्रिमंडळाची बरखास्ती, कायदेमंडळ बरखास्त करणे,सल्ला देणे, कलम 365 अंतर्गत अहवाल देणे,कलम 200 अंतर्गत विधेयक राखीव ठेवणे,आसाम,नागालँड,अरूणाचल प्रदेश,सिक्कीम,त्रिपुरा आणि मेघालयाच्या राज्यपालांना विशेष जबाबदारी,स्वविवेकाधिकार इ.बाबींचा समावेश होतो. तर केंद्र व राज्य सरकारांना जोडणारा दुवा म्हणून राज्यपाल केंद्र सरकारला अहवाल पाठवतो.केंद्रात राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतो. तसेच राज्यपालांच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रपतींना नियमित पणे भेटणे, केंद्रामध्ये राज्यांची चांगली प्रतिमा उभी करण्यास सहाय्य करणे. इत्यादी कामे राज्यपाल या भूमिकेद्वारे पार पाडतो. परंतु प्रत्यक्षात घटनात्मक प्रमुख आणि दुवा या भूमिकात राज्यपाल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. याउलट बहुतांश राज्यपाल पदाचा व्यवहार हा 'केंद्राचा हस्तक' असाच राहिला आहे. घटनात्मक प्रमुखाने नि:पक्षपातीपणे कार्य करावे, हे अपेक्षित असते तर 'हस्तक' हा नेहमीच पक्षपातीपणे कार्य करत असतो. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे राज्यपालपद सतत वादाच्या भोव-यात अडकले आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1) महाराष्ट्र वार्षिकी 2010 – जाधव तुकाराम
2) राज्यपाल,घटना आणि वास्तव - फडके यु.डी.
3) भा.राज्यघटना स्वरूप आणि राजकारण – के.सागर प्रकाशन पुणे
4) इंडियन पॉलिटी – एम.लक्ष्मीकांत, के.सागर पब्लिकेशन

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास (घरेलू हिंसा के विशेष संदर्भ मे) : एक अध्ययन।

Dr. Poornima Devendra Bairagi
Assistant professor, Shri Indubhai Seth Law College Dahod.
Corresponding Author- Dr. Poornima Devendra Bairagi
Email- Poornima.abhay@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8146294

सारांश

महिलाओ की स्थिति ने पिछले कुछ सदियो मे बड़े बदलावो का सामना किया है प्राचीन काल मे पुरुषो के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्य युगीन काल मे निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारको द्वारा समान अधिकारो को बढ़ावा दिये जाने तक ,भारत मे महिलाओ का इतिहास काफी गतिशील रहा है । महिलाओ के प्रति इस इतिहास को देखते हुए ही शायद भविष्य की भी कल्पना कर ली गयी होगी । अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किए गए प्रयासो मे श्रीमती हंसा मेहता द्वारा यू एन मे स्त्रियो को अधिकारो की आवाज का प्रतिनिधित्व किया जाना अपने आप मे सरहनीय कदम रहा।यूएन ,एनसीआरबी,डबल्यूएचओ यू एन वुमन आदि संस्थाओ द्वारा समय समय पर जारी आकडे वस्तुस्थती बाया करते है। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण विभिन्न अभिसमय - मे अंतर राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासो यथा(घरेलू हिंसा के परिपेक्ष्य),यूएन घोषणा पत्र ,विभिन्न सम्मेलन आदि का अध्ययन करता है। । इस शोध पत्र मे द्वितीय स्त्रोत यथा ,पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, संपादित ग्रंथों व इंटरनेट आदि का समावेश किया गया है।

शब्द कुंजी; -यू.एन. वुमन , अभिसमय ,यूएन घोषणा पत्र ,सम्मेलन, यू.डी.एच.आर.1948

प्रस्तावना अंतर्राष्ट्रीय

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां स्त्री ने अपना परचम ना लहराया हो । युद्ध का मैदान,खेल,साहित्य ,राजनीति ,विज्ञान ,प्रौद्योगिकी राष्ट्रीयअंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं - अपनी कुशलता का परिचय देतेहुए दिखाई देती है मिशन मंगलयान इसका उदाहरण है किंतु विडंबना है की जहां दुनिया चांद पर घर बनाने की ओर अग्रसर है वही इतनी योग्यता होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आज भी दोयम दर्जे पर खड़ी नजर आती है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के उदाहरण हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं यथा महाभारत मैं जब द्रोपदी का दुशासन द्वारा बालों से खींच कर भारी सभा में लाया जाना और उसे दुर्योधन द्वारा अपमानित किया जाना । वही सभा मे बैठे भीष्म पितामाह द्वारा मौनरहकर घरेलू हिंसा को मौन समर्थन कहा जा सकता है । पितृसत्तात्मक सोच के चलते महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में वृद्धि हमें आज भी 21वीं सदी में भी देखने को मिलती है मानसिक, शारीरिक ,आर्थिक प्रताड़ना घरेलू हिंसा में सम्मिलित की गई है भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को समानता,स्वतन्त्रता,गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है ऐसे में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कहीं न काही इस अधिकार के निर्विरोध उपयोग में बाधा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मानव को मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो उनसे कोई भी संस्था छीन नहीं सकती प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकार की रक्षा करें उन्हें वह अधिकार मुहैया कराएं जिनके वे अधिकारी है। ऐसे में घरेलू हिंसा पीड़िता के मानव अधिकारों,संवेधानिक अधिकारो एवं कानूनी अधिकारो का हनन करती महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस तरह महिलाओ कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है किस तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून संधिया के बावजूद भी महिलाओ के प्रति हिंसा की खबरे आए दिन कई अखबारों मे सुर्खियो मे रहते है ।क्या वाकई में यह महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने में यह प्रयास सफल हुए हैं ?

महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास

महिलाओं के लिए समानता का मुद्दा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1946 में महिलाओं की स्थिति के बारे में आयोग के गठन के समय से ही संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का मुख्य विषय रहा है चार्टर की प्रस्ताव मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा द्वारा मौलिक मानवाधिकार, मानव की गरिमा ,एवं मूल्य तथा सभी छोटे-

बड़े राष्ट्रों द्वारा महिला एवं पुरुषों के समान अधिकार में विश्वास व्यक्त किया गया।[1]

संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है चार्टर के अनुच्छेद 1,8,13 ,55 (ब(,62(2) और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील है।संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना जिसे मे व्यावहारिक रूप दिया गया जो एक 1945 प्रमुख केंद्र बना जो महिलाओं के अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर आंदोलन करने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के मानवाधिकारों को विकसित करने, स्थापित करने के लिए समयसमय पर विभिन्न अभीसमय और - घोषणाओं के अतिरिक्त जमीनी स्तर पर विकसित किए गए संघात्मकढांचे के माध्यम से भी प्रयास कियागया ।समाज में महिला और पुरुषों के बीच समानता के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अनेकोंअभिसमय तथा घोषणाएं, अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौतों के माध्यम से उन अधिकारों की पालना करवाई गई

यह अभिसमय और संधिया इस प्रकार है-

1) **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र -10 दिसंबर1948**

अनुच्छेद1 , व 2में समानता के अधिकार को समाहित किया गया है। अनुच्छेद 22,27 में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को शामिल किया गया है तथा 28 से सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

2) **महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की घोषणा 1979**

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया । 3 सितंबर 1981 से क्रियान्वित समझौते को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव रोकने के लिए निम्नलिखित प्रतिबद्धता जाहिर की गई अपनी वैधानिक व्यवस्था में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता के सिद्धांत का समावेश करना तथा उन सभी कानूनों को समाप्त करना जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का समर्थन करते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिए न्यायाधिकरण तथा अन्य लोक संस्थाओं की स्थापना करना व्यक्ति संगठन तथा उद्यमों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति।
इस तरह हम देखते हैं कि यह अभिसमय उन सभी उपायों को समावेशित करता है जिनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन, शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य ,विवाह एवं परिवार में भेदभाव को मिटाता है ।जिसकी झलक हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,19,21,में दिखाई देती है।

3) **विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय (1957)**- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 जनवरी 1957 में विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया यह अभिसमय 11 अगस्त 1958 से क्रियान्वित हुआ तथा भारत ने मई 15 1957 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।इसके अंतर्गत विवाह के पश्चात भी पत्नी को अपनी नागरिकता बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। उसे न तो अपने राज्य की नागरिकता विहीन होना होगा ना ही उस पर अपने पति की राष्ट्रीयता आरोपित की जाएगी[2]

4) **विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु, एवं विवाह के पंजीकरण पर अभिसमय (1962)**- बाल विवाह जैसी कुरीतियों का रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 नवंबर 1962 को विवाह की आयु एवं विवाह के पंजीकरण से संबंधित अभीसमय पर हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस अभीसमय का क्रियान्वयन 9 दिसंबर 1964 को हुआ। इस समझौते के अनुसार राज्य पक्षकार विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करें एवं किसी सक्षम सत्ता द्वारा प्रदान किए गंभीर कारणों जो कि पति और पत्नी के हित में हो कुछ छोड़कर न्यूनतम आयु के अंतर्गत संपन्न हुए विवाह को मान्यता प्रदान न की जाए। इसी संदर्भ में भारत में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को देखा जा सकता है इसके बावजूद इसके भारत में अभी भी बाल विवाह पूर्ण रूप से खत्म हो गया है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा के रूप में बाल विवाह जेसी कुरीतियां देखी जा सकती है। यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान में 700 मिलियन महिलाएं बाल विवाहिता है।

5) **विश्व सम्मेलन-**संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया तथा उस

[1]सिंह एम.के .एवं कुमार आशुतोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, नई दिल्ली कल्पना पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स, 2003 पृष्ठ 140

[2]पलाई अरुण कुमार भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : गठन कार्य और भावी परिदृश्य नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन 1999. पृष्ठ 182)

के उपलक्ष्य में महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन मेक्सिको में आयोजित किया गया इसके पश्चात तीन और विश्व सम्मेलन कोपेनहेगन 1980,नैरोबी 1985 तथा बीजिंग 1995 में किए गए।

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 - (मेक्सिको सम्मेलन)

प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का महिला कल्याण के लिएप्रथम प्रयास था[3] इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष मार्च 81975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975 से 85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इस सम्मेलन में स्त्री शिक्षा ,महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने,लिंग आधारित भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को शामिल करने, सामान राजनीतिक सामाजिक एवं नागरिक अधिकार देने आदि के लिए घोषणा की गई साथ ही संचार व सूचना के प्रचार माध्यमों द्वारा स्त्री की बदलती और विस्तृत होती भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रयुक्त किए जाने पर बल दिया गया।

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 1980 कोपनहेगन सम्मेलन - प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए तथा अगले 5 वर्षो की योजना बनाने के लिए कोपेनहेगन में वर्ष 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए उप 3 विषय शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य जोड़े गए मेक्सिको में घोषित उद्देश्य कोपनहेगन के लिए सार्थक माने गए और शेष दशक के कार्यान्वयन कार्यक्रम का आधार भी बने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारिवारिक स्थानीय राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं व पुरूषों दोनों में महिलाओं की भूमिका से संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात कही गई।[4]

तृतीय विश्व सम्मेलन 1985 नैरोबी सम्मेलन- इस सम्मेलन का आयोजन 15 जुलाई से 26 जुलाई 1985 को किया गया। महावर सुनील राज्य एवं महिला मानवाधिकार जयपुर पॉइंटर पब्लिशर्स पृष्ठ 75 नैरोबी में तृतीय विश्व सम्मेलन में महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु निर्धारित उद्देश्यों के बारे में बताते हैं किइस सम्मेलन मे - निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है–

1) कानूनी सुधारों के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा ,अपनी पसंद का विवाह एवं तलाक देने के अधिकारों को देने की बात कहते हैं
2) महिलाओं में अपने सामाजिक आर्थिक राजनैतिक-सामाजिक एवं पारिवारिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए तथा विकासशील देशों की महिलाओं को भी विकसित देशों की महिलाओं के उन्नत जीवन स्तर तक लाने के प्रयास किए जाएं
3) लड़कियों को लड़कों के समान शैक्षणिकता के स्तर पर लाने हेतु सुविधाएं दी जाएंतथा रूढ़िगत लिंग आधारित पाठ्य चर्चा का उन्मूलन किया जाए।

चतुर्थ विश्व बीजिंग घोषणा में 189 सरकार के प्रतिनिधियों ने बीजिंग घोषणा और कार्य मंच का अनुमोदन किया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आने वाली बाधाएं समाप्त करना है।

यूनिसेफ- यूनिसेफ विकासशील देशों में बच्चों और माताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता पहुंचाती है यह संस्था युद्ध हिंसा और शोषण की शिकार स्त्रियों एवं बच्चों की पीड़ा मिटाने के लिए शिक्षा,सलाह मशविरा और देखभाल उपलब्ध कराने वाली विशेष परियोजना का समर्थन देती है। यूनिसेफ लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले भेदभाव और रीतिरिवाजों की समाप्ति - में सहायता देने के लिए वचनबद्ध है।

महिलाओं की प्रास्थिति संबंधी आयोग--यूएन वीमन)UN-WOMEN)

यह आयोग महिलाओं की समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएन वीमन)UN-WOMEN)का गठन किया गया था यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है इसकी प्राथमिकताओं में महिलाओं एवं बालिकाएं सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त हो शामिल है।[5]

निष्कर्ष एवं सुझाव

अनादिकाल से महिलाओ के प्रति हिंसा का इतिहास अनेक उतारचड़ाव का साक्षी रहा है। इसमे कोई संदेह नहीं - है की महिलाये अपने प्रति होने वाली हिंसा से डट कर लड़ी है जिसमे उन्हे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सस्तर पर पूर्ण

[3]कांत मीरा ,महिला दशक और हिंदी पत्रकारितानई दिल्ली क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी1994 पृष्ठ 26

[4]कांत मीरा ,महिला दशक और हिंदी पत्रकारितानई दिल्ली क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी1994 पृष्ठ 26

[5]www.civilhindipedia.com postesd on October 22nd,2020

सहयोग मिला भी है। विभिन्न अभिसमय सम्मेलन इस बात का समर्थन करते है। बावजूद इसके अभी भी महिलाओ की स्थती संतोषजनक नहीं कही जा सकती। दुनिया भर में 3 में से महिला द्वारा यौन मारपीट या अंतरंग साझेदार द्वारा 1 हिंसा का सामना किया गया। स्रोत:विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैश्विक रूप से महिलाओं की कुल होने वाली हत्याओं में से 38% हत्याया पुरुष अंतरगसाझेदार द्वारा की जाती है स्रोत:विश्व स्वास्थ्य संगठन । 49 देशों में अभी भी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानूनों का अभाव है । जबकि 39 देशों में बेटी और बेटों के लिए समान उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है ।[6] ये समस्या कई दशको से अनसुलझी है । महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा को एक सामाजिक समस्या के रूप मे ,पारिवारिक मुद्दे के रूप मे जाना जाता रहा है ये समस्या वेश्विक है तो समाधान भी वेश्विक स्तर पर किया जाना चाहिए । जिसकी पहली पहल समाज और परिवार से शुरू करनी होगी । पुरुषो को इस समस्या के भाग के रूप मे जोड़ कर देखना होगा पितृसत्तात्मक सोच की मानसिकता मे बदलाव की आवश्यकता है । जिसकी शुरुआत स्वयं के घर से करनी होगी । तभी सही मायने मे इन इन प्रयोसो को सफलता मिलेगी ।

[6] Gender Equality Programs in India | SDG 5 - UN India

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

वर्तमान राजनीति में राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका

अजय कुमार ओझा
पीएच०डी० रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा
Corresponding Author- अजय कुमार ओझा
Email- ojhaajay019@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8146298

सारांश:-

राज्यों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों को संचालित करने के लिए हमारे संविधान वेताओं ने संसदात्मक शासन व्यवस्था के साथ-साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ गुणों को अपनाया । विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए कार्यपालिका का गठन किया गया है। हमारे देश के संघीय शासन की भांति भारतीय राज्यों में भी कार्यपालिका के तीन स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में वह राज्य एवं केंद्र के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। लेकिन आजादी के कुछेक वर्षों बाद से ही राज्यपाल का पद एवं भूमिका विवादों से घिरा हुआ है। यह विवाद चाहे राज्यपालों की नियुक्तियां या बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला अथवा राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं राज्यों में की गई सरकार की गठन का मामला राज्यपाल का पद एवं भूमिका किसी न किसी कारण से विवाद के केंद्र में रही है। वर्तमान राजनीति में इसके विवाद का स्वरूप बिहर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि राज्यपाल का पद वाकई केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों में विवाद का मूल कारण क्या है।

शब्द कुंजी:- राज्यपाल, विवाद, भूमिका, राजनीति, अनुच्छेद, संवैधानिक

परिचय:- किसी भी राज्य के संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल उस राज्य का सर्वोच्च होता है। उसे किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर रहकर राज्य एवं केन्द्र के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के कुछ अधिकार दिए गए है। किंतु अक्सर राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है। जो केंद्र सरकार के इशारों पर कठपुतली की तरह कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को बर्खास्त करना, राज्य सरकार द्वारा पारित कुछ विशेष अधिनियमों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मनमाने ढंग से पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना आदि के संदर्भ में राज्यपाल को केंद्र सरकार की कठपुतली माना जाता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद जिसकी अपनी गरिमा एवं विशेषाधिकार है। कुछेक अपवादों को छोड़कर राज्यपालों ने राज्य सरकारों को बेहतर राह दिखाई तथा भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया है।

लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों का मालिक होता है, और इसी के हस्ताक्षर से मंत्रिमंडल का संचालन होता है। वह बात अलग की है कि मंत्रीमंडल के सदस्य आम जनता से चयनित होकर आते है, और राज्यपाल केंद्र सरकार के राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से चयन होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद स्वरूप बना रहता है। राज्यपाल की चयन प्रक्रिया भी विवाद का ही स्वरूप है। जो कि राज्य एवं केंद्र में विवाद का कारण बना रहता है। [1]

1- राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विवाद:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आरंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु दो परंपराओं का पालन किया जाता था जैसे पहली प्रथा यह है कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा जो उस राज्य का निवासी ना हो इस प्रकार के प्रथा के होते हुए भी कई बार इस प्रथा को तोड़ा गया है, जो कि उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जैसे कि डॉक्टर आईच० सी० मुखर्जी को बंगाल का राज्यपाल बनाना तथा सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया जाना।

दूसरी प्रथा के रूप में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से इस मसले पर सलाह मशवरा करके अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति में उसकी राय प्राथमिकता के आधार पर रखकर इसकी नियुक्ति की जाती थी। ऐसा 1967 के पहले होता था। जब केंद्र और राज्य में दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार रहती थी तो यह विवाद का मुद्दा नहीं बनता था।

लेकिन 1967 में चौथी आम चुनाव के बाद से कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के बनने से केंद्र और राज्य के संबंधों में थोड़ा कड़वाहट उत्पन्न हुआ जिसका परिणाम इस प्रथा को तोड़कर मनमानी ढंग से केंद्र सरकार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करने लगा जो विवादास्पद रुप को धारण कर लिया।

सबसे पहले 1967 में हरियाणा के मुख्यमंत्री राऊ बिरेंदर सिंह ने केंद्र सरकार से यह अपील की थी की राज्यपाल के पद के लिए एक पैनल बनाकर जिसमें तीन चार व्यक्ति का नाम हो और उस नाम पर राज्यों की राय को सहभागी बनाया जाए उसके उपरांत ही राज्यपाल का चयन किया जाए। लेकिन इनके राय को केंद्र सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया।

इसी प्रकार से जॉब बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने श्री नित्यानंद कानूनगो की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री विरोध प्रकट करते हुए राज्यपाल का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर भी नहीं गए थे।[2] इसी प्रकार से 1988 में जब हरियाणा में खुफिया विभाग के मुखी को राज्यपाल नियुक्त किया गया उस समय मुख्यमंत्री देवीलाल से किसी प्रकार का सलाह नहीं लिया गया था।

इसी प्रकार से 23 मई,ऐ 1993 में राजस्थान के राज्यपाल चैना रेडी को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त करते समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जय ललिता से किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया था।[3] इस प्रकार के अनेकों उदाहरण धरे पडे हुए है जो आज तक इसी रूप में चलते आ रहा हैं।

2- राज्यपाल की भूमिका संबंधी विवाद:-

राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 159 की शपथ में निर्धारित की गई है। जिसका मूल संविधान और कानून का संरक्षण सुरक्षा और बचाव करना है। जो अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित शपथ के समान है वही मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए निर्धारित पद की शपथ "सच्ची आस्था रखने और संविधान के प्रति निष्ठा रखने" पर केंद्रित है। जिसे तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक निष्क्रिय स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा जा सकता है। प्रावधानों के अनुरूप चलना या बने रहना अंतर अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन राज्य में केवल एक ही व्यक्ति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव के लिए पद की शपथ से बंधा है और वह है राज्यपाल। शपथ की ऐसी शब्दावली एक हद तक संविधान निर्माताओं के दिमाग और इरादों को उजागर करती जिन्होंने संवैधानिक प्रमुख के लिए कहीं अधिक व्यापक भूमिका की परिकल्पना की होगी।[4] लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग ही नजर आती है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल केवल सीएम की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य। साथ ही अनुच्छेद 154 (1) या स्पष्ट करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा। हाल ही की बात है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल राज्य के सरकार के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। राज्यपाल महोदय ने राज्य के वित्त मंत्री के० एन० बाल गोपाल की टिप्पणी को और देशद्रोही, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाली और क्षेत्रवाद को प्रायोजित करने वाली मानते हैं। लेकिन सीएम पी० विजयन ने इस मांग को खारिज कर दिया है।[5] मानो ऐसा प्रतीत होता है की शासन व्यवस्था में राज्यपाल सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद भी उसके आदेशों को खारिज करना सोचनीय विषय है। इसको हल्का में लेना राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का हनन है। जिसको उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा किया जाए यह न्यायोचित नजर नहीं आता। यहां पर राज्यपाल के गरिमा एवं कानून को सम्मान करते हुए बड़बोले मंत्री पर करवाई करने की आवश्यकता थी। जिससे प्रशासनिक प्रोटोकॉल बरकरार रह सके।[6]

हाल के महीनों में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच रिश्ते और भी तल्ख होते जा रहे हैं। एक दूसरा मामला महाराष्ट्र राज्य सरकार और वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्योरी के बीच का जिसमें यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कैसे एक राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर राज्य सरकार में उथल-पुथल उत्पन्न कर देता है। महाराष्ट्र के मामले में यह अत्यधिक विवादित हैं कि राज्यपाल ने मूल शिवसेना पार्टी से अलग हुए गुटके एक विवादित नेता श्री एकनाथ शिंदे को उनके नेतृत्व की संवैधानिक स्थिति का पता लगाए बिना सीएम पद की शपथ लेने की अनुमति कैसे दी। श्री उद्धव ठाकरे भी अपने साथ दो तिहाई बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि किस संवैधानिक आधार पर वह किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ विलय किये बिना अपने गुट को प्रमाणित कर सकते हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार विलय एक प्राथमिक आवश्यकता है। यहां यह बात अप्रासंगिक है कि आपके साथ दो तिहाई या तीन चौथाई बहुमत है। यदि ऐसा नहीं है तो दलबदल और सत्ता संघर्ष में खरीद-फरोख्त की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए डाली गई दसवीं अनुसूची की क्या व्याख्या?[7]

अभी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। चुकी मामला अभी अदालत में है इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जो फैसला सुनाएगा वह भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के लिए उदाहरण बन जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में राज्यपाल भगत सिंह को कोश्योरी ने उन पंक्तियों की व्याख्या की है जो संवैधानिक दस्तावेजों में नहीं लिखी गई है।

राज्यपालों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं की हुए अधिक समय तक विधेयक को लटकाए रहते हैं ऐसा उन राज्यों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां केंद्र और राज्य की सरकारी अलग-अलग पार्टियों की हैं यदि हम पिछले वर्ष के आंकड़े देखते हैं तो राज्यपालों ने 57% विधायकों को 1 महीने के भीतर मंजूरी दी है कुछ मामलों में तो 10 दिन के

भीतर भी राज्यपालों ने विधेयक को मंजूरी दी है लेकिन ऐसे भी मामले हैं जिसमें 6 महीने तक का समय लगा खासकर उन राज्यों में जहां गैर भाजपा सरकार हैं यहां औसतन 2 से 6 महीने तक का समय लग रहा है।

राज्य और केंद्र के मध्य राज्यपाल के विवादास्पद मामला में तमिलनाडु विधानसभा एक कदम आगे बढ़कर गत अप्रैल माह में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल को एक निश्चित समय में विधानसभा द्वारा पारित वीलो को मंजूरी दे देनी चाहिए।

सांसद या विधानसभा में पारित विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही कानून बनता है। संसद या विधानसभा कितने भी विधेयक क्यों न पारित कर लें, लेकिन अगर उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी तो यह किसी काम के नहीं होते, संविधान में राज्यपालों को अधिकार है कि वह मंजूरी के लिए भेजे गए विधानसभा से पारित बिलो को मंजूरी दे सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकते हैं। नियम तो या अभी कहता है कि अगर राज्यपाल ने एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया तो अगर दूसरी बार वही विधेयक फिर से पास होकर मंजूरी के लिए आता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी पड़ती है। कई बार राज्यपालों पर विधेयक को लंबे समय तक रोके रखने के भी आरोप लगते। कुछ मामलों में तो विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है।

तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधायकों को लटकाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में केस जाने के बाद राज्यपाल ने लंबित विधेयकों को मंजूरी दी थी। इसका कारण है कि संविधान में राज्यपालों को किसी विधेयक पर मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

2022 के० पी० आर ० एस० लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित 57 प्रतिशत विधेयकों को राज्यपालों ने एक महीने के अंदर मंजूरी दी थी। इसे तर्कसंगत समय कहा जा सकता है। 31.03 प्रतिशत विधेयकों को मंजूरी मिलने में दो महीने से ज्यादा समय लगे। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां राज्यपाल की मंजूरी में औसतन बहुत ही कम समय लगा।

3- अनुच्छेद 356 के संबंध में विवाद:-

हमेशा से राज्य सरकारों द्वारा धारा 356 के संबंध में विवाद उत्पन्न होते रहा है, कि राज्यपाल इस अस्त्र का उपयोग अपने स्वविवेक कहे या केंद्र के विपरीत सरकार के इशारों का परिणाम जो कि राज्यपाल के हाथों कराया जाता है। इस संदर्भ में पूंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश की थी।[8] सरकारिया आयोग (1988) सिफारिश की थी अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो गया हो। [9]

इसके अलावा और आयोगों ने इस विषय में रोचक सिफारिशें की जिस में प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971), और न्यायमूर्ति वी० चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सिफारिशें की है।

एस० आर० बोल्लई मामला (1994) के मामले में ध्यान देने से मिलता है, कि अनुच्छेद 356 के मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया है।[10] इस निर्णय के मुताबिक विधानसभा ही एक मात्र ऐसा मंच है, तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिए, न की राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।

4- सुझाव:-

वर्तमान राजनीति में राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका पर हमने जो अपने विवेक के अनुसार जो उचित सुझाव हमने पाया वो निम्न वत हो सकता है।

1) राज्यपाल को सरकार की कार्यप्रणाली चलाने हेतु यह आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों और व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करते हुए वविवेकपूर्ण निष्पक्ष एवं कुशलता से कार्य करें।
2) राज्यपाल पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रबल आवश्यकता है।
3) संघवाद के संबंध में अंतर राज्य परिषद और राज्यसभा की भूमिका को मजबूत किया जाना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
4) राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य विधायिका के परामर्श को महत्व देना चाहिए। केंद्र तथा राज्य सरकार को आपसी सामंजस्य स्थापित करके चयन करना चाहिए।
5) राज्यपाल के लिए आचार संहिता में कुछ मानदंड और सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए जो राज्यपाल के विवेक और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सके।

5- निष्कर्ष:-

चूंकि राज्यपाल का पद संवैधानिक गरिमामई पद है, इस पद को बरकरार रखने के लिए इसकी शक्ति को कम करना न्यायोचित नहीं होगा। अपितु इसके शक्ति में विद्वान स्वविवेक की शक्ति को राज्यों की विधायिका के ध्यान में रखते हुए संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखकर करना चाहिए न कि केंद्र सरकार के इशारे पर। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से की जाती है। उसमें सुधार की आवश्यकता है उस सुधार के साथ राज्यों के सलाह को भी प्राथमिकता देना चाहिए। संघवाद का ध्वजा फहरता रहे इसलिए राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों का विस्तार करना चाहिए जिससे राज्य सरकारें भी नियंत्रण में रह सके। केंद्र और राज्य में विपरीत सरकारों के होने से दोनों के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है इस तनाव के स्थिति में केंद्र सरकारों को राज्यपाल को अपना मोहरा नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा विवादास्पद

स्वरूप हमेशा प्रगट होता रहेगा और आगे चलकर राज्य सरकारें अध्यादेश ला ला कर राज्यपाल की शक्तियों को कम करते रहेंगे। अंततः संघवाद का ढांचा ध्वस्त हो जाएगा अतः दोनों ही पक्षों को मनमानी के जगह संवैधानिक अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए जिससे विवाद का समन हो सके।

6- संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1) भारतीय संविधान डीडी बसु
2) राज्यपाल की विवादित भूमिका एक बार फिर उजागर, ओम प्रकाश अजाबे, अर्थशास्त्र और राजनीति 2 नवंबर 2022 का एक लेख
3) वही
4) वही
5) राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा, पेज 614
6) राज्यपाल की भूमिका संबंधी विवाद दृष्टि आई ए एस दिल्ली का लेख 19 जून 2021
7) वही
8) वही
9) दैनिक जागरण समाचार पत्र 27/06 / 2023
10) वही

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

"वर्तमान परंपरागत ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

प्रोफेसर, आलोक कुमार[1], संदीप निमेष[2]
[1]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
[2]शोध छात्र, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Corresponding Author- प्रोफेसर, आलोक कुमार
DOI- 10.5281/zenodo.8146303

सारांश

प्रस्तावना– अस्पृश्यता एक समूह को निष्कासित करने की प्रथा है, जो उन्हें सामाजिक प्रथा या कानूनी जनादेश द्वारा मुख्य धारा से विभाजित करके उन्हें अलग करती है। **उद्देश्य–** सूचनादाताओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि व परंपरागत ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारणों एवं स्वरूपों का अध्ययन करना है। **निष्कर्ष–** अधिकतम 41.50 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से हैं, 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, 62.50 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से हैं, 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं, 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के है, 69.00 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं, 60.00 प्रतिशत जाति को अस्पृश्यता का कारण मानते हैं, 68.00 प्रतिशत भोजन सम्बन्धी निषेधों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, 90.00 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि जातिगत व्यवसाय नहीं करना चाहिये, 78.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि जाति प्रथा के कारण अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है, 83.00 प्रतिशत सूचनादाताओं को धार्मिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाता है, 81.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि निम्न और उच्च जातियों में अस्पृश्यता पायी जाती है तथा 76.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि अस्पृश्यता को सामान्य जाति अधिक मानती है।

कुंजी शब्दः ग्रामीण समाज, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कारण एवं निवारण

1. प्रस्तावनाः–

अस्पृश्यता एक समूह को निष्कासित करने की प्रथा है, जो उन्हें सामाजिक प्रथा या कानूनी जनादेश द्वारा मुख्य धारा से विभाजित करके उन्हें अलग करती है। बहिष्कृत समूह वह हो सकता है जो बहिष्कृत समूह के मानदण्डो को स्वीकार नहीं करता था और ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशियों, खानाबदोश जनजातियों कानून तोड़ने वालों और अपराधियो और एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित लोगों के मानदण्डों को स्वीकार नहीं करता था। यह एक ऐसा समूह भी हो सकता है, जो एक निश्चित समूह द्वारा लागू सीमा शुल्क में बदलाव को स्वीकार नहीं करता। यह अपवर्जन कानून तोड़ने वालों को दण्डित करने का तरीका था और अजनबीयों और संक्रमित लोगों से सम्भोग के खिलाफ पारम्परिक समाजों की रक्षा करना था। बहिष्कृत समूह का एक सदस्य अछूत के रूप में जाना जाता है। **(बर्ज़र, 2013)**

अस्पृश्यता भारतीय जाति–प्रथा की देन है। इसे जाति–प्रथा का भयंकर अभिशाप कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में **'यंग इंडिया'** में कहा है कि "अस्पृश्यता को मैं हिंदू धर्म का सबसे बडा कलंक मानता हूँ।" यह अत्यन्त दुःखद बात है कि मानव में इतना बड़ा भेद भारत में पनपा। बात केवल यह नहीं कि अस्पृश्यों को छूने से ही व्यक्ति अपवित्र हो जाते हैं बल्कि ऐसे भी उदाहरण भारतीय समाज में देखने को मिलते है कि अस्पृश्यों को देखने या उसकी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते है। दुर्भाग्यवश मानव–मानव के बीच इस तरह भेद करने वाला यह शब्द भारत की गौरवमयी धरती पर उत्पन्न हुआ। **(पणिक्कर, 1956)**

अस्पृश्यता उस परंपरागत मनोभाव एवं व्यवहार प्रतिमान का घोतक है, जिसके अनुसार पंचम वर्ण के सदस्य अछूत छूने योग्य नहीं है। इसलिये उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखना न केवल उच्च जातियों का कार्य है बल्कि अस्पृश्य जातियों का भी कर्त्तव्य है कि वे उच्च जातियों के सदस्यों से दूर रहें एवं उन्हें नहीं छुए। अस्पृश्यता नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह छुआछूत की भावना भेदभाव पर आधारित है। यह भेदभाव लोगों के व्यवहारों में प्रकट होता है। यह सामाजिक असमानता का वह नग्न दृश्य है, जिसके आधार पर मानव, मानव से केवल स्पर्श मात्र से भ्रष्ट तथा अपवित्र हो जाता है। लोग समीप आने एवं देखने मात्र से अपवित्र हो जाते हैं। अस्पृश्यता जाति–प्रथा के परिणामस्वरूप विकसित वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य–मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही उच्च जातियों के व्यक्ति अपवित्र हो जाते हैं। **(गांधी, 1941)**

अपवित्रता से बचने के लिये अस्पृश्य व्यक्तियों को उच्च जातियों से पृथक् रहने की व्यवस्था की गई है तथा अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसके कारण अस्पृश्यों का जीवन नर्कमय हो जाता है। उनसे जीवन की समस्त सुख एवं समृद्धि छीन ली जाती है। इस तरह से उनकी सामाजिक हत्या कर दी जाती है। जीवित रहते हुये भी मृतक के समान जीवन व्यतीत करते हैं। अछूतों के साथ उठने–बैठने, खाने–पीने या सामाजिक सम्बन्धों को बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अस्पृश्यता के अंतर्गत केवल अछूत जातियों के प्रति उच्च जातियों के मनोभाव एवं व्यवहार प्रतिमान ही शामिल नहीं है बल्कि उच्च जातियों के प्रति अछूत जातियों के मनोभाव व व्यवहार प्रतिमान भी शामिल हैं। अस्पृश्यता एवं अछूतपन के सम्बन्ध में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, "हिन्दुओं का अछूतापन एक ऐसी अनहोनी घटना है जिसका अनुभव मानव समूह ने संसार के किसी अन्य भाग में नहीं किया है। **(अम्बेडकर, 1998)**

कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहती हैं। इनका स्पर्श भी उच्च जातियों के सदस्यों को अपवित्र बना सकता है। ऐसी ही जातियों के सदस्य भी उच्च जातियों के सदस्यों को अस्पृश्य

कहा जा सकता है, यह क्रिया अस्पृश्यता कहलाती है। **(मजूमदार, 1958)**

विधिवेत्ता डॉ० कैलाशनाथ काटजू ने अस्पृश्यता के लिये 1956 में विधेयक बनाया था, उसके अनुसार, "किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर (क) समान धर्म के मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिऐ खुले सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश से, (ख) सार्वजनिक पूजा के स्थान पर उसी रूप में पूजा करने से, या प्रार्थना करने से किसी भी तरह का धार्मिक सेवा–कर्म करने से या किसी पवित्र जलाश्य, कूप, झरने या जल स्त्रोत का जिस रूप में समान धर्म के अनुयायियों को अनुमति है, प्रयोग करने से है और (ग) दुकान, होटल, सार्वजनिक जलपान गृह, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक आवागमन के साधन, औषद्यालय, शैक्षणिक संस्था या दातत्वय ट्रस्ट में पहुंचने या प्रयोग करने से रोकना अपराध है। **(सिंह, 1994)**

2. अध्ययन समस्या का तर्कः–

सुरिन्दर, एस० जोधका और घनश्याम, शाह (2010) ने अपने अध्ययन "असमानता का तुलनात्मक अध्ययन : असमानता और जाति दक्षिण एशिया में" चार देशों "बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका" में दलितों की स्थिति, सामाजिक असमानता की विशिष्ट समस्याओं (धर्म व परम्परा) और दलित समूहों के वंशानुक्रमों की समस्याओं का सर्वेक्षण विधि द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि दलित अस्पृश्यता और उसके स्त्रोतों (धर्म व परम्परा) के कारण आर्थिक अभाव, सामाजिक बहिष्कार और अपमान का जीवन जीने को विवश है। दक्षिण एशिया "बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका" में दलितों की स्थिति बहुत निम्न बनी हुई है। दलितों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है तथा दलितों को अछूत माना जाता है और उन्हें धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से भी रोका जाता है, जिसके कारण दलित निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। दलितों को पढ़ा–लिखा होने के बावजूद भी उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा था। जिसका दलितों ने आंदोलन करके विरोध किया तथा संगठित होकर अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने प्रारम्भ कर दिये। जिससे दलितों ने अपनी असमानता और वंशानुक्रमों की समस्याओं को निम्न स्तर पर ला दिया है।

सुखदेव थोराट (2004) ने अपने अध्ययन "निजि क्षेत्र के लिए आरक्षण नीति" में आन्ध्र प्रदेश (वेंकेटशवरलू 1990), कर्नाटक (खान 1995), उड़ीसा (त्रिपाठी, 1994) व अन्य 10 राज्यों के अध्ययनों से एस०सी०, एस०टी० और ओ०बी०सी० का निजि क्षेत्र के सन्दर्भ में कृषि (भूमि), रोजगार, मजदूरी, पूँजी व अन्य आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण पद्धति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि एस०सी०, एस०टी० और ओ०बी०सी० जैसे सीमांत समूहों के मध्य आर्थिक भेदभाव बहुत अधिक मात्रा में था। इन सीमांत समूहों के मध्य आरक्षण नीति को उचित पैमाने पर लागू किया जाना चाहिये तथा आरक्षण नीति में न केवल रोजगार बल्कि बाजार, कृषि (भूमि), पूँजी उपभोक्ता वस्तुओं, शिक्षा, आवास सरकारी ठेके आदि को इसके क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण हिन्दू समाज में यह प्रश्न कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि उनका अध्ययन व विश्लेषण किया जाये। भारतीय हिन्दू समाज में भी राजनैतिक रूप से भी अस्पृश्यता की समस्या एक जटिल समस्या रही है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त करने के बहुत प्रयत्न किये परन्तु अस्पृश्य जातियों के मध्य अस्पृष्यता के प्रश्न पर उन्होंने कुछ न करना ही उचित समझा और ग्रमीण समाज की ओर तो अस्पृश्य जाति के मध्य अस्पृश्यता पर तो किसी विद्वान, लेखक व समाज सुधारक का ध्यान नहीं गया उन्होंने इन समस्या पर ध्यान भी देना उचित न समझा।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अस्पृश्यता का विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन हुये है एवं अनेकों शोध लेख प्रकाशित हुए है लेकिन अस्पृश्यता को लेकर किसी भी एक गाँव का अध्ययन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अतः इस शोध में अस्पृश्यता का प्रभाव एक गाँव के व्यक्तियों पर जानने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य में एक गाँव में अस्पृश्यता कें कारणों, अस्पृश्यता के प्रभावों व अस्पृश्यता की वर्तमान में प्रासंगिकता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। समाज में अगर अस्पृश्यता का अध्ययन करना है तो हमें समाज की छोटी व महत्वपूर्ण इकाई गाँव पर अस्पृश्यता के कारणों व प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है।

3. अध्ययन के उद्देश्यः–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया है।

1) सूचनादाताओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2) परंपरागत ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारणों एवं स्वरूपों का अध्ययन करना।

4. चयनित साहित्य की समीक्षाः–

सुरिन्दर, एस० जोधका और घनश्याम, शाह (2010) ने अपने अध्ययन "असमानता का तुलनात्मक अध्ययन : असमानता और जाति दक्षिण एशिया में" चार देशों "बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका" में दलितों की स्थिति, सामाजिक असमानता की विशिष्ट समस्याओं (धर्म व परम्परा) और दलित समूहों के वंशानुक्रमों की समस्याओं का सर्वेक्षण विधि द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि दलित अस्पृश्यता और उसके स्त्रोतों (धर्म व परम्परा) के कारण आर्थिक अभाव, सामाजिक बहिष्कार और अपमान का जीवन जीने को विवश है। दक्षिण एशिया (बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) में दलितों की स्थिति बहुत निम्न बनी हुई है। दलितों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है तथा दलितों को अछूत माना जाता है और उन्हें धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने से भी रोका जाता है, जिसके कारण दलित निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। दलितों को पढ़ा–लिखा होने के बावजूद भी उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा था। जिसका दलितों ने आंदोलन करके विरोध किया तथा संगठित होकर अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने प्रारम्भ कर दिये। जिससे दलितों ने अपनी असमानता और वंशानुक्रमों की समस्याओं को निम्न स्तर पर ला दिया है।

सुखदेव थोराट (2004) ने अपने अध्ययन (निजि क्षेत्र के लिए आरक्षण नीति) में आन्ध्र प्रदेश (वेंकेटशवरलू 1990), कर्नाटक (खान 1995), उड़ीसा (त्रिपाठी 1994) व अन्य 10 राज्यों के अध्ययनों से एस०सी०, एस०टी० और ओ०बी०सी० का निजि क्षेत्र के सन्दर्भ में कृषि (भूमि), रोजगार, मजदूरी, पूँजी व अन्य आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण पद्धति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि एस०सी०, एस०टी० और ओ०बी०सी० जैसे सीमांत समूहों के मध्य आर्थिक भेदभाव बहुत अधिक मात्रा में था। इन सीमांत समूहों के मध्य आरक्षण नीति को उचित पैमाने पर लागू किया जाना चाहिये तथा आरक्षण नीति में न केवल रोजगार बल्कि बाजार, कृषि (भूमि), पूँजी उपभोक्ता वस्तुओं, शिक्षा, आवास, सरकारी ठेके आदि को इसके क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

ए०एम० शाह (2007) ने अपने अध्ययन (शुद्धता, अशुद्धता, अस्पृश्यता तब और अब) में आधुनिक समय में शुद्धता, अशुद्धता व अस्पृश्यता का अछूत जातियों के बीच

विभाजन और पदानुक्रम का अध्ययन ऐतिहासिक पुर्नावलोकन व अवलोकन विधि द्वारा अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के अन्तर्गत किया और पाया की शुद्धता, अशुद्धता और अस्पृश्यता की कसौटी पर रखी जाने वाली नीची जातियों में उद्धर्वाधर परिवर्तन हुआ है तथा इस परिवर्तन को गति प्रदान करने वाले कारक औद्योगिकरण, शहरीकरण, पश्चिमीकरण, लौकोकीकरण, तार्किकता, मानवीयकरण है, जिनसे निम्न जातियों व उच्च जातियों के मध्य समानता की भावना पनपी है।

सुरिन्दर, एस० जोधका (2002) ने अपने अध्ययन (पंजाब में अस्पृश्यता) में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हरित क्रांति की सरलता से जातीय सम्बन्ध और अस्पृश्यता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जिसमें विशेषकर कृषि क्षेत्र में 'हदबंदी', 'दूरी' और 'स्वायत्ता' के सम्बन्धों को सर्वेक्षण विधि द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्य जातियों की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अब अस्पृश्य जाति राजनैतिक क्षेत्रों में भी भागीदारी लेने लगी है, जिससे वे और अधिक सक्षम हो रही है। हरित क्रान्ति से अस्पृश्य जातियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्वायत्ता प्राप्त हुई है, जोकि जातीय संस्था और अस्पृश्यता के अन्तर्गत 'हदबंदी', 'दूरी' और 'स्वायत्ता' के उन्मूलन के लिए पर्याप्त है।

नटवरलाल वर्मा (2012) प्रस्तुत लेख में श्री नटवरलाल शर्मा ने दलित समाज में व्यवसाय में आए परिवर्तन और उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की है, अध्ययन में उन्होंने कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला। अपने निष्कर्षों में वे कहते हैं कि दलित जाति में 62.50ः व्यावसायिक परिवर्तन आये हैं। लेकिन अभी तक गाँवों में भेदभाव मौजूद है, और अपने वर्तमान लेख में उन्होंने वर्णन किया है कि अनुसूचित जाति, चमार लोगों के बीच आंतरिक अस्पृश्यता है। मृत पशुओं की खाल निकालने के व्यवसाय में शामिल जातियाँ हैं और बुनकर जाति इस व्यवसाय में शामिल नहीं है, इस प्रकार दोनों जातियाँ व्यवसाय और सामाजिक स्तर के अनुसार अलग–अलग होती हैं, बुनकर चमार से ऊँचा होने के कारण दोनों जातियों का सामाजिक व्यवहार भिन्न होता है और यह तय करते हुए कि अलग जाति समूह है, इन सभी आधारों पर चमार और बुनकर समुदायों के विभिन्न निवास दिखाई देते हैं, इस लेख में नटवरलाल वर्मा अनुसूचित जाति के बीच समतलीकरण के संबंध में चर्चा करते हैं।

स्टीव टेलर (2014) ने अपने अध्ययन "एक पंजाब दलित डायस्पीरा के बीच धार्मिक रूपांतरण और दलित दावाष में यू०के० के वाल्वरहेम्पटन के सिक्ख समुदाय में उस सीमा का आकलन किया है, जिस पर यह प्रक्रिया एक साथ दलित आकलन और जाति आधारित उत्पीड़न को प्रतिरोध में से एक हैं, जिससे समकालीन पंजाबी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सामाजिक परिवर्तन को अधिक सुविधाजनक मानते है।

मार्क गालांटर (1969) ने अपने अध्ययन "अस्पृश्यता और कानून" में अस्पृश्यता सम्बन्धित कानून और जाति व्यवहार के बीच सम्बन्ध की समीक्षा ऐतिहासिक पुर्नावलोकन व सर्वेक्षण विधि द्वारा की और पाया कि स्पृश्यता कानून जाति व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के लिए निमयों का एक सेट है जो अस्पृश्यता, समानता–असमानता व जातीय विवादों को सुलझाने का एक पैटर्न बनाता है।

आरडी लैम्बर्ट (1958) ने अपने अध्ययन "अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या के रूप में रू सिद्धान्त एवं अनुसंधान" में सामाजिक त्पं के सन्दर्म मं एक सामाजिक समस्या के रूप में अस्पृश्यता की "कुछ विशेषताएँ और समाजशास्त्रिों द्वारा कुछ दिए गए दिशा निर्देशों को इंगित सर्वेक्षण विधि द्वारा जामीण एवं नगरीय क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि सामाजिक समस्याएं, सामाजिक प्रथाओं और शर्तों का एक समूह है जो समाज के एक प्रमुख क्षेत्र के लक्षण है जो अधिकारिक मानदंडों का उल्लंघन करती है और जिसका उन्मूलन कियां जाना चाहिए।

पार्थ नाथ गुखर्जी (2012) ने अपने अध्ययन "सामाजिक गतिशीलता और संरचना रू एक वैचारिक–पद्धतिपरक पुनरावृत्ति की और" में भारतीय गतिशीलता के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न दृष्टिकोण का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक पुर्वविलोकन व अवलोकन विधि द्वारा अध्यंयन किया तथा पाया कि यह जानना हिस्सों मे भी महत्वपूर्ण है कि कैसे अनुचित सेवा वितरण, देश के कई हिस्सों मे की व्यक्तियों की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

5. <u>निष्कर्ष</u>ः– 5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि–

आयु–

तालिका–1: आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21–30 वर्ष	23	11.50
2.	31–40 वर्ष	51	25.50
3.	41–50 वर्ष	83	41.50
4.	51–60 वर्ष	27	13.50
5.	60 वर्ष से अधिक	16	08.00
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 41.50 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से हैं व न्यूनतम 08.00 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से हैं। इससे प्रतीत होता है कि अधिकतम उत्तरदाता मध्यम आयु वर्ग से हैं।

वैवाहिक स्थिति–

तालिका–2: वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	158	79.00
2.	अविवाहित	23	11.50
3.	विधवा / विधुर	19	09.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित तथा न्यूनतम 9. 50 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा/विधुर श्रेणी के हैं।

धर्म–

तालिका–3: धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	176	88.00
2.	मुस्लिम	20	10.00
3.	सिक्ख	04	02.00
4.	अन्य	00	0.00
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं तथा न्यूनतम उत्तरदाता 02.00 प्रतिशत सिख धर्म के अनुयायी हैं।

जाति–

तालिका–4: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	जति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनुसूचित	125	62.50
2.	पिछड़ी	58	29.00
3.	उच्च (सामान्य)	17	8.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 62.50 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से हैं तथा 8.50 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च (सामान्य) जाति से हैं।

शिक्षा–

तालिका–5: शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर (अशिक्षित)	05	02.50
2.	प्राईमरी	11	05.50
3.	जूनियर हाईस्कूल	22	11.00
4.	हाईस्कूल	44	22.00
5.	इण्टरमीडिएट	100	50.00
6.	स्नातक व अधिक	18	09.00
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 02.50 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर (अशिक्षित) हैं।

आय (प्रति माह)–

तालिका–6: आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आय (प्रति माह)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	0 – 5000	38	19.00
2.	5001 – 10000	28	14.00
3.	10001 – 15000	89	44.50
4.	15000 से अधिक	45	22.25
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं तथा न्यूनतम 14 प्रतिशत उत्तरदाता 5001–10000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं।

सामाजिक सहभागिता–

तालिका–7: सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	सामाजिक सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	किसी संस्था में नहीं	138	69.00
2.	एक संस्था में	24	12.00
3.	दो संस्थाओं में	11	05.50
4.	दो से अधिक संस्थाओं में	27	13.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 69.00 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं तथा न्यूनतम 05.50 प्रतिशत उत्तरदाता दो संस्थाओं में सामाजिक सहभागिता करते हैं।

6. ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारण एवं स्वरूपः–

शोध अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य के अन्तर्गत निम्न तालिकाओं में ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारणों एवं स्वरूपों से सम्बन्धित आंकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। अस्पृश्यता के कारणों एवं स्वरूपों में जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय आदि चरों पर आंकड़े एकत्रित किये गये हैं।

6.1 कारण–

तालिका–8: अस्पृश्यता के कारण के आधार पर सूचनादाताओं का विवरण

क्र०सं०	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	जति	120	60.00
2.	शिक्षा	48	24.00
3.	व्यवसाय	28	14.00
4.	अन्य	04	02.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 60.00 प्रतिशत जाति को अस्पृश्यता का कारण मानते हैं तथा न्यूनतम 02.00 प्रतिशत अन्य को अस्पृश्यता का कारण मानते हैं।

6.2 भोजन सम्बन्धी निषेध–

तालिका–9: अस्पृश्यता के कारण भोजन सम्बन्धी निषेधों के आधार पर सूचनादाताओं का विवरण

क्र०सं०	भोजन सम्बन्धी निषेध	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्ण रूप से	0	00.00
2.	आंशिक रूप से	64	32.00
3.	बिल्कुल नहीं	136	68.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 68.00 प्रतिशत भोजन सम्बन्धी निषेधों को बिल्कुल नहीं मानते हैं तथा न्यूनतम 32.00 प्रतिशत आंशिक रूप से भोजन सम्बन्धी निषेधों को मानते हैं।

6.3 जातिगत व्यवसाय करना–

तालिका–10: जातिगत व्यवसाय को करने की इच्छा के आधार पर सूचनादाताओं का विवरण

क्र०सं०	जातिगत व्यवसाय करने की इच्छा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	04	02.00
2.	नहीं	180	90.00
3.	पता नहीं	16	08.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 90.00 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि जातिगत व्यवसाय नहीं करना चाहिये तथा न्यूनतम 02.00 प्रतिशत सूचनादाताओं को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

6.4 प्रभाव–

तालिका–11: जाति प्रथा के कारण अस्पृश्यता में बढ़ोतरी के आधार पर सूचनादाताअें का विवरण

क्र०सं०	प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	156	78.00
2.	नहीं	28	14.00
3.	पता नहीं	16	08.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 78.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि जाति प्रथा के कारण अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है तथा न्यूनतम 08.00 प्रतिशत सूचनादाताओं को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

6.5 धार्मिक निषेध–

तालिका–12: धार्मिक स्थानों पर प्रवेश निषेध के आधार पर सूचनादाताअें का विवरण

क्र०सं०	धार्मिक निषेध	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	34	17.00
2.	नहीं	166	83.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 83.00 प्रतिशत सूचनादाताओं को धार्मिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाता है तथा न्यूनतम 08.00 प्रतिशत सूचनादाताओं को धार्मिक स्थानों पर जाने से रोका जाता है।

6.6 अस्पृश्यता–

तालिका–13: ग्रामीण समाज में निम्न एवं उच्च जातियों के मध्य अस्पृश्यता पाए जाने के आधार पर सूचनादाताओं का विवरण

क्र०सं०	अस्पृश्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	162	81.00
2.	नहीं	38	19.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 81.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि निम्न और उच्च जातियों में अस्पृश्यता पायी जाती है तथा न्यूनतम 19.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि निम्न और उच्च जातियों में अस्पृश्यता नहीं पायी जाती है।

6.7 जातियां–

तालिका–14: अस्पृश्यता को मानने वाली जातियों के आधार पर सूचनादाताओं का विवरण

क्र०सं०	जातियां	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य जाति	152	76.00
2.	पिछड़ी जाति	44	22.00
3.	अनुसूचित जाति	04	02.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 76.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि अस्पृश्यता को सामान्य जाति अधिक मानती है तथा न्यूनतम 02.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया है कि अस्पृश्यता को अनुसूचित जाति अधिक मानती है।

7. अध्ययन की सीमाएँः–

यह अध्ययन केवल जिला मेरठ के ब्लाक रजपुरा के अंतर्गत आने वाले 2 गांव हसनपुर कदीम व किन्नानगर का अध्ययन करता है, ब्लाक रजपुरा में ऐसे 50 आबाद गांव है। इस अध्ययन पद्धति में केवल गुणात्मक आंकड़े 200 उत्तरदाताओं से ही एकत्रित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इस अध्ययन के निष्कर्ष केवल स्थानीय सामान्यीकरण ही प्रस्तुत करते हैं। वृहत सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं। यह अध्ययन 200 उत्तरदाताओं के द्वारा उनकी भूमिका से सम्बन्धित एकत्रित तथ्यों पर आधारित है।

8. अध्ययन क्षेत्रः–

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक रजपुरा के अन्तर्गत आने वाले 50 आबाद गाँवों में से केवल दो गाँवों हसनपुर कदीम व किन्नानगर का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया है।

9. निदर्शन एवं सूचनादाताः– उददेश्यपूर्ण निदर्शन से अध्ययन के लिए ब्लॉक रजपुरा के दो गाँवों हसनपुर कदीम त्व्द का चयन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव हसनपुर कदीम की कुल जनसंख्या 4791 है, जिसमें से पुरूष 2526 व महिलाएँ 2265 है। गाँव की कुल साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 76.8 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 24.7 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव किन्नानगर की कुल जनसंख्या 7783 हैं, जिसमें से पुरूष 4118 व महिलाएँ 3665 हैं। गाँव की कुल साक्षरता दर 64.7 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 79.3 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 26.2 प्रतिशत है। दोनों गाँवों में से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा 200 (प्रत्येक से 100) सूचनादाताओं का चयन किया गया है। ये वे सूचनादाता है जो ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के अध्ययन के लिए सूचनाएँ देते है।

10. आंकड़ों का संकलनः–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में ब्लॉक रजपुरा के गाँव हसनपुर कदीम व गाँव किन्नानगर के 200 सूचनादाताओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा चुना गया, जो अध्ययन के लिए सूचनाएँ देते है। अध्ययन इनके द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित है। सूचना एकत्रित करने के लिए अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया गया है। शोध के उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को प्राथमिक सामग्री के द्वारा स्वयं एकत्रित किया गया जिसके लिए अवलोकन व साक्षात्कार–अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

11. आंकड़ों का विश्लेषणः–

आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा किया गया, आंकड़ों का सारणीयन भी किया गया है और आवश्यकतानुसार आंकड़ों के विश्लेषण में यांत्रिक सहायता ली गयी है।

12. अध्ययन का महत्वः– प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन किये गये हैं, वे बहुत कम है परन्तु ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के सन्दर्भ में सूक्ष्म स्तर पर इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश व समस्त भारत के अन्य समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे ग्रामीण समाज में पाये जाने वाली अस्पृश्यता एवं इसके बदलते प्रतिमानों को प्राप्त किया जा सकेगा। इस अध्ययन के द्वारा ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता के कारण एवं प्रमाव के साथ–साथ अस्पृश्यता के उन्मूलन के मार्ग में अवरोध डालने वाले कारकों तथा अस्पृश्यता उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रहे कारकों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है।

भारतीय समाज में अस्पृश्यता को लेकर आज तक जो भी अध्ययन किये गये है वो अध्ययन प्रदेश, जिला या ब्लॉक स्तर पर किये गये है लेकिन यह शोध दो गाँवों की जनसंख्या को लेकर किया जायेगा, जिससे कि अस्पृश्यता के द्वारा गाँव पर पड़ने वाले कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जा सकें । यह शोध समाजशास्त्र में भी उन सभी अस्पृश्यों के लिए उपर्युक्त होगा जो वर्तमान में समाज में अपना जीवन–यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्वीकार्यताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण"

प्रोफेसर आलोक कुमार[1], सौरभ चौधरी[2]
[1]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
[2]शोध छात्र, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Corresponding Author- प्रोफेसर आलोक कुमार
DOI- 10.5281/zenodo.8146305

सारांश

प्रस्तावना– भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 2/3 आबादी कृषि पर आश्रित है। किसी भी कृषि प्रधान देश का किसान उस देश आरै समाज की रीढ़ होता है जहां सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और राजनीति कृषि पर आधारित हो। आजादी से लेकर, वर्तमान सरकार से पहले रह चुकी सभी सरकारों द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से समय–समय पर विभिन्न योजनाऐं शुरू की गईं किन्तु किसानों को उन योजनाओं का आपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। अतः वर्तमान सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने एवं उन्हें नकद सहायता प्रदान करने के लिये "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" शुरू की है। **निष्कर्ष–** अधिकतम 43.50 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से है, 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है, 78 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, 72.50 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं, 50.50 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं, 48 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के है, अधिकतम 91 प्रतिशत उत्तरदाता किसान सम्मान निधि योजना को लाभदायक मानते हैं, 84.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के खाते में अभी तक की सभी किस्त आ चुकी हैं, 82.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ सभी छोटे या बड़े किसानों के लिए है, 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ पाने के लिए सभी किसान पात्र है, 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजना हेतु पात्रता मानदंडों की जानकारी है, 88 प्रतिशत उत्तरदाता बताते हैं कि योजना के लाभ हेतु गलत जानकारी प्रदान करने पर वित्तीय व कारावास दोनों प्रकार के दंड की व्यवस्था है।

कुंजी शब्दः किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

1. प्रस्तावनाः–

भारत एक ऐसा देश है जहां खेती बहुत महत्वपूर्ण है। यहां के लगभग दो–तिहाई लोग अपनी नौकरी के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसान देश और समाज की मजबूत रीढ़ की तरह हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था और राजनीति में सब कुछ खेती पर निर्भर करता है। खेती से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार के किसान हैं, जैसे छोटे और बड़े, साथ ही वे लोग जो खेतों पर काम करते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि भले ही किसान सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, फिर भी उन्हें अक्सर खराब परिस्थितियों में रहना पड़ता है और उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता जितना उन्हें किया जाना चाहिए। भारत में बहुत समय पहले लोगों ने सिंधु घाटी में खेती शुरू की थी। फिर, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो किसानों को वास्तव में कठिन समय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से अनेक प्रकार के कर वसूले, जिससे उनका जीवन और भी बदतर हो गया। भारत के आज़ाद होने के बाद भी सरकार ने किसानों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पाई, जितनी उन्हें ज़रूरत थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह ने कहा था कि यदि भारत को सफल और समृद्ध बनना है तो उसे अपने खेतों और किसानों का ध्यान रखना होगा। किसान तभी खुश और सफल होंगे जब वे अधिक पैसा कमाएंगे। अधिक फसल पैदा करने के लिए, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ समस्याओं में सही समय पर पर्याप्त भोजन, बीज और पानी न मिलना, उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य न मिलना और खेती में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन न होना शामिल है। भारत में कई किसान अपनी खेती में मदद के लिए स्थानीय ऋणदाताओं से पैसा उधार लेने पर निर्भर हैं। ये ऋणदाता अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरें वसूलते हैं, जिससे किसानों के लिए अपना बकाया पैसा चुकाना कठिन हो जाता है। इससे किसान कभी न ख़त्म होने वाले कर्ज़ के चक्र में फंस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन भारत में कृषि को आधिकारिक तौर पर एक उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यदि इसे एक उद्योग के रूप में मान्यता दी जाती है, तो यह किसानों को बढ़ने और सफल होने में मदद कर सकता है। किसानों को अधिक पैसा कमाने और उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने ष्प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाष् नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। **(पाण्डे, 2019)**

हमारा देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएँ शुरू की गईं। वे किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से, ये योजनाएँ अच्छी तरह से काम नहीं कर पाईं और अपेक्षित सुधार नहीं ला पाईं। परिणामस्वरूप, किसानों के जीवन में कोई खास सुधार नहीं हुआ और उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई, हालांकि सरकार ने उनकी मदद के लिए कई तरह की कोशिशें कीं। गरीब किसान परिवारों पर बहुत अधिक कर्ज है क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की मदद के लिए खाद, बीज, उपकरण और श्रमिकों के लिए धन जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। उन्हें और अधिक पैसा कमाने की भी ज़रूरत है ताकि वे अपना कर्ज़ चुका सकें। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे एक कार्यक्रम जो उन्हें उनकी फसलों के लिए बीमा देता है, कार्यक्रम जो उन्हें उनकी मिट्टी की जाँच करके यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह स्वस्थ है, और कार्यक्रम जो सूखे के दौरान पानी उपलब्ध कराने में मदद करता है। ये

कार्यक्रम अभी भी हो रहे हैं। अतः हाल ही में किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने एवं उन्हें अपनी फसल उगाने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" को क्रियान्वित किया गया है। **(सिरोही, 2018)**

किसानों के लिए यह नई योजना पहले की अन्य योजनाओं से अलग है। इसका उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है जिन पर बहुत अधिक कर्ज है और उनकी आय दोगुनी करना है। यह वास्तव में हमारे देश के छोटे और गरीब किसानों के लिए मददगार होगा। सरकार किसानों की मदद करना चाहती है और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसान जरूरत पड़ने पर अपनी फसलों के लिए खाद और पानी जैसी चीजें खरीद सकें। इस योजना से हमारे देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम किसानों को लाभ होगा। भारत में किसानों को उच्च ब्याज दर वसूलने वाले ऋणदाताओं से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। किसानों की समस्या सिर्फ कर्ज को लेकर नहीं है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से किसान आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि राजनीति और नीतियों का भी है, जिन्हें किसानों की मदद के लिए बदलने की जरूरत है। किसानों के लिए सबसे अच्छा समाधान यह है कि वे अपनी खेती के काम से अच्छी आजीविका कमा सकें। ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें अपनी फसलों के लिए मिलने वाली कीमत उन्हें उगाने की लागत से अधिक हो। यदि किसान अच्छी आय अर्जित कर सकें, तो उन्हें पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा और उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए, उन्हें खेती को एक ऐसा व्यवसाय नहीं समझना चाहिए जो पैसा नहीं कमाता। ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो देशभर के किसानों की मदद करती है। इस योजना से पहले किसानों को पैसों की मदद के लिए अलग–अलग राज्यों में अन्य योजनाएं भी चल रही हैं. तेलंगाना में रायथु बंधु योजना है और ओडिशा में कालिया योजना है। **(थीगालिसन, 2020)**

सरकार ने किसानों को अधिक सफल बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसे ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' कहा जाता है और इसे हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर, 2018 में शुरू किया गया था। पहले, यह केवल छोटे किसानों के लिए थी, लेकिन अब सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। यह अध्ययन इस बात पर गौर करेगा कि यह योजना किसानों की कैसे मदद कर रही है और यह उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है।

2. अध्ययन समस्या का तर्कः–

हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि वास्तव में महत्वपूर्ण है। भारत अपनी कृषि के लिए जाना जाता है। भारत में बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और खेती ही उनका पैसा कमाने का मुख्य जरिया है। इन किसानों की मदद के लिए सरकार ने ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य छोटे किसानों को सहायता देना है। उन्हें खेती की लागत में मदद करने के लिए धन मिलेगा ताकि वे बेहतर फसलें उगा सकें। हर साल, 2 एकड़ तक जमीन वाले किसान परिवारों को सरकार से 6,000 रुपये मिलेंगे। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को उनके बैंक खाते में पैसा देगी। उन्हें तीन हिस्सों में पैसा मिलेगा, हर हिस्सा 2,000 रुपये का होगा. यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई और पैसे का पहला हिस्सा 31 मार्च 2019 तक दिया गया। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 75,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक कार्यक्रम है। यह तेलंगाना में श्रायथु बंधुश नामक कार्यक्रम के समान है। ''रायथु बंधु'' कार्यक्रम किसानों को उनकी खेती की लागत में मदद करने के लिए पैसे देता है। तेलंगाना में सरकार किसानों को प्रति वर्ष 8,000 रुपये देती है, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। यह पैसा उनकी ज़मीन पर उगने वाली प्रत्येक फसल के लिए दिया जाता है। इस साल, तेलंगाना सरकार ने राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी। केन्द्र सरकार ने रायतु बंधु एवं ओड़िसा की कालिया योजना का अध्ययन करने के बाद इसी मॉडल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की।

3. अध्ययन के उद्देश्यः–

अध्ययन से सम्बन्धित तर्कों को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री "किसान सम्मान निधि योजना" का अध्ययन करने के लिये निम्नलिखित उद्देश्यों को लिया गया है–

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्वीकार्यता का अध्ययन करना।

4. चयनित साहित्य की समीक्षाः–

पाण्डे गिरीश चन्द्र (2019) ने अपने लेख 'भारतीय कृषि और किसान' में बताया है कि सरकार ने छोटे किसानों के लिए आय सहायता योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसम्बर, 2018 से लागू की गयी है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि के स्वामी को वार्षिक 6000 रू० तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के खाते में दिया जायेगा। इस प्रकार यह योजना इसलिये विशेष है, क्योंकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अफसरशाही की निर्णायक भूमिका होने के कारण लाभार्थियों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता था।

टी थीगालिसन (2020) ने अपने अध्ययन "भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अध्ययन" में योजना के उद्देश्यों के औचित्य की खोज वर्णनात्मक अध्ययन द्वारा द्वितीयक सामग्री के आधार पर किया है और पाया है कि यह योजना भारतीय कमजोर वर्ग के किसानों को सहारा देती है तथा किसान समुदायों के बीच मजबूत आर्थिक विकास का काम करता है। यह योजना आर्थिक मंदी के संकट से निपटने, गिरती हुई खपत की मांग, किसानों की आत्महत्या को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है।

रेशमी सेनगुप्ता और देबासीस रूज (2022) रोहतास एक उपजाऊ जिला है, जबकि नवादा सूखा–प्रवण है। चूंकि ये दो जिले अलग–अलग जलवायु संबंधी झटकों के संपर्क में हैं, इसलिए उनका चयन करने से हमें नमूने में विविधता मिली, ताकि हम पीएम–किसान के बारे में किसानों की जागरूकता और किस हद तक वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा, हमने प्रत्येक जिले से दो ब्लॉकों का चयन किया। नवादा से, हमने नवादा ग्रामीण ब्लॉक और अकबरपुर ब्लॉक को चुना। ये जिला कस्बे के पास सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। रोहतास से, हमने सासाराम ग्रामीण ब्लॉक और शिवसागर ब्लॉक को चुना, जो मुख्य रूप से जिला शहर के पास सिंचित क्षेत्र हैं। प्रत्येक ब्लॉक से, ब्लॉक कर्मचारियों और स्थानीय एनजीओ के साथ विचार–विमर्श के आधार पर पांच गांवों का चयन किया। आमने–सामने साक्षात्कार के लिए प्रत्येक गांव से औसतन 20 परिवारों को चुना जिसने 400 घरों के नमूने को जोड़ा। यह नकद हस्तांतरण कार्यक्रम, जैसे कि हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम–किसान, आय समर्थन प्रदान करके और परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित करके किसानों की रक्षा कर सकता है। हमारे सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकांश परिवार नीति से अवगत थे। हालाँकि, सर्वेक्षण

के केवल दो–तिहाई उत्तरदाताओं ने इसका लाभ उठाया। इसके अलावा, जो लोग कार्यक्रम से लाभान्वित हुए उन्होंने उच्च खाद्य सुरक्षा का प्रदर्शन किया और बेहतर स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहारों का अभ्यास किया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पीएम–किसान किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करके उनकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, क्षेत्र की बातचीत के दौरान किसानों के साथ हमारी बातचीत से पता चला कि किसानों को अभी भी इच्छित लाभ नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वे या तो लाभों से अनजान हैं या लंबी नौकरशाही प्रक्रियाओं से दूर हैं – जो आवेदन दाखिल करने से लेकर लंबी और थकाऊ दावा प्रक्रिया तक हैं। जो अक्सर किसानों को सरकारी योजनाओं का उपयोग करने से हतोत्साहित करता है।

अमिता, सी०डी० और कार्तिकेयन, सी० (2022) पीएम किसान योजना किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि निवेश सहायता योजना है जो उन्हें उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाली आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान अध्ययन में 60 किसानों के नमूने के साथ योजना के प्रति लाभार्थियों की राय का अध्ययन किया गया। योजना के प्रति राय का अध्ययन मापदंडों के तहत किया गया है। अध्ययन से पता चला कि केवल 26.6 प्रतिशत लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल के बारे में जानते थे। केवल एक चौथाई उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर्याप्त थी। दूसरी ओर शत प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत थे कि महामारी के दौरान वित्तीय सहायता से सहायता मिली।

तौफीक अहमद और रिफत हनीफ (2019) इस योजना से देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पीएम–किसान न केवल सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करेगा बल्कि विशेष रूप से फसल के मौसम से पहले उनकी आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करेगा।

पवन कुमार और बी० किशोर बाबू (2018) अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पीएम–किसान योजना के प्रति किसानों की जागरूकता का अध्ययन करना है। हम पाते हैं कि यह योजना लागू होने के तीन महीने के भीतर 30 प्रतिशत किसानों तक पहुंच गई है। परिणाम किसान की सामाजिक, आर्थिक और कृषि विशेषताओं के संदर्भ में चयन का कोई प्रमाण नहीं दिखाता है। इसलिए, पीएम–किसान योजना और इसके कार्यान्वयन के बारे में उठाई गई चिंताओं को उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से संबोधित किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, 43 के माध्यम से सृजित बैंकिंग अवसंरचना और राज्य सरकार द्वारा किसान डेटाबेस की समय पर तैयारी ने पीएम–किसान के उचित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, यह अभी भी शुरुआती दौर है और पूर्ण रोलआउट के साथ राज्यों में अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। आय समर्थन की उपयोगिता पर हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि किसानों के खर्च करने के पैटर्न योजना के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। परिणाम बताते हैं कि कृषि पीक सीजन में लाभ प्राप्त करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक किसानों ने अपना पैसा कृषि क्षेत्र में खर्च किया है, और 60 प्रतिशत से अधिक किसान जिन्हें ऑफ सीजन में पैसा मिला है, उन्होंने उपभोग, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों पर पैसा खर्च किया है। इसके अलावा, परिणाम से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में किसानों के खर्च पैटर्न 13 को कृषि क्षेत्र पर किसानों की निर्भरता, खेत के आकार और ऋण सुविधाओं तक कम पहुंच के साथ सहसंबद्ध किया गया है।

श्रीमती सोनिका और ए०के० मित्तल (2020) इस पत्र में, हम भारतीय संदर्भ में योजना के मुख्य दृष्टिकोण, इसकी खूबियों, प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि से पहले शुरू की गई कई योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे, क्या सही जरूरतों को पूरा करते हैं? भारतीय कृषि में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में पर्याप्त सहायक है? परिणाम बताते हैं–भारत में कृषि कुल रोजगार का आधा हिस्सा है और आर्थिक सुधारों के बाद कृषि का विकास बहुत धीमा और रुक–रुक कर हुआ है। इतनी सारी योजनाओं के लागू होने के बाद अब तक इसकी चपेट में है। किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक बहुत ही अभिनव और सीधा कदम है, लेकिन इसके उचित आवेदन के लिए योजना में कुछ सुधार की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को किसानों को लाभान्वित करने के लिए पात्रता मानदंड को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है और किसानों के उचित भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ एकजुट होना चाहिए जो योजना का लाभ उठाने में मदद करेगा।

गोपी, एच० और के० बी० रंगप्पा (2021) अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि दावणगेरे जिले के लाभार्थी अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब हैं। उनके पास पीएम–किसान लाभों को खर्च करने के विभिन्न उद्देश्य हैं। अधिकांश लाभार्थी (3/4वां) उत्पादक व्यय करते हैं और अपेक्षाकृत कम अनुत्पादक व्यय करते हैं। कई किसानों को अभी तक किश्त नहीं मिल पाई है, और देरी से राशि जारी होने के कारण उन्हें अब तक कोई किश्त नहीं मिली है। जिन लाभार्थियों ने किश्तें प्राप्त कीं, उनमें श्रेणियों के अधिकांश व्यय विवरणों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इनमें दूसरों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा किए गए ब्यौरे पर अधिक व्यय। क्योंकि उनके पास आय के अन्य स्रोत कम हैं इसलिए उन्होंने अपनी आजीविका और कृषि संबंधी प्रथाओं के लिए भी अधिक योजना राशि खर्च की।

हेमंत शर्मा और वेद आर्य (2021) इस समीक्षा का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना के तहत किसानों को प्रदान किए गए कार्यान्वयन लक्ष्यों और लाभों का अध्ययन करना है। कृषि और कृषि कार्यों में शामिल सभी सीमांत और छोटे भूस्वामी इस योजना से लाभान्वित हुए, क्योंकि उन्हें रु 6000 प्रति वर्ष उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए हैं । दिलचस्प बात यह है कि 2018 से 2021–2022 तक इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में लगभग 28.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान किसानों के बैंक खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा, बिचौलियों को बिना किसी कमीशन के अगस्त, 2020 तक सीधे 75,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई और इसे इसी गति से जारी रहना चाहिए।

दीपक वार्ष्णेय, प्रमोद कुमार जोशी, देवेश रॉय और अंजनी कुमार (2020) यह अध्ययन, उत्तर प्रदेश के 1,406 किसानों पर आधारित है और एक बाइनरी च्वाइस मॉडल का उपयोग करते हुए, योजना की लक्ष्य सटीकता और किसानों के खर्च करने के पैटर्न के सहसंबंधों की जांच करता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के लाभार्थियों पर पीएम–किसान के अंतर प्रभाव की पहचान करने के लिए मिलान अनुमानकों के साथ ट्रिपल अंतर का उपयोग किया जाता है। परिणाम बताते हैं कि पीएम–किसान इसके कार्यान्वयन के पहले तीन महीनों में सभी किसानों में से एक तिहाई तक पहुंच गया। इसके अलावा, अध्ययन सामाजिक, आर्थिक और कृषि विशेषताओं के आधार पर कोई

चयन पूर्वाग्रह नहीं पाता है। इस योजना ने उन लोगों की काफी मदद की है जो कृषि पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर हैं और जिनकी ऋण तक पहुंच कम है। इसके अलावा, इस योजना ने आधुनिक किस्मों को अपनाने पर केवीके के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया है।

बाल कृष्ण मिश्रा और नीकी चतुर्वेदी (2021) केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के प्रति किसानों के जागरूकता स्तर और धारणा की पहचान करने के लिए एक मात्रात्मक अध्ययन किया गया है। सरकार का पीएम–किसान कार्यक्रम, जिसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में भी जाना जाता है, छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत तीन किश्तों में 6000रु प्रति वर्ष। अध्ययन का उद्देश्य योजना के प्रति किसानों की जागरूकता और धारणा के स्तर का पता लगाना है, साथ ही इसके लिए प्रिंट मीडिया की भूमिका का आकलन करना है। इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंगल धूसर और जंगल रानी कुआँरी सुहास गाँवों से किसान सम्मान निधि योजना के 80 लाभार्थियों को अध्ययन उत्तरदाताओं के रूप में लिया गया। डेटा से पता चलता है कि सभी उत्तरदाताओं को किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पता था। 68 उत्तरदाताओं (85 प्रतिशत) को किसान सम्मान निधि योजना की बुनियादी जानकारी है। हालांकि, लगभग 10 उत्तरदाता (12.5 प्रतिशत) मध्यम थे और 2 उत्तरदाता (2.5 प्रतिशत) किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अपने ज्ञान के स्तर में उन्नत थे। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, लगभग (92.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने किसान सम्मान निधि योजना को बहुत अच्छा माना, जबकि (5 प्रतिशत) ने माना कि यह अच्छा था और (2. 5 प्रतिशत) ने कहा कि यह औसत था। यह बताता है कि किसान सम्मान निधि योजना के प्रति एक सकारात्मक धारणा बनी है।

5. निष्कर्षः–

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि–

आयु–

तालिका–1: आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21–30 वर्ष	26	13.00
2.	31–40 वर्ष	57	28.50
3.	41–50 वर्ष	87	43.50
4.	51–60 वर्ष	31	15.50
5.	60 वर्ष से अधिक	09	04.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 43.50 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग से हैं व न्यूनतम 04.50 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से हैं। इससे प्रतीत होता है कि अधिकतम उत्तरदाता मध्यम आयु वर्ग से हैं।

वैवाहिक स्थिति–

तालिका–2: वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ववाहित	158	79.00
2.	अविवाहित	23	11.50
3.	विधवा / विधुर	19	09.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित तथा न्यूनतम 09.50 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा / विधुर श्रेणी के हैं।

धर्म–

तालिका–3: धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	156	78.00
2.	मुस्लिम	20	10.00
3.	सिक्ख	19	09.50
4.	अन्य	05	02.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 78 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं तथा न्यूनतम उत्तरदाता 02.50 प्रतिशत अन्य धर्म के अनुयायी हैं।

जाति–

तालिका–4: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	जति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनुसूचित	38	19.00
2.	पिछड़ी	145	72.50
3.	उच्च (सामान्य)	17	08.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 72.50 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं तथा 08.50 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च (सामान्य) जाति से हैं।

शिक्षा–

तालिका–5: शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर (अशिक्षित)	05	02.50
2.	प्राईमरी	11	05.50
3.	जूनियर हाईस्कूल	22	11.00
4.	हाईस्कूल	45	22.50
5.	इण्टरमीडिएट	101	50.50
6.	स्नातक व अधिक	16	08.00
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 50.50 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 02. 50 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर (अशिक्षित) हैं।

आय (प्रति माह)–

तालिका–6: आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आय (प्रति माह)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	0 – 5000	33	16.50
2.	5001 – 10000	28	14.00
3.	10001 – 15000	96	48.00
4.	15000 से अधिक	43	21.50
कुल योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 48 प्रतिशत उत्तरदाता 10001–15000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं तथा न्यूनतम 14 प्रतिशत उत्तरदाता 5001–10000 रू० मासिक आय वर्ग के हैं।

5.2 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्वीकार्यता का विश्लेषण–

किसान सम्मान निधि योजना के लाभ–

तालिका–7: किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	क्या आप किसान सम्मान निधि योजना को लाभदायक मानते हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	182	91.00
2.	नहीं	10	05.00
3.	कह नहीं सकते	08	04.00
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 91 प्रतिशत उत्तरदाता किसान सम्मान निधि योजना को लाभदायक मानते हैं तथा न्यूनतम 04 प्रतिशत उत्तरदाता किसान सम्मान निधि योजना के लाभदायक होने के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते है।

खाते में आ चुकी अब तक की सभी किश्त–

तालिका–8: खाते में आ चुकी अब तक की सभी किश्त के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	क्या आपके खाते में अब तक की सभी किश्त आ चुकी हैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	169	84.50
2.	नहीं	31	15.50
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 84.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के खाते में अभी तक की सभी किस्त आ चुकी हैं तथा न्यूनतम 15.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के खाते में अभी तक की सभी किस्त नहीं आई है।

योजना का लाभ सभी किसानों (छोटे या बड़े) सभी को स्वीकार्य –

तालिका–9: योजना का लाभ सभी किसानों (छोटे या बड़े) सभी को स्वीकार्य के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	क्या योजना का लाभ सभी किसानों (छोटे या बड़े) सभी को स्वीकार्य है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	165	82.50
2.	नहीं	35	17.50
योग		**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 82.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ सभी छोटे या बड़े किसानों के लिए है तथा न्यूनतम 17.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ सभी छोटे या बड़े किसानों के लिए नहीं है।

योजना लाभ प्राप्ति हेतु किसान की पात्रता–

तालिका–10: योजना लाभ प्राप्ति हेतु किसान की पात्रता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	योजना का लाभ पाने के लिए कौन किसान पात्र है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	छोटे	19	09.50
2.	बड़े	09	04.50
3.	सभी	172	86.00
	योग	**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ पाने के लिए सभी किसान पात्र है तथा न्यूनतम 04.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का लाभ पाने के लिए बड़े किसान पात्र है।

योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र नहीं है?

तालिका–11: योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र नहीं है? के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र नहीं है? आपको इसकी जानकारी है।	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	172	86.00
2.	नहीं	28	14.00
	योग	**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजना हेतु पात्रता मानदंडों की जानकारी है तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजना हेतु पात्रता मानदंडों की जानकारी नहीं है।

यदि लाभार्थी योजना के लिए गलत घोषणा करेंगे पर किस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है?–

तालिका–12: यदि लाभार्थी योजना के लिए गलत घोषणा करने पर किस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है? के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	यदि लाभार्थी योजना के लिए गलत घोषणा करने पर किस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	वित्तीय लाभ की वसूली	14	07.00
2.	कारावास की व्यवस्था	10	05.00
3.	उपरोक्त दोनों	176	88.00
	योग	**200**	**100**

स्रोतः आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी–2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 88 प्रतिशत उत्तरदाता बताते हैं कि योजना के लाभ हेतु गलत जानकारी प्रदान करने पर वित्तीय व कारावास दोनों प्रकार के दंड की व्यवस्था है तथा न्यूनतम 05 प्रतिशत उत्तरदाता बताते हैं कि योजना के लाभ हेतु गलत जानकारी प्रदान करने पर कारावास के दंड की व्यवस्था है।

6. अध्ययन की सीमाएँः–

यह अध्ययन केवल जिला मेरठ के विकासखंड हस्तिनापुर में किया गया है। वर्तमान में जो किसान इस अध्ययन क्षेत्र में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनको केंद्र में रखा गया है सभी किसानों को नहीं। विकासखंड हस्तिनापुर में 46 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस अध्ययन पद्धति में केवल गुणात्मक आंकड़े 200 उत्तरदाताओं से ही एकत्रित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इस अध्ययन के निष्कर्ष केवल स्थानीय सामान्यीकरण ही प्रस्तुत करते हैं। वृहत सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं। यह अध्ययन 200 उत्तरदाताओं के द्वारा उनकी भूमिका से सम्बन्धित एकत्रित तथ्यों पर आधारित है।

7. अध्ययन क्षेत्रः–

शोधार्थियों ने इस अध्ययन के लिए उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति से भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जनपद मेरठ से विकासखंड हस्तिनापुर को अपने शोध कार्य के संपादन हेतु कार्य क्षेत्र के रूप में चयनित किया है वर्तमान समय में विकासखंड हस्तिनापुर में 46 ग्राम पंचायत विद्यमान है शोधार्थी ने अपने शोध ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विकासखंड हस्तिनापुर की 46 ग्राम पंचायतों के 82 आबाद गांव से 200 लाभार्थी परिवारों के सूचनादाताओं को चुना है जो आपस में काफी समानताएं एवं विविधताएं लिए हुए हैं यह शोध इन सूचना दाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है।

8. निदर्शन एवं सूचनादाताः–

जिला मेरठ के 12 विकासखण्डों में से उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति द्वारा अध्ययन के लिये 1 विकासखण्ड हस्तिनापुर को चुना गया है। चुने गये विकासखण्डों में 46 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक गाँव से सूचनादाताओं का चयन दैव निदर्शन प्रविधि द्वारा सूचना एकत्रित करने के लिये किया गया है। इस प्रकार से इस शोध में कुल 200 सचनादाताओं का चयन किया गया है। यह शोध इन सूचनादाताओं द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित है।

9. आंकड़ों का संकलनः–

सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग आँकड़े एकत्रित करने के लिये किया गया है। शोध के सभी

उद्देश्यों के लिए प्राथमिक आँकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं एकत्र किये गये है।

10. आंकड़ों का विश्लेषणः–

आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा किया जायेगा, आंकड़ों का सारणीयन भी किया जायेगा और यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो आंकड़ों के विश्लेषण में यांत्रिक सहायता ली गयी है।

11. अध्ययन का महत्वः–

प्रस्तुत शोध में इस योजना का मूल्यांकन किसानों की सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव के संदर्भ में करने का प्रयत्न किया जायेगा। वैसे तो किसान के संदर्भ में अनेकों प्रकार के अध्ययन हो चुके हैं, जैसे– श्रीनिवास ने ग्रामीण संरचना और उनमें परिवर्तन का अध्ययन, दुबे (1958) ने भारतीय ग्राम में किसानों के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया। एफ0 जी0 बैली ने आर्थिक प्रभावों का अध्ययन तथा इसके बदलते प्रतिमानों का मूल्यांकन ग्रामीण संदर्भ में किया। इन विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसानों की आर्थिक संरचना अन्य व्यवसाय करने वाले लोगों की तुलना में आदि काल से ही दयनीय रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकारों ने कृषि व्यवस्था को मजबूत करने हेतु अनेकों नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया; किन्तु 70 साल के अथक प्रयासों के बावजूद भी उनकी आर्थिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। भूतकाल की अनेक लाभकारी योजनाओं का मूल्यांकन करते हुये वर्तमान समय की सरकार ने "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" का श्रीगणेश किया, जिससे बिना किसी बिचौलिये के प्रत्यक्ष धनराशि किसानों के बैंक खातों में भेजी गयी। वर्तमान शोध जिसका केन्द्र बिन्दु समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना तथा यह जानने का प्रयास करना होगा कि–किसानों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं को ज्ञात किया जायेगा? किसानों में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" की क्या स्वीकार्यता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रति किसानों की जागरूकता के स्तर एवं जानकारी के स्रोतों को ज्ञात करना। "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के अन्तर्गत किसानों के बैंक खातों में धन का सीधा आंतरण सार्थक सिद्ध होगा? "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" से मिलने वाले धन का उपयोग किन–किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" की प्रभावशीलता अन्य योजनाओं की तुलना में कितनी प्रभावशाली है।? "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" का किसानों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" से किसानों को ऋण ग्रस्तता से छुटकारा मिलेगा? इन क्षेत्रों में क्या–क्या बदलाव आया है तथा इस धनराशि का उपयोग योजना के उद्देश्य के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार से प्रस्तुत अध्ययन, अभी तक के सभी अध्ययनों से एक नवीन परिप्रेक्ष्य का निर्धारण करेगा तथा इस प्रकार की योजनाओं के मूल्यांकन हेतु समाज से जुड़े हुए तथा किसानों की समस्याओं में रूचि रखने वाले लोगों जैसे– शिक्षाविद्, आम आदमी तथा अनेकों सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के अध्ययन का स्रोत बन सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1) Adedoyin, S. F. (1990). Linkages in the Development and Delivery of Agricultural Research Information by Nigerian Research Institutes. Unpublished Ph.D. Thesis Submitted to the Department of Communication and Language Arts, University of Ibadan, 23-24.
2) Aggarwal, V. B., and Gupta, V. (2002). Handbook of Journalism and Mass Communication Vol. 2. Concept Publishing Company.
3) Akhilesh, K. (2019). Macro-economic Impact of Income Support Programme for Farmers in India. Journal of Income & Wealth. 41(1), 177-187.
4) Apata, O. M. (2010). Farmers' Use of Newspapers as Channels of Agricultural Information in Ekiti State, Nigeria. Journals of Environmental Issues and Agriculture in Developing Countries, 2(2,3), 1-2.
5) Dutoit, S., and McConnell, C. (1995). Agriculture and Development : A Research Work in North America Land. Grant : University Press. 12-15.
6) Kavitha, H.N., Kumar, P., Anbukkani, P., Burman, R.R., Venkatesh, P., Jha, G.K., Prakash, P. (2020). Performance of Universal Basic Income Programme in India : A Case Study of PM-Kisan Scheme. Indian Journal of Extension Education, 56(3), 1-8. https://doi.org/10.5958/2454-552X.2020.00001.8.
7) Kumar, P., and Babu, K. (2018). A Study on Famers Awareness towards Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana in the Guntur District. Anveshana's International Journal of Research in Regional Studies, Law, Social Sciences, Journalism and Management Practices. 3(3), 10–14.
8) M. (n.d.). All India Report on Number and Area of Operational Holding, Agriculture Census 15-16. Retrieved from 2022, July 06.
9) Mohan, R. (2006). Agricultural Credit in India : Status, Issues and Future Agenda. Economic and Political Weekly, 41(11), 1013–1023.http://www.jstor.org/stable/4417965.
10) Mohan, V. (n.d.). Delhi Comes on Board PM-kisan, West Bengal Continues to Deny Benefit to 72 Lakh Farmers : India News - Times of India. Retrieved from 2022, June 8.
11) P. (n.d.). Three Years of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Retrieved from 2022, May 06.
12) Vasireddy, A., and Telugu, S. (n.d.). Telangana CM KCR launches

RythuBandhu Scheme in Karimnagar. Retrieved from 2022, June 03.
13) Yakasai, A. S. (1996). Duty of the Press : A Tutorial Handout for the International Institute of Journalism Diploma Course, 64.
14) Abbashi, P.A. 1999: Social Inequality among Indian Muslim, A.C. Brothers, Udaypur, New Delhi.
15) Baliy, F.G. 1957: Caste and the Economic Frontier : A village in highland Orissa, Manchester, Manchester University Press.
16) Dhangagre, D.N. 1983: Peasant Movement in India, New Delhi, Oxford University Press.
17) Dube, S.C. 1958: Indian Changing Village : New York, Corwell University Press.
18) Mukherjee, Ramkrishna 1957: The Dynamics of a Rural Society : A Study of the Economic Structure in Bengal Village, Berlin, Akademic Verlag.
19) Rana, M.S. 1994: Bhartiya Kisan Union and Chaudhary Tikait, Meerut Paragon Publication.
20) Srinivas, M.N. 1966: Social Change in Modern India, Berkley, University of Berkley.
21) Thegaleesan, T. 2020: A Study on Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme in India, Journal of Xi'an University of Architecture and Technology, Vol. XII, Issue-III, p. 6293-6307.
22) http://www.yojangyan.in/pm.kisan-sammannidhi-yoj.
23) https://hindiindiatvens.com/paisa/my-profilpm-kisan-samman-nidhi-yoj.
24) https://pmkisan.gov.in/homeaspx.
25) श्रीनिवास, लेख, "अंतरिम बजट 2019–20 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल", कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित, मार्च–2019
26) पाण्डे, गिरीश चन्द्र लेख, "भारतीय कृषि और किसान", सामान्य ज्ञान दर्पण, जून–2019
27) रडे फिल्ड, रॉबर्ट, "कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ एकादमी, 1973
28) सिंह, सतीश लेख "सतत् कृषि विकास का लक्ष्य", कुरुक्षेत्र, मार्च–2019
29) सिंह, सतीश लेख "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
30) शर्मा, सुभाष लेख, "राष्ट्रीय कृषि बाजार : एक राष्ट्रीय एक बाजार", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
31) सिरोही, नरेश लेख, "किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास", कुरुक्षे, फरवरी–2018
32) सूद, सुरिंदर लेख, "सदाबहार क्रांति का लक्ष्य", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
33) सिंह, अर्चना लेख, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रमीण विकास में किसानों की भूमिका", याजेना अगस्त–2006
34) यादव, चन्द्रभान लेख, "ग्रामीण विकास का आधार कृषि", कुरुक्षेत्र, मार्च–2019
35) यादव, चन्द्रभान लेख, "प्रधानमंत्री कृषि योजना से सवरेगा भारत", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

"भारतीय किसान सम्मान निधि योजना की दशा एवं दिशा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

प्रो० आलोक कुमार[1], सौरभ चौधरी[2]
[1]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
[2]शोध छात्र, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Corresponding Author- प्रो० आलोक कुमार
DOI- 10.5281/zenodo.8146315

1. प्रस्तावनाः–

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 2/3 आबादी कृषि पर आश्रित है। किसी भी कृषि प्रधान देश का किसान उस देश और समाज की रीढ़ होता है जहां सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और राजनीति कृषि पर आधारित हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सीमान्त किसान, बड़े किसान तथा भूमिहीन मजदूर शामिल हैं, किन्तु भारत में अन्नदाता कहा जाने वाला किसान स्वयं दोयम दर्जे तथा दरिद्रता का जीवन जीने के लिये मजबूर है। भारत में कृषि का आरम्भ सिन्धु घाटी सभ्यता से माना जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन में किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर जैसे–तेभागा, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी लगाये गये, जिन्हें किसानों को हर स्थिति में देय करना था। स्वतत्रंता प्राप्ति के पश्चात् किसानों की दशा सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनेक प्रयास किये गये, लेकिन संख्यात्मक भागीदारी के हिसाब से जितना लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौ0 चरण सिंह ने कहा है कि "भारत की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है", परन्तु खेत एवं किसान तभी खुशहाल एवं समृद्ध होंगे जब किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन बढ़ेगा, इसके लिए किसानों की समस्याओं का समाधान करना बहुत आवश्यक है। किसानों से जुड़ी कई प्रकार की समस्याऐं हैं, जैसे– खाद्य, बीज, पानी समय पर न मिल पाना, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना, कृषि साख की समस्या आदि। छोटे व सीमांत किसान कृषि साख के लिये परम्परागत रूप से स्थानीय साहूकारों व महाजनों पर निर्भर हैं, जो किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर ऊँची ब्याज दर पर पैसा देते हैं, जिससे छोटे किसान ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसाय है। भारत में कृषि व्यवसाय उद्योग घोषित नहीं है। यदि कृषि को उद्योग घोषित कर तदानुरूप सुविधाऐं प्रदान की जायें तो कृषि विकास में तीव्र वृद्धि हो सकती है। अतः वर्तमान सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने एवं उन्हें नकद सहायता प्रदान करने के लिये "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" शुरू की है। **(पाण्डे, 2019)**

आजादी से लेकर, वर्तमान सरकार से पहले रह चुकी सभी सरकारों द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से समय–समय पर विभिन्न योजनाऐं शुरू की गईं किन्तु किसानों को उन योजनाओं का आपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। विभिन्न योजनाओं के चलते हुए भी किसान की आय में वृद्धि नहीं हो सकी। ऋणग्रस्ता बरकरार रही। निर्धन किसान परिवारों को कृषि कार्य में प्रयुक्त सामानों जैसे– खाद, बीज, उपकरण, श्रमिक मजदूरी तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा आय में वृद्धि करने तथा ऋणग्रस्तता से छुटकारा दिलाने के लिये कुछ ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में किसानों की फसल का बीमा कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुद्रा की जाँच व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सूखा से समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं नदी जोड़ों परियोजना आदि योजनाऐं चलाई जा रही हैं। अतः हाल ही में किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने एवं उन्हें अपनी फसल उगाने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" को क्रियान्वित किया गया है। **(सिरोही, 2018)**

यह योजना अब तक चलाई गई कृषि से संबंधित अन्य सभी योजनाओं से अलग है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण की समस्या से मुक्ति दिलाना एवं उनकी आय को दोगुनी करना है। इस योजना से देश के लघु एवं सीमान्त किसानों को आने वाले दिनों में काफी फायदा मिलेगा। यह योजना आजाद भारत के इतिहास में किसानों की आर्थिक तरक्की का भारत सरकार की तरफ से उठाये गये सराहनीय कदम हैं, जिसके लाभार्थी देश के 12 करोड़ से भी अधिक छोटे और मंझोले किसान होंगे। सरकार किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाना चाहती है। वह चाहती है कि किसान अपनी फसल को उर्वरक व पानी सही समय पर उपलब्ध करा सके। किसानों को महंगी ब्याज पर साहूकार या अन्य माध्यम से कर्ज ना लेना पड़े। भारत में किसानों की समस्या मात्र कर्ज ही नहीं है, अन्य भी कई कारण हैं, जिसकी वजह से किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है। कृषि संकट केवल आर्थिक सवाल नहीं है। यह एक राजनीतिक सवाल भी है और दोनों में कृषि को पुर्नजीवित करने और किसानों के जीवन को बहे स्तर बनाने के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। किसानों के लिए दीर्घकालिक समाधान यह है कि वे कृषि से अपनी आजीविका गरिमा के साथ अर्जित करें। इसके लिए खेती को एक लाभदायक पेशा बनाना होगा और यह तभी लाभदायक हो सकता है जब बाजार में फसल की लागत उत्पादन की लागत से अधिक हो। किसानों को सम्मानित जीवन मिले, उन्हें साहूकारों से ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े। अतः वे कृषि को घाटे का व्यवसाय न समझें। "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गई एक अति महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से पहले भी किसानों की आर्थिक सहायता के लिए राज्य स्तर पर भी योजनाऐं हैं। रायथु बंधु योजना व कालिया योजना

क्रमशः तेलगांना तथा उड़ीसा में चलाई गई योजनाऐं हैं। **(थीगालिसन, 2020)**

वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये एक नवीन योजना का प्रारम्भ किया गया है। "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" इस योजना का शुभारम्भ मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिसम्बर, 2018 में किया गया। प्रारम्भ में यह योजना केवल सीमान्त किसानों के लिये थी, किन्तु वर्तमान में इस योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारंभ में छोटे और सीमान्त किसानों को ही जिनके पास पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो पात्र माना गया था परंतु बाद में इसे विस्तार देते हुए सभी कृषकों के लिए लागू कर दिया गया।

इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है, अर्थात प्रत्येक 4 माह किसानों को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।

योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है।

छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है।

इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ ले कर काफी खुश हैं। साल 2022 तक पीएम किसान समान निधि की 12 किस्तें किसानों को मिल चुकी है। 11वीं किस्त 10 करोड़ किसानों को मिली थी जबकि 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों को ही मिल पाई। क्योंकि कई किसान अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे जिनका नाम सरकार ने इस योजना से हटा दिया है।

इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है।

2. योजना हेतु किसानो की पात्रता के मानदंडः–

किसी भी सरकारी योजना का एक निश्चित पात्रता मानदंड होता है, जिसके आधार पर लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान जो भारतीय नागरिक है वही कवर किए जाएंगे इसके अलावा सभी भूमि धारक किसान परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि हैं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं नीचे कुछ पात्रता बिंदु दिए गए हैं–

1) वित्तीय सहायता चाहने वाले लाभार्थी भारत का निवासी होना चाहिए।
2) ऐसे आवेदक छोटे और सीमांत किसान परिवार है एक किसान परिवार में पति पत्नी और नाबालिक बच्चे शामिल है पति–पत्नी या बच्चे अलग से लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं।
3) किसान परिवार के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है विभिन्न राजस्व ग्रामों की कुल भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए भूमि शहरी क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थित हो सकती है।

3. योजना हेतु किसानो की पात्रता के मानदंडः–

भारत देश के वे नागरिक जो निम्नलिखित सूचनाओं में आते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं

1) सभी संस्थागत भूमि धारक। किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या अधिक के हैं।
2) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
3) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों/ राज्य मंत्रियों और लोकसभा/ राज्यसभा/ राज्य विधानसभाओं/ राज्य विधान परिषदों के पूर्व/ वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
4) केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी क्षेत्र इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों/ स्वायत्त संस्थानों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
5) सभी सुपरनेचुरल/ रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000/ अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
6) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
7) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को पूरा करके पेशे को पूरा करते हैं।

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्यः–

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

1) सभी पात्र भूमि वाले किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना ।
2) PM-KISAN योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदा वार सुनिश्चित करने के लिए करना है।
3) इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को PM-KISAN के कवरेज में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य रुपये के अनुमानि खर्च के साथ लगभग 2 करोड़ अधिक किसानों को कवर करना है। 87,217.50 करोड़ है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ।

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभः–

नीचे दिए गए फायदे और PM-KISAN योजनाओं के प्रभाव हैंः–

1) धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इस योजना के सबसे बड़े लाभों में से एक है। 25 दिसंबर, 2020 को पी एम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1,8,000 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
2) किसानों से संबंधित सभी रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिसने पंजीकरण और फंड ट्रांसफर को आसान बना दिया है। डिजिटल रिकॉर्ड ने इस कल्याणकारी योजना के बारे में एक नई शुरुआत की है।
3) यह योजना किसानों की तरलता की कमी को दूर करती है।
4) प्रधानमंत्री किसान योजना कृषि के आधुनिकीकरण की सरकार की पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है।
5) PM-KISAN लाभार्थियों को चुनने में कोई भेदभाव नहीं है।

6. किसान सम्मान निधि योजना से लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजः–

किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उनको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसकी सूची निम्नलिखित है

1) मूल निवास प्रमाण पत्र
2) कृषक होने का प्रमाण पत्र
3) आधार कार्ड
4) पैन कार्ड
5) खाता खतौनी की नकल
6) पासपोर्ट साइज फोटो
7) बैंक अकाउंट का विवरण
8) आय प्रमाण पत्र

7. साहित्यिक अवलोकनः–

टी थीगालिसन (2020) ने अपने अध्ययन "भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अध्ययन" में योजना के उद्देश्यों के औचित्य की खोज वर्णनात्मक अध्ययन द्वारा द्वितीयक सामग्री के आधार पर किया है और पाया है कि यह योजना भारतीय कमजोर वर्ग के किसानों को सहारा देती है तथा किसान समुदायों के बीच मजबूत आर्थिक विकास का काम करता है। यह योजना आर्थिक मंदी के संकट से निपटने, गिरती हुई खपत की मांग, किसानों की आत्महत्या को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है।

श्रीनिवास (2019) ने अपने लेख "आंतरिक बजट 2019–2020 ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर बल" में बताया है कि निर्धन किसान परिवारों को कृषि कार्य में प्रयुक्त सामानों जैसे– बीज, खाद्य तथा अन्य उपकरण और श्रमिकों की मजदूरी देने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण की आवश्यकता पड़ती है और किसान साहूकारों और सूदखोरों के चुंगल में फंस जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया, जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों तथा ऐसे किसान जिनकी कुल कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से कम है की प्रति वर्ष 6000 रू० की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में 2000 रूपये की तीन किश्तों में जमा कराई जायेगी। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

यादव चन्द्रभान (2019) ने अपने लेख "ग्रामीण विकास का आधार कृषि" में बताया है कि ग्रामीण विकास का आधार खेती है। यही वजह है कि जब खेती से उत्पादन बेहतरीन होता है तो देश व प्रदेश में खुशहाली आती है। भारत सरकार की ओर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारी कृषि उत्पादन क्षमता का किस तरह से विकास किया जाये। इस दृष्टिकोण की वजह से न सिर्फ अनाज उत्पादन बल्कि कृषि से जुड़े दूसरे उपक्रमों को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस बार के बजट में भी "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत छोटे एवं मंझोले किसानों के लिए भी हर साल छः हजार रूपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है द्य इससे किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।

सिंह, सतीश (2019) ने अपने लेख "सतत कृषि विकास का लक्ष्य" में बताया है कि किसानों की समस्या को दूर करने एवं कृषि से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता के रूप में दी जाएगी। 'प्रत्यक्ष आय सहायता' योजना को अन्य योजनाओं से बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि 6000 रूपए की वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत किसानों के खातों में नकद दी जाएगी। चूंकि, यह सहायता नकद हस्तांतरित की जाएगी, इसलिए यह मूल्य संकट की स्थिति से अधिक सुरक्षित है।

कुमार और बाबू (2018) ने अपने अध्ययन में पीएम–किसान योजना के बारे में किसानों की जागरूकता का मूल्यांकन किया। यह एक खोजपूर्ण अध्ययन था। निष्कर्षों के अनुसार, इसके संचालन के तीन महीने के भीतर, इस योजना ने 30ः किसानों को छू लिया था। आय समर्थन की उपयोगिता पर निष्कर्षों के अनुसार, किसानों के खर्च करने के तरीके योजना के उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। साक्ष्यों के अनुसार, कृषि पीक सीजन के दौरान लाभान्वित होने वाले आधे से अधिक किसानों ने अपने लाभ को कृषि क्षेत्र में निवेश किया। ऑफ सीजन के दौरान पैसा पाने वाले 60% से अधिक किसानों ने इसे भोजन, शिक्षा और दवा जैसी चीजों पर खर्च किया।पाण्डे गिरीश चन्द्र (2019) ने अपने लेख "भारतीय कृषि और किसानष में बताया है कि सरकार ने छोटे किसानों के लिए आय सहायता योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसम्बर, 2018 से लागू की गयी है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि के स्वामी को वार्षिक 6000 रू० तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के खाते में दिया जायेगा। इस प्रकार यह योजना इसलिये विशेष है, क्योंकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अफसरशाही की निर्णायक भूमिका होने के कारण लाभार्थियों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता था। चूंकि, यह सहायता नकद हस्तांतरित की जाएगी, इसलिए यह मूल्य संकट की स्थिति से अधिक सुरक्षित है।

8. निष्कर्षः–

उपर्युक्त अध्ययनों को देखते हुए यदि हम एक तुलनात्मक दृष्टि डाले तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय किसान सम्मान निधि योजना की सफलता हेतु सरकार की अपेक्षा समुदाय के प्रत्येक सदस्यों की इसे सफल बनाने और इसके निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को पाने में जन जागरूकता बहुत आवश्यक तत्व है। भारतीय किसान सम्मान निधि योजना द्वारा पूरे देश में किसानों की समस्याओं को दूर करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना मुख्य लक्ष्य है यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। यह योजना आर्थिक मंदी के संकट से निपटने, गिरती हुई खपत की मांग, किसानों की आत्महत्या को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। यह योजना भारतीय कमजोर वर्ग के किसानों को सहारा देती है तथा किसान समुदायों के बीच मजबूत आर्थिक विकास का काम करता है। यह योजना आर्थिक मंदी के संकट से निपटने,

गिरती हुई खपत की मांग, किसानों की आत्महत्या को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1) Abbashi, P.A. 1999: Social Inequality among Indian Muslim, A.C. Brothers, Udaypur.
2) Baliy, F.G. 1957: Caste and the Economic Frontier : A village in highland Orissa, Manchester, Manchester University Press.
3) Dhangagre, D.N. 1983: Peasant Movement in India, New Delhi, Oxford University Press.
4) Dube, S.C. 1958: Indian Changing Village : New York, Corwell University Press.
5) Mukherjee, Ramkrishna 1957: The Dynamics of a Rural Society : A Study of the Economic Structure in Bengal Village, Berlin, Akademic Verlag.
6) Rana, M.S. 1994: Bhartiya Kisan Union and Chaudhary Tikait, Meerut Paragon Publication.
7) Srinivas, M.N. 1966: Social Change in Modern India, Berkley, University of Berkley.
8) Thegaleesan, T. 2020: A Study on Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme in India, Journal of Xi'an University of Architecture and Technology, Vol. XII, Issue-III, p. 6293-6307.
9) http://www.yojangyan.in/pm.kisan-sammannidhi-yoj.
10) https://hindiindiatvens.com/paisa/my-profilpm-kisan-samman-nidhi-yoj.
11) https://pmkisan.gov.in/homeaspx.
12) श्रीनिवास, जी० लेख, "अंतरिम बजट 2019–20 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल", कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित, मार्च–2019
13) पाण्डे, गिरीश चन्द्र लेख, "भारतीय कृषि और किसान", सामान्य ज्ञान दर्पण, जून–2019
14) रेडफिल्ड, रॉबर्ट, "कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ एकादमी, 1973
15) सिंह, सतीश लेख "सतत् कृषि विकास का लक्ष्य", कुरुक्षेत्र, मार्च–2019
16) सिंह, सतीश लेख "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
17) शर्मा, सुभाष लेख, "राष्ट्रीय कृषि बाजार : एक राष्ट्रीय एक बाजार", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
18) सिरोही, नरेश लेख, "किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
19) सूद, सुरिंदर लेख, "सदाबहार क्रांति का लक्ष्य", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018
20) सिंह, अर्चना लेख, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रमीण विकास में किसानों की भूमिका", योजना अगस्त–2006
21) यादव, चन्द्रभान लेख, "ग्रामीण विकास का आधार कृषि", कुरुक्षेत्र, मार्च–2019
22) यादव, चन्द्रभान लेख, "प्रधानमंत्री कृषि योजना से सवरेगा भारत", कुरुक्षेत्र, फरवरी–2018

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

प्राचीन खानदेशातील ताम्रपट : एक चिकित्सक अभ्यास

डॉ. सरतापे हनुमंत भारत
सहा.प्राध्यापक (इतिहास विभाग), कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नवापूर जि.नंदुरबार- 425418
Corresponding Author- डॉ. सरतापे हनुमंत भारत
Email- sartapehb02@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8146325

प्रस्तावना :

इतिहासाच्या अभ्यासासाठी व लेखनासाठी विविध प्रकारची साधने वापरली जातात. वाङमयीन साधने, पुरातत्वीय साधने, कोरीव लेख, नाणी आणि ताम्रपट इ. ताम्रपट हे इतिहासाचे अत्यंत महत्त्वाचे व विश्वसनीय साधन म्हणून उपयुक्त आहे. ताम्रपटाद्वारे त्या-त्या काळचा खरा, वास्तववादी इतिहास मांडता येतो. प्राचीन खानदेशामध्ये सुध्दा अनेक ताम्रपट मिळाले आहेत. त्यावरुन खानदेशचा वैभवशाली इतिहास आपल्याला अभ्यासता येतो. प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये प्राचीन खानदेशातील ताम्रपटाचा चिकित्सक अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळे प्राथमिक व दुय्यम साधनांचा उपयोग केलेला आहे.

प्राचीन खानदेशातील ताम्रपटांचा चिकित्सक अभ्यास :

ताम्रपट हा एक आलेखाचाच प्रकार आहे. मुळात ही दानपत्रे आहेत. प्राचीन काळात सम्राट व्यक्ती व धर्मसंस्था दानधर्म करीत असत. दिलेल्या दानाची माहिती तांब्याच्या पत्रावर कोरुन प्रशस्तीरुपाने देण्याची पध्दत होती. अशा दानपत्रांनाच ताम्रपट म्हणत असत. त्यात राजा आपला व पुर्वजांचा पराक्रम, वंशावळी, आत्मस्तुती, राज्यविस्तार, मालमत्तेचा तपशील, जमीनीचा आकार व दान घेणाऱ्याचे नांव इत्यादींची मोठया प्रमाणात नोंद करीत असे. हे ताम्रपट देखील संस्कृत व प्राकृत भाषेत आहेत. कालगणना, राजकीय, इतिहास व धार्मिक धोरणाची माहिती त्यातून मिळते.[1]

प्राचीन खानदेशावर राज्य़ करणारे राजे त्यामध्ये प्रामुख्याने सातवाहन, वाकाट, आभीर राजे, त्यांचे सामंत, कलचुरी, चेदी राजे, चालुक्य, राष्ट्रकुल, यादवराजेव निकुंभ घराण्याचे यादवांचे मांडलिक राजे इत्यादी राजवटींच्या राजांनी त्यांच्या काळात त्यांच्या राज्यातील बाह्मणांना आणि इतर काही व्यक्तींना ताम्रपट दिलेले आढळून येतात. खानदेशचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी थाळनेर येथील भानुषेण राजाचा ताम्रपट, इंदूर येथील भुलंद महाराज व स्वामीदास यांचे ताम्रपट, शिरपूर येथील रूद्रदास राजाचा ताम्रपट, कळवळा येथील यशोवर्मन राजाचा ताम्रपट, धुळे येथील कर्ण राजाचा ताम्रपट, नागद येथील राष्ट्रकुट राजा गोविंद यांचा ताम्रपट, पिंपरी येथील ध्रुव राजाचा ताम्रपट, तोरखेडे येथील राष्ट्रकुट राजा गोविंद यांचा ताम्रपट इत्यादी ताम्रपट प्राचीन खानदेशच्या राजकीय, धार्मिक व प्रशासकीय इतिहासाची माहिती मिळविण्य़ास मदत करतात.[2]

या सर्व ताम्रपटातून पश्चिम खानदेशातील राजाची व त्यांच्या राजवंशाची माहिती मिळते. कासारे येथील अल्लाशक्तीच्या ताम्रपटात निकुंभ घराण्याची वंशावळीची माहिती मिळते. त्यातून खानदेशच्या राजकीय इतिहसावर प्रकाश पडतो. या राजाच्या वंशावळीप्रमाणे त्यांनी दान केलेल्या गावाच्या जमीनीच्या आणि तत्कालीन धार्मिक श्रध्दा व धर्मग्रंथ इत्यादी इतिहासाच्या विविध पैलुंची माहिती मिळण्यास मदत होते.[3]

यावरील माहिती शिवाय या ताम्रपटातून खानदेशातील प्राचीन शहरे, राजधानीची ठिकाणे, विद्या व तीर्थक्षेत्रे यांची केंद्रे, राज्य, प्रांत, जिल्हा इ. ठिकाणी असलेली तत्कालीन राजवटीची प्रमुख ठिकाणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. तसेच या ताम्रपटावरून तत्कालीन राजवटीची मुख्यालये इ. बाबींचा उल्लेख केलेला आढळतो यावरून विविध राजसत्तेच्या काळाचा अभ्यास करण्याचे सोपे झाले आहे. ताम्रपटांच्या तपशीलांच्या आधारे तत्कालीन समाजातील वर्णव्यवस्था समजून घेण्यास बरीचशी मदत झालेली आहे. थाळनेर गावातील कुंभकर्ण घराण्याच्या भानषेण राजाच्या ताम्रपटावरून या थाळनेर गावाविषयीची माहिती मिळण्यास मदत झालेली आहे. यामध्ये त्या गावाचे प्राचीन नांव, प्रशासकीय विभाग व

त्यांचे उपविभाग, तेथील धार्मिक कल्पना, धर्मविधी, तत्कालीन जमीनीची प्रतवारी, त्यानुसारचे पडणारे प्रकार, जमीन महसुल इत्यादी बाबी समजण्यास मदत झाली आहे. काही ताम्रपटात अमावस्या, सुर्यग्रहण, चंद्रग्रहण इत्यादीची माहिती मिळते. काही ताम्रपटावरून तीर्थस्थानाच्या ठिकाणी असणाऱ्या जमीनी खानदेश येथील मांडलिक राजांनी व्यक्ती, धर्मभिक्षू, ब्राह्मण, मुनी इत्यादींना दान दिल्याबाबतचा उल्लेख सापडतो. या ताम्रपटामुळे त्या तीर्थस्थानाचे नांव मंदिराची माहिती, हिंदु धर्मातील विधी, जैन व बौध्द धर्मातील विधी कशी केली जात होती याची माहिती मिळण्यास मदत होते.[4]

महाराज स्वामीदास महाराज भुलंद आणि महाराज इंद्रदास यांचे काही ताम्रपट खानदेशात मिळाले आहेत. यांच्या ताम्रपटावरुन असे स्पष्ट होते की, इ.स. 316 ते इ.स. 367 या काळात राज्यकारभार करणाऱ्या या राजांनी खानदेशातूनच राज्य केले असावे. त्यांची राजधानी वल्खा म्हणजे जळगांव जिल्ह्यातील वाघळी ता. चाळीसगांव हे ठिकाण असावे असे मत मांडले जाते. परंतु मध्यप्रदेशातील सुप्रसिध्द वाकाटक व गुप्तकालीन गुंफा असलेल्या बाघ या ठिकाणी वरील राजांचे ताम्रपट मोठया संख्येने मिळाले आहेत. या राजांच्या ताम्रपटातील सांस्कृतिक माहिती तसेच इतर परिस्थितीजन्य पुरावे लक्षात घेता वल्खा म्हणजे वाघळी हे समीकरण चुकीचे असून मध्यप्रदेशातील बाघ हेच ठिकाणी वल्खा असावे असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढलेला आहे.[5]

सेंद्रक घराण्याने खानदेशावर चालुक्यानंतर राज्य केल्याचा उल्लेख सापडतो. या घराण्याच्या उपलब्ध पाच ताम्रपटापैकी चार खानदेशात सापडले आहेत. या ताम्रपटात निकुंभ हे बिरुद धारण करणारा आल्लाशक्ती नावाचा राजा नंदुरबार प्रादेशिक विभागातील एका गावाचे दान करतो.[६] असा उल्लेख नागद तथा नेगद येथील इ.स. 653 च्या ताम्रपटात येतो. तर त्याचा मुलगा जयशक्ती यांच्या इ.स. 680-681 च्या मुंदखेडे (ता.जामनेर) या गावात सापडलेल्या ताम्रपटात जळगांवच्या पश्चिम सीमेवरील गावांच्या दानाचा उल्लेख सापडतो.

बदलापूरीहून दिलेल्या इ.स. 702 च्या मेहुणबारेला सापडलेल्या ताम्रपटात देवीग्रामचा उल्लेख असून नागशर्मन नावाच्या ब्राह्मणास पूजा व अग्निहोत्रासाठी दान दिल्याचे नमुद केलेले आहे. या दानाचा उपयोग अग्निहोत्र कार्यासाठी व्हावा असे नमुद केले आहे. शिवाय त्यात जयशक्तीचे वंशज देवशक्ती, दंडिराज, वैरदेव यांचाही उल्लेख आढळतो. विशेष म्हणजे महासंधीविग्रहधिकृत अशासारखे अधिकारी या राजाचे मदतीला असत आणि सांगोपनिषदवेदविद ब्राह्मणांच्या विद्वतेची बूज राखणारे हे राजे होते. हेही या ताम्रपटावरुन समजण्यास मदत होते.[7]

पिंपरीचा आठव्या शतकातील राष्ट्रकुट धारावर्ष ध्रुवराज याच्या ताम्रपटात पुण्योपार्जनासाठी बिलगव्हाण गाव दान दिल्याचे म्हटले आहे. संस्कृत भाषेतील बहुलावाडच्या ताम्रपटात (शके 732) राष्ट्रकुट राजा गोविंदराज तिसरा पुण्यप्राप्तीस्तव एक गाव ब्राह्मणास दान केल्याचे मुंदखेडच्या ताम्रपटावरुन (शके602) दिसते.[8]

सारांश :

प्राचीन खानदेशचा इतिहास लिहिण्यसाठी ताम्रपट हे प्राथमिक साधन म्हणून वापरले जाते. या ताम्रपटातून प्राचीन खानदेशातील मांडलिक राजे, त्यांच्या वंशावळी, राज्यविस्तार व खानदेशातील दिलेली दान गांवे. याशिवाय दान गावांची जुनी नांवे, दान देणाऱ्या राजाच्या नावाबरोबर दान घेणाऱ्या व्यक्तीचे नांव, दान दिलेली गावे व जमीनी इ. ची सविस्तर माहिती ताम्रपटातून मिळाली आहे.

पाटणे, पिंपरी, बहुलवाड, बहाळ, मुंदखेडे, मेहुणबारे, मेहुण व वाघळी इ. अनेक ठिकाणी सापडलेल्या ताम्रपटावरुन प्राचीन खानदेशातील सांस्कृतिक इतिहासाची माहिती विस्तृतपणे मिळण्यास मदत झाली आहे.

संदर्भ साधने :

1) जोशी पी.जी., प्राचीन भारताचा सांस्कृतिक इतिहास, विद्या प्रकाशन, नागपूर, 14 जानेवारी 2003 पृष्ठ 7.
2) एपिग्राफिया इंडिका खंड नं.38 पृष्ठ 198.
3) देव शां.भा., महाराष्ट्र व गोवे शिलालेख, ताम्रपटाची वर्णनात्मक संदर्भ सूची पृष्ठ 113.
4) मिरासी वा.वी., कॉर्पस इन्स्क्रिप्शन्स इंडिकेरम, खंड 4, पृष्ठ 222.
5) मिरासी वा.वी., संशोधन मुक्तावली खंड 2, पृष्ठ 72 ते 78.
6) इपिग्राफिया इंडिका खंड 28, पृष्ठ 197.
7) चौधरी कि.का., जळगांव जिल्हा गॅझेटियर, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई, 1994 पृष्ठ 65.
8) कित्ता, पृष्ठ 66

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य संघर्ष आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

प्रा.डॉ. कांबळे शिवाजी ईरबा
इतिहास विभाग प्रमुख, श्री मधुकरराव बापुराव पाटील खतगांवकर महाविद्यालय शंकरनगर ता.बिलोली जि.नांदेड
Corresponding Author- प्रा.डॉ. कांबळे शिवाजी ईरबा
Email- kshivaji1418@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8146342

प्रस्तावना :

ब्रिटिशांनी भारतावर एकछत्री अंमल निर्माण करुन भारतीयांचे शोषण केले. या शोषणाच्या विरुध्द भारतीयांच्या मनात असंतोष निर्माण होऊन भारतावरील ब्रिटिशांची सत्ता नष्ट झाली पाहिजे अशी मानसिकता निर्माण झाली. त्यातूनच इंग्रजी रावजटी विरुध्द मवाळ, जहाल आणि क्रांतीकारी मार्गाचा अवलंब करुन स्वातंत्र्य चळवळी सुरु झाल्या. भारतीयांनी स्वातंत्र्य चळवळ चालवत असतांना वेगवेगळया साधनांचा उपयोग केला असला तरी त्यांचे साध्य एक होते, ते म्हणजे भारताला इंग्रजाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणे. भारतीयांनी स्वातंत्र्याची चळवळ चालवत असताना ब्रिटिशांनी दडपशाही मार्गाचा अवलंब केला असला तरी त्या दडपशाहीला न घाबरता स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करत स्वातंत्र्य चळवळ जोमाने चालवली. त्यामुळे भारतावर आपली सत्ता चालू ठेवणे धोक्याचे आहे हे लक्षात आल्यानंतर ब्रिटिशांनी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य दिले. भारतात संस्थानिकांची संख्या 564 होती. संस्थानिकांच्या संख्येबाबत वेगवेगळी आकडे उपलब्ध आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ही संस्थाने भारतात विलीन होणे आवश्यक होते. काही संस्थानिक भारतात सामिल झाले. परंतु काश्मीर, हैद्राबाद, जुनागड ही संस्थाने स्वतंत्र राहू इच्छित होते. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे संस्थानिकांच्या विलीनीकरनाचा पेच निर्माण झाला. हा पेच निर्माण होण्यासाठी प्रामुख्याने मोहम्मद अली जीना हे कारणीभूत होते. कारण त्यांनी संस्थानिकांना भारताच्या विरुध्द चिथावणी दिली होती. त्या चिथावणीला हैद्राबाद संस्थानचा निजाम मीर उस्मानअली खान बळी पडला. संपूर्ण संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण केल्याशिवाय अखंड भारत निर्माण होऊ शकले नसते.

ब्रिटीशा विरुध्द भारताच्या स्वातंत्र्याची चळवळ चालू असतानाच, हैद्राबाद संस्थानमध्ये हैद्राबाद संस्थानाच्या निजामा विरुध्द स्वातंत्र्याची चळवळ सुरु झाली होती. सातवा निजाम मीर उस्मान अली खान हा पाताळयंत्री आणि अतिशय महत्वकांक्षी होता. रझाकाराच्या साहय्याने हैद्राबाद संस्थानातील चळवळ दडपून टाकण्याचा त्याने प्रयत्न केला. निजामाच्या अन्यायाला न घाबरता स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्राणपणाने निजामांची जुलमी राजवट नष्ट करण्याचे काम केले. पोलिस कारवाई झाल्यानंतर निजाम आपले संस्थान भारतात विलीन करण्यास तयार झाला. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैद्राबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण झाले.

शोधनिबंधाचे उद्देश :

1) हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य संघर्ष आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ याचा अभ्यास करणे.
2) भारताच्या पोटात हैद्राबाद संस्थान असताना निजाम हे संस्थान भारतात विलीन करण्यास का तयार नव्हता ? याचा अभ्यास करणे.
3) हैद्राबाद संस्थानाच्या बाबतीत ब्रिटीश राज्यकर्त्यांचे काय धोरण होते याचा आढावा घेणे.
4) भारत इंग्रजाच्या वर्चस्वाखाली का गेला याचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहिते :

1) हैद्राबाद संस्थानाच्या निजामाचा स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र निर्माण करण्याचा उद्देश होता.
2) आपले ध्येय साध्य करण्याकरीता निजामाने हिंदूवर अत्याचार केला.
3) बॅ.मोहम्मद अली जिनाची निजामाला चिथावणी होती.
4) राष्ट्रीय ऐक्याच्या अभावामुळे भारतावर इंग्रजांचे वर्चस्व निर्माण झाले.

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत शोधनिबंध लिहण्यासाठी ऐतिहासिक पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. शोधनिबंध लिहण्यासाठी ऐतिहासिक संदर्भग्रंथाचा वापर करण्यात आला आहे. शेषेराव मोरे, सुधाकर डोईफोडे, प्रा.डॉ.चंद्रशेखर लोखंडे, डॉनिमिक लॅपिए/लॅरी कॅलिन्स, डॉ.जयसिंगराव पवार, प्रा.डॉ.शेषराव नरवाडे, धनंजय कुलकर्णी इत्यादींनी लिहिलेल्या ग्रंथाचा उपयोग संशोधन निबंध लिहण्यासाठी करण्यात आलेला आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ :

23 जून 1757 रोजी झालेल्या प्लासीच्या लढाईत रॉबर्ट क्लाईव्हने मुत्सद्देगिरीचा अवलंब करुन बंगालचा नबाब सिराजउद्दोला याचा पराभव करुन भारतातील बंगाल प्रांतात ब्रिटीश सत्तेचा पाया घातला. भारतातील राजकीय परिस्थिती अतिशय विस्कळीत होती. तसेच भारतीयामध्ये ऐक्याचा अभाव होता. म्हणूनच छोटयाशा इंग्लंडने मोठया भारतावर वर्चस्व निर्माण केले. फेअरहार्ट याने अश्चर्य व्यक्त करताना म्हटले होते मुठभर ब्रिटीश व्यापारी इतक्या बहुसंख्य भारतीयांच्या भवितव्यावर कसे काय ताबा मिळू शकले. फेअरहार्टने व्यक्त केलेले आश्चर्य अगदी बरोबर आहे. भारतात राष्ट्रवादाचा अभाव होता. आपण एकाच राष्ट्राचे लोक आहोत ही भावना भारतीयांच्या मनात नव्हती. सर्व भारतीय एकजूटीने राहिले असते तर इंग्रजांचे वर्चस्वच भारतावर निर्माण झाले नसते. पण एकसंघ भारत ही भावनाच भारतीयांमध्ये नव्हती. इथल्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेवून ब्रिटीशांनी भारतावर राजकीय वर्चस्व तर स्थापन केलेच, त्याचबरोबर भारताची प्रचंड प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक केली. “1757 ची प्लासीची लढाई आणि 1815 वाटर्लूची लढाई दरम्यान सुमारे 100 कोटी पाऊंडस भारताच्या खजिन्यातून ब्रिटीश बँकेमध्ये हालविले गेले. ही गोष्ट ब्रिटीश राज्याकर्त्यांनी व अभ्यासकानिही मान्य केली आहे.”1 या आकडेवारीवरुन लक्षात येते की इंग्रजांना भारतावर फक्त राज्य करायचे नव्हते तर आपल्याला अनुकूल असे आर्थिक धोरण राबवून प्रचंड प्रमाणात भारताची लूट करायची होती. 1815 नंतरही त्यांनी भारतीयांचे आर्थिक आणि मानसिक शोषण केलेले होते. इंग्रज भारतीयांची आर्थिक पिळवूणक करुन भारतीयांना कशी तुच्छतेची वागणूक देतात हे लक्षात आले. इंग्रज स्वत:ला भारतीया पेक्षा श्रेष्ठ दर्जाचे समजून घेत. अनेक बाबतीत ते भारतीयांचा अपमान करीत. एकंदरीत इंग्रजांच्या धोरणाविरुध्द भारतीयांमध्ये असंतोष निर्माण होवून स्वातंत्र्याची चळवळ सुरु झाली.

मवाळांनी सुरुवातीला अर्ज, विनंत्या, निवेदने इत्यादी मार्गांनी जाऊन इंग्रज राज्यकर्त्यांपुढे आपल्या मागण्या मांडल्या पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. म्हणून तरुण वर्गाचा अशा मार्गावरील विश्वास उडाला आणि ते जहाल आणि क्रांतीकारी मार्गाकडे वळले. म.गांधीनी अंहिसेच्या मार्गाचा अवलंब करुन इंग्रज राज्यकर्त्या विरुध्द असहकार चळवळ आणि सविनय कायदेभंग चळवळ चालवली. असहकार चळवळ ही पहिली देशव्यापी चळवळ होती. या चळवळीना अपयश आले तरी या चळवळीमुळे इंग्रज राजवटीबद्दल भारतीयांच्या मनात असलेली भीती नाहीसी झाली. सत्य आणि अंहिसा हे शस्त्र गांधीजीने चळवळीत वापरुन इंग्रजांना भारताच्या स्वातंत्र्या बद्दल विचार करण्यास भाग पाडले. लाल, बाल, आणि पाल यांनी इंग्रज राजवटी विरुध्द प्रसंगी रक्त सांडावे लागले तरी चालेल असा निर्धार करुन जहालवादी चळवळ चालविली. या चळवळीचाही इंग्रज राजवटीवर परिणाम झाला. क्रांतीकारकांनी तर भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटीश राजवटी विरुध्द सशस्त्र लढा चालवला. सनदशीर मार्गाने चळवळ चालवल्यानंतर इंग्रजांनी दडपशाही मार्गाचा अवलंब करुन स्वातंत्र्य चळवळ दडपून टाकण्याचे काम केले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या शेवटच्या टप्यात झालेली 1942 ची चले जाव चळवळ ही अतीशय महत्वाची चळवळ होती.

या चळवळीला सुरुवात होण्यापूर्वीच मं गांधी पं.जवाहरलाल नेहरु डॉ राजेंद्र प्रसाद इत्यादी महत्वाच्या नेत्यांना अटक केली. परंतु छोटया नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वसामान्य जनतेनी चलेजाव चळवळ चालवली. ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी इंग्रज राज्यकर्त्यांना दडपशाही मार्गाचा अवलंब केला होता. भारताला इंग्रजांच्या गुलामितून मुक्त करण्यासाठी भारतीय क्रांतीकारकांनी सशस्त्र चळवळ चालवून इंग्रजांच्या मनात भित्ती निर्माण केली. सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य चळवळ चालवून ब्रिटिश राजवटीवर दबाब निर्माण केला. शेवटी 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा करून भारतावरील आपली आधिसत्ता सोडण्याचे जाहीर केले.

हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य संघर्ष

हैदाबाद संस्थानावरील जुलमी निजामाची सत्ता नष्ट करण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो संघर्ष केला त्याला इतिहासात महत्वाचे स्थान आहे. 3 मार्च 1707 मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाल्यानंतर मोगली सत्ता दुबळी झाली. या दुबळेपणाचा फायदा घेवून अनेक सुभेदारांनी आपले स्वातंत्र्य जाहिर केले. मीर कमरुद्दीनने इ.स. 1724 रोजी दुबळया मोगल साम्राज्याचा फायदा घेवून आपले स्वातंत्र्य जाहिर केले. सन 1713 मध्ये मीर कमरुद्दीन गुजरातचा सुभेदार बनला होता. दिल्लीत भांडणे वाढत गेल्यानंतर, त्याने दिल्लीच्या राजकारणात लक्ष घातले. तो इ.स. 1719 मध्ये दक्षिण भारतात आला व परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपल्या घराण्यांची सत्ता स्थापन केली. मोगल सम्राट फर्रुखसियरने मीर कमरुद्दीन निजामुल्मुल्क फिरोजजंग, चीन कलिचखान (म्हणजे छोटा समशेर बहादूर) असा किताब बहाल केला. मोगल सम्राट महमदशहा याने मीर कमरुद्दीनाला 'आसफजहा' हा किताब दिला. इ.स. 1724 ले इ-स. 1948 अशी सव्वा दोनशे वर्षे या घराण्यानी हैदराबाद संस्थानावर राज्य केले. या कालावधीत एकुण सात निजामांनी राज्य केल. शेवटचा निजाम होता मीर उस्मान अली. हैदराबाद संस्थानचं क्षेत्रफळ खूप मोठं होत. “हैदराबाद संस्थानचं क्षेत्रफळ फ्रान्स एवढे म्हणजे 82,313 चौ. मैल, 1941 प्रमाणे लोकसंख्या 1,63,38,534 होती. त्यात हिंदूची संख्या 87% तर मुस्लिमांची संख्या12 टक्के होती. "2

सातवा निजाम मीर उस्मान अली खान हा इ.स. 1911 ते 1948 या कालावधीत हैदराबाद संस्थानचा निजाम होता, हा सर्व निजामात विलक्षण व विक्षिप्त होता. जगातील सर्वात श्रीमंत असुनही अतिशय साध्या पद्धतीने राहत होता. तसेच तो अतिशय चिक्कू होता. "त्याच्या चिक्कूपणाची आणखी एक गोष्ट सांगतात. आपल्या पाहुण्यांनी ओढून टाकलेली सिगारेटची थोटके ओढायची त्याला सवय होती."3 काटकसर करण्याच्या बाबतीत निजाम मीर उस्मान अली याच्याविषयी अनेक बाबी लिहलेल्या आढळून येतात. तो ब्रिटिशांचा एकनिष्ठ सेवक होता. इस्लामचे नाव घेवून ज्या निजाम उस्मान अलीने हैदराबादेत इस्लामी स्टेट कायम करण्याचा व त्याव्दारे आसफिया घराण्याची सत्ता आबाधित राखण्याचा प्रयत्न केला. त्याच उस्मानअलीच्या सेना इस 1914 ते इ.स. 1918 च्या दरम्यान झालेल्या पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानच्या म्हणजेच मुसलमानांच्या विरुद्ध लढत होत्या. युरोपवर इंग्रजांच्या विमानातून धर्म वगैरेची तमा न बाळगता बाँबफेक झाली तेव्हा निजामाने आपल्या राज्यातील सर्व मशिदीतून इंग्रजांच्या वैमानिकांचे प्राण सुरक्षित रहावेत म्हणून प्रार्थना करण्याचा हुकूम दिला. उमान अलीच्या याच कर्तबगारीचे बक्षिस म्हणून इंग्लंडच्या बादशहाने पाचव्या जॉर्जने त्यास 1918 मध्ये हिज एक्सॉल्टेड हायनेस किताब बहाल केला एवढेच नाहीतर बादशहा जॉर्जने 24 जानेवारी 1918 रोजी पत्र लिहून 'निजाम मीर उसान अलीला फेथफुल अलाय ऑफ ब्रिटिश गव्हर्नमेंट हे विशेष बिरुद बहाल केले होते. भारतात अनेक संस्थानिक होते परंतु ब्रिटिशांनी फक्त हैदराबादच्या निजामाला हिज एक्सॉल्टेड हायनेस हा किताब बहाल केला होता. निजाम हा अतिशय महत्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री होता.

20 फेब्रुवारी 1947 रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान ॲटली यांनी हिंदी संस्थाने आणि भारताची भावी राज्यव्यवस्था याबाबत अतिशय महत्वाचे निवेदन केले होते. ते म्हणाले होते की, भारतातील ब्रिटिशांची संस्थानावरील अधिसत्ता सत्तांतर होताच संपुष्टात येईल. ती अधिसत्ता भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या वारसदार सत्तेस मिळू शकणार नाही. संस्थानावरील अधिसत्ता ब्रिटिश सत्तेच्या वारसदारास दिली जाणार नाही. ही बाब भारताच्या दृष्टीने चांगली नव्हती. याचाच आधार घेऊन अनेक संस्थानांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय जाहिर केला. अँटलीनी 20 फेब्रुवारीची घोषणा करताच पं. जवाहरलाल नेहरूच्या लक्षात प्रश्नांचे गांभिर्य लक्षात आले. त्यांनी नरेंद्र मंडळाच्या चॅन्सेलरला, भोपाळच्या नबाबाला संस्थानिकांनी घटना परिषदेत आपले प्रतिनिधी पाठवावेत आवाहन केले. संस्थानिकांच्या मनातील चलबिचल पाहून पंडित नेहरूनी तर 18 एप्रिल 1947 रोजी धमकी दिली होती की घटना समितीत सामिल न होणारे संस्थान भारत सरकारचे शत्रू म्हणून समजले जाईल. 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा पास केला. त्यानुसार संस्थानावरील ब्रिटिशांची अधिसत्ता संपुष्टात येणार होती. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळणार होते. तोपर्यंत संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे अपेक्षित होते. पण संस्थानाच्या विलिनीकरणचा प्रश्न अवघड बनत चालला होता. 5 जुलै 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 18 जून 1947 रोजी पत्रक प्रसिद्ध करून सांगितले होते की, "संस्थानांना स्वतंत्र होताच येत नाही. भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारला कळवून टाकावे की, भारताचे संस्थानावरील सर्वभौमत्व नष्ट करण्याचा ब्रिटिश पार्लमेंटला आधिकारच नाही, या संबंधात आगामी स्वातंत्र्य कायदयात केली जाणारी तरतूद आम्ही रद्दबातल व शून्यवत मानतो. भारत सरकार कोणत्याही संस्थानाला सार्वभौम वा स्वतंत्र म्हणून मान्यता देणार नाही असे आम्ही घोषित करतो."5 5 जुलै 1947 रोजी संस्थानाच्या विलिनीसाठी पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरीम सरकारने एक खास मंत्रालय नेमून त्यास संस्थान खाते असे नाव दिले. या खात्याचे मंत्रिपद सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे तर सचिवपद व्ही.पी. मेमन यांच्याकडे सोपविण्यात आले. सरदार वल्लभभाई पाटील यांनी कणखरपणे पाऊले उचलून संस्थानाच्या विलिनीकरणाचे कार्य केले.

संस्थानाच्या विलिनिकरणाचे कार्य चालू असताना मोहमद अली जिना मात्र संस्थानिकांना चिथावणी देण्याचे काम करीत होते. जीनाच्या चिथावणीला बळी पडून हैदराबादच्या निजामाने आपले स्वातंत्र्य जाहीर केले. लोकसंख्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या विचार केलातर निजामाचा स्वतंत्र राहण्याचा विचार अतिशय अविवेकी होता. हैदराबाद संस्थान हे भारताच्या पोटात होते.चोहोबाजूनी भारतीच भूप्रदेशाने वेढले गेले असल्यामुळे ते संस्थान भारतात विलीन होते अतिशय महत्वाचे होते. पण निजाम आपले संस्थान भारतात विलिन करण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. म्हणून भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच हैदराबाद मुक्ती आंदोलन सुरु करण्यात आले. 29 जून 1938 रोजी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. 24 ऑक्टोबर 1938 हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या वतीने निजामाविरुद्ध अहिंसक प्रतिकार केला. निजामाविरुद्ध हा पहिला प्रतिकार होता. त्यानंतर 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली निजामाविरुद्ध सत्याग्रह करण्यात आला. सत्याग्रहापूर्वी स्वामीजी हैदराबाद शहराचे पोलिस कमिशनर नबाब रहमत यार जंग बहादूर यांना दिवसर पत्र पाठवून, आपण बंदी मोडून स्टेट कॉग्रेसचे कार्य करणार असल्याचे कळविले होते. त्या सर्वांना पोलिसांनी अटक केली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी त्यावेळी एक निवेदन प्रकाशित करून हैदराबादच्या जनतेला विशेषत: युवकांना

स्वातंत्र्याच्या वेदीवर बलिदान करण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहान केले हैदराबाद मुक्ती चळवळ वरचेवर वाढतच गेली. हैदराबाद शहरात निजामाविरुद्ध सत्याग्रह करण्यासाठी ज्या तुकड्या गेल्या त्यात मराठवाड्यातील सत्याग्रहिचा भरणा अधिक होता. हिंदू महासभा आणि आर्य समाजाने याचवेळी आपापले सत्याग्रह सुरु केले. हिंदू महासभा हिंदू धर्माच्या बाबतीत आक्रमक भूमिका घेतली होती. गांधीजीना हैदराबादच्या निजामाविरुद्ध होणा-या सत्याग्रहाला धार्मिक रूप द्यायचे नव्हते. हिंदू महासभा आणि स्टेट काँग्रेसची गल्लत होऊ नये म.गांधीनी स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित केला. हे सर्व घडत असताना वंदे मातरम चळवळ सुरू झाली.

"हैदराबाद स्वातंत्र्य आंदोलनाची सुरुवात मराठवाड्यातील औरंगाबाद या शहरातून वंदे मातरम या सत्याग्रहाने किंवा चळवळीने झाली."6 हैदराबाद मुक्ती आंदोलनाचे औरंगाबाद हे केंद्र बनले होते, गोविंदभाई श्रॉफ, व्ही. डी. देशपांडे, अनंत वाघमारे, रतीलाल जरीवाला, सय्यद हबीबुद्दीन आदींनी आंदोलन करून जनजागृती केली. 1942 साली ब्रिटिशाविरुद्ध चले जाव चळवळ सुरु करण्याचा आदेश म. गांधीनी दिला. चळवळ सुरु होण्याआधी म.गांधीसह महत्वांच्या नेत्यांना अटक केली.

याचवेळी म. गांधीनी स्वामी रामानंद तीर्थ यांना निजामाविरुद्ध चळवळ सुरु करण्यास सांगितले. त्यानुसार 1942 साली त्यांनी निजामाविरुध्द चळवळ सुरु केली. हैदराबाद स्वातंत्र्यसंग्राम हा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचा च भाग आहे असे गांधीजीनी स्वामी रामानंद तीर्थ यांना सांगितले होते. 1942 चे चलेजाव आंदोलन हे भारतभर पसरल्यामुळे त्याचा वनवा हैदराबाद संस्थाना- तही पसरेल या भितीने निजामाने स्वामी रामानंद तीर्थ यांना नामपल्ली स्टेशनवर 16 ऑगस्ट 1942 साली अटक केली. 11 जून 1947 रोजी निजामाने हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राहण्याचे जाहिर केल्यानंतर निजामाच्या विरोधात हैदराबाद स्टेट कॉग्रेसने स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या जोमाने हैदराबाद मुक्ती लढा सुरु केला.

7 हा दिवस संघ राज्यात विलिन होण्याचा आणि 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस भारतीय स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्याचे स्टेट काँग्रेसने ठरविले. 15 ऑगस्ट रोजी प्रत्यकाने आपल्या घरावर तिरंगा ध्वज लावावे असे आवाहान स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केले होते. इत्तेहादुल मुसलमिन या संघटनेची लष्करी विभाग असलेल्या रझाकारानी स्वातंत्र्य आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी, क्रूर मार्गाचा अवलंब केला. औरंगाबाद, बीड, नांदेड आणि उस्मानाबाद या जिल्हयात रझाकारांनी हिंदूचा छळ केला. रझाकारांच्या या अत्याचारामुळे हिंदुच्या मनांत निजामाबद्दल चिड निर्माण झाली. हैदराबाद संस्थानात मुसिलीमांची संख्या कमी असल्यामुळे ती वाढवून आपले आसन बळकट करण्याचा प्रयत्न निजामाने केला. हिंदूच्या छळाला अनेक अस्पृश्य बळी पडले होते. आपल्याला संरक्षण मिळेल आणि आर्थिक फायदा होईल या उद्देशाने काही अस्पृश्य रझाकार बनले. हा प्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आवडला नाही. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना मुसलीमापासून दूर राहण्यास सांगीतले होते. आपल्यावर सवर्णाकडून अन्याय होतो हे खरे आहे, पण मुस्लिम आपले हितकर्ते होऊ शकत असा इशारा त्यानेदिला होता. आपल्यावर सवर्गाकडून असा इशारा त्यांने दिला होता."7 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निजामाविरुद्ध कडक धोरणाचा अवलंब केला होता. अस्पृश्य जर मुसलीम झाले तर हैद्रबाद संस्थानावरील आपली सत्ता कायम राहण्यासाठी मदत होईल. या उद्देशाने अस्पृश्यांच्या धर्मांतराबाबत प्रयत्न केला. बी.शामसुंदर आणि बी.एस. व्यंकटराव हे हैदराबादमधील अस्पृश्याचे पुढारी निजामाच्या मंत्रिमंडळात होते. हैदराबाद संस्थानावरील निजामाची सत्ता कायम राहावी असे मानणारा वर्णियांचा एक गट होता. असे वाटण्यामागे त्यांचा स्वार्थ दडलेला होता. "हिंदू धर्मातील एक गट निजामाच्या बाजूचा होता. सामान्य जनता त्यात नसे, निजामाच्या बाजूचा वर्ग म्हणजे जहागिरदार, वतनदार, इजारदार, ओहदेदार (सरकारी नोकर) पासून ते पांडे, देशपांडे, सरदेशपांडे, देशमुख, पाटील असेच असत."8 असे लोक निजामाच्या बाजूने असल्यामुळे आपण स्वतंत्र राहू शकतो असे निजामाला वाटत होते. हैदराबाद - संस्थानावरील निजामाची सत्ता कायम राहिली तर आपली वतने टिकून राहतील ही निजाम समर्थक उच्च जातीतील हिंदूची भावना होती. सर्वच उच्च जातीतील असे निजाम समर्थक नव्हते. ब-याच देशमुख, पाटील, पोलीस पाटील इत्यादीनी आपल्या स्वार्थाचा त्याग करून हैदराबाद मुक्ती लढयात भाग घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

सातवा निजामाने हा अतिशय महत्वाकांक्षी होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याने हैदराबाद संस्थानाला स्वतंत्र ठेवून त्यावर सत्ता कायम राहण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि भेदनीतीचा अवलंब केला. पण त्याला त्यात अपयश आले, त्याच्या धोरणामुळे हैदराबाद संस्थानातील जनमत प्रक्षुब्ध बनत गेले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैद्राबाद संस्थानचे भारतात विलिनीकरण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली. शेवटी 13 सप्टेंबर 1948 रोजी मेजर चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सेना हैदराबाद शहरात शिरली. निजाम आणि रझाकाराने भारतीय फौजेचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी त्याच्या लक्षात आले की भारतीय सेनेपुढे आपला निभाव लागणार नाही. म्हणून तो 17 सप्टेंबर 1948 रोजी शरण आला. हैद्राबाद संस्थानावरील या कारवाईला पोलिस ॲक्शन असे म्हटले गेले. अशा प्रकारे हैदराबाद संस्थानावरील निजामाची सत्ता नष्ट करून सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे संस्थान भारतात विलिन करून टाकले.

निष्कर्ष:

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंवर अनेक संस्थानिकांनी आपल्या लहरीनुसार वागून स्वतंत्र भारतासमोर अनेक अडचणी निर्माण करून भारतासमोर आव्हान उभे केले होते. संस्थानिकांनी अमर्याद हक्क, भोगले होते. स्वैराचाराने वागले होते. स्वतंत्र भारतात विलीन झाल्यावर असे हक्क मिळणार नाहीत. आपल्याला स्वतंत्रपणे राज्य करता येणार नाही म्हणून स्वार्थी संस्थानिकांनी भारतात विलिन होण्यास नकार दिला होता. अशा संस्थानिकांपैकी हैदराबाद संस्थानचा निजाम होता भौगोलिकता आणि लोकसंख्या याचा विचार केला तर निजामाचा स्वतंत्र राहण्याचा विचार मूर्खपणाचा होता. आपली सत्ता अबाधीत ठेवण्यासाठी त्याने हिंदूवर अत्याचार केला बॅ.जीनाच्या भूलथापाना तो बळी पडला. जीनानी हैदराबाद संस्थानचे विलिनीकरण पाकीस्तानात करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या प्रयत्नाना यश येणे अशक्यच होते. काळानुसार बदलास समोर जाण्याची तयारी नसणा-या अडेल व उद्दाम भारतीय संस्थानिकांचे मीर उस्मान अली हे शेवटचे प्रतिक होते. भारतात विलिन होण्यास विरोध करून स्वायत्त, सार्वभौम मुसलीम राष्ट्राचा त्याने धरलेला हट्ट पूर्ण होणे शक्यच नव्हते, ऐतिहासिक, भौगोलिक सत्याशी तर्कविसंगत वाटणा-या स्वतंत्र मुस्लिम राज्याच्या कल्पनेचा त्याने हरमार्गाने पाठपुरावा करून संस्थानातील प्रजेस् अवर्णनीय हाल अपेष्टांच्या खाईत लोटून दिलं होते. स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्राणाची बाजी लावून निजामाविरुद्ध लढा दिल्यामुळे हैदराबाद संस्थानातील जनता निजामाच्या जाचातून स्वतंत्र झाली. 15 ऑगस्ट 1947 ते 17 सप्टेंबर 1947 असे तेरा महिने हैदराबाद संस्थानातील जनतेला स्वातंत्र्याची वाट पहावी लागली.

संदर्भ :

1) व्होरा राजेंद्र, (संपादक) एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्र (य.दी.फडके गौरवग्रंथ), प्रतिमा प्रकाशन, 1362, सदाशिव पेठ, औदुंबर अपार्टमेंट 4, नवा विष्णु मंदीर चौक, पुणे-411030, पृ.क्र.293
2) डोईफोडे सुधाकर, हिंदुस्थानातील संस्थानाची विलीनीकरण कसे झाले ? संगत प्रकाशन, 87, विवेकनगर, नांदेड, प्रथम आवृत्ती : जुलै 2014, पृ.क्र.244
3) डॉनिमिक लॅपिए/लॅरी कॉलिन्स (अनुवाद मार्डेकर माधव),फिडीम ॲट मिडनाईट, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, 1941, सदाशिव पेठ, माडीवाले कॉलनी पुणे-411030, पुनर्मुद्रन : नोव्हेंबर 2016, पृ.क्र.106
4) भालेराव अनंत, हैद्राबादचा स्वातंत्र्य संग्राम आणि मराठवाडा, अभंग प्रकाशन, गोदावरी हॉटेल कॉम्प्लेक्स, नांदेड. चौथी आवृत्ती : 6 जानेवारी 2023, पृ.क्र.21
5) मोरे शेषराव, काश्मीर एक शपित नंदनवन, राजहंस प्रकाशन प्रा. लि.1025, सदाशिव पेठ, पुणे-411030, आवृत्ती तिसरी : सप्टेंबर 2012, पृ.क्र.51
6) कठारे अनिल/नगराळे एस.एन.मराठवाडयाचा इतिहास, कल्पना प्रकाशन, ओव्हर ब्रिजजवळ, शिवाजी नगर नांदेड, 431602 प्रथम आवृत्ती : नोव्हें.1999, पृ.क्र.231
7) डोईफोडे सुधाकर, हिंदुस्थानातील संस्थानाची विलीनीकरण कसे झाले ? संगत प्रकाशन, 87, विवेकनगर, नांदेड, प्रथम आवृत्ती : जुलै 2014, पृ.क्र.258
8) कित्ता, पृ.क्र.260

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की स्थिति का अध्ययन भोपाल नगर के संदर्भ में :

नमिता सेन[1], प्रो. विजय कुमार सिंह2
[1]शोधार्थी,
क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
[2]ओएसडी खनन एवं श्रम विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश
Corresponding Author- नमिता सेन
Email- namitasen11@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8162224

शोध सार-:

विश्व के किसी भी देश के किसी क्षेत्र में अमीर गरीब या झुग्गी वासी ,प्रत्येक व्यक्ति नित्य क्रियाएं करता ही है। जैसे - भोजन करना और शौच करना आदि ,उठना ,सोना। अधिकतर झुग्गी बस्तियों में अभी भी शौचालयों का अभाव है या फिर शौचालयों की स्थिति बहुत ही खराब है। जिस प्रकार गन्दी नालियों को जल के द्वारा साफ किया जाता है उसी प्रकार से शरीर की गंदगी को शौच क्रिया द्वारा साफ किया जाता है। शौच क्रिया करने के लिए शौचालय की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था अति आवश्यक होती है ,परंतु झुग्गी बस्तियों में ऐसा नहीं है। यहां के अधिकतर निवासी शौच क्रिया के लिए सामुदायिक शौचालयोंसुलभ शौचालयों और खुले में , आदि का उपयोग करते हैं। झुग्गी बस्तियों के निवासियों की जैसेजैसे आय - बढ़ती है, वैसे ही वे जीवन की मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। आय और शौचालयों की स्थिति के प्रकार में घनिष्ट संबंध है। यदि आय कम होगी तो शौचालयों की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की देखने को मिलेगी। इन बस्तियों में ज्यादातर परिवारों की न्यूनतम से भी कम आय हैं। प्रस्तुत अध्ययन भोपाल नगर के 5 जोन की 5 झुग्गी बस्तियाँ के 142 परिवारों पर आधारित है।

मुख्य शब्द -: झुग्गी बस्ती, शौचालयसुलभ ,सामुदायिक ,।

प्रस्तावना -:

वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। अरब होने का 8 तक विश्व की जनसंख्या 2025 अनुमान लगाया गया है।जोकि में ही हो चुकी है 2022। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। और शायद बहुत ही जल्द प्रथम स्थान पर हो जायेगा। विश्व में बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि ही बस नहीं हुई है, बल्कि नगरीकरण भी बहुत ही तीव्रता से हुआ है। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या मुख्य समस्या है और उसके पश्चात गरीबी दूसरी समस्या है। उक्त कारणों के साथ ही गांवों में रोजगार के साधन नहीं होने के कारण लोग गांवों से नगरों की ओर पलायन करके बहुत संख्या में आ रहे हैं। यह सोचकर की नगरों में रोजगार मिल जाएगा और जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, परन्तु नगर में आने पर सच्चाई से अवगत होते हैं कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। नगरों में महंगाई अधिक होने के कारण मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति करना ही बहुत कठिन कार्य है। नगरों में आए हुए लोग रोटी और कपड़े की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन मकान बनाना नामुमकिन हो जाता है। अतः ये लोग झुग्गी बस्तियों का निर्माण करके उनमें वास करने लगते हैं। आज वर्तमान में नगरों की झुग्गी बस्तियां एक मुख्य समस्या बनकर उभर रही हैं। इन झुग्गी बस्तियों का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है।

झुग्गी बस्तियां वे बस्तियां होती हैं, जहां पर रहना नारकीय जैसा महसूस करना होता है। इनमें गंदगी देखने को मिलती है, कच्चे छोटे छोटे कमरे और एक कमरे में 5-लोग 7 एक साथ रहते हैं। जल, बिजली, साफ सफाई और शौचालय का अभाव होता है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग शौचालय का अभाव में निवासी शौच क्रिया के लिए सामुदायिक शौचालयोंसुलभ शौचालयों और खुले में , आदि का उपयोग करते हैं।के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 करोड़ थी 121 लगभग, जिसमें से 6,54, 94, 604 जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में निवास करती है। ऊर्जा की आवश्यकता आवश्यक है। जिस प्रकार गन्दी नालियों को जल के द्वारा साफ किया जाता है उसी प्रकार से शरीर की गंदगी को शौच क्रिया द्वारा साफ किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि झोपड़ियों में -में दो अरब झुग्गी 2030 रहने वाले लोग होंगे।उच्च घनत्व वाली मलिन बस्तियों में स्वच्छता से संबंधित मुद्दे विशेष रूप से हानिकारक हैं)Tomlinson, 2015(।

शौचालय एक ऐसी सुविधा है जो मानव के मल एवं मूत्र के समुचित व्यवस्था के लिये प्रयोग किया जाता है। शौचालय शब्द का प्रयोग उस कक्ष के लिये किया जा सकता है जिसमें मलमूत्र विसर्जन कराने वाली युक्ति लगी - होती है; या यह उस युक्ति के लिये भी प्रयुक्त होता है।

इसके लिए शौचालय कई प्रकार के होते है। किस प्रकार के शौचालय का कौन इस्तेमाल कर सकता है इसके कई तत्व हैं जैसे आय का स्तर, शिक्षा का स्तर और सामाजिक स्तर आदि का प्रभाव पड़ता है। झुग्गीवासियों की आय निम्न स्तर की ही होती है। इनके पास तो दो बार भोजन तक की व्यवस्था करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अतः इनके लिए शौचालय की उपलब्धता किसी सपने की तरह ही है। अधिकतर झुग्गी वासी शौचालय के अभाव में ही जीवनयापन कर रहे हैं। वर्तमान समय में अधिकतर लोगों द्वारा सेप्टिक टैंक वाला शौचालय का उपयोग किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अक्तूबर 2, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को महात्मा गांधी की वीं 150 अक्तूबर 2 जयन्ती पर श्रद्धांजलि के रूप में, तक 2019'खुले में शौचमुक्त भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। सरकार द्वारा Free Toilet Yojana के अंतर्गत ₹की अनुदान राशि प्रदान की जाती थी। 10000 जिसके माध्यम से शौचालय का निर्माण किया जाता था। अब इस राशि को बढ़ाकर₹कर दिया गया है। यह 12000 योजना देश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबितहोगी। प्रस्तुत शोध पत्र भोपाल नगर के संदर्भ में झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की स्थिति का अध्ययन है।

के अनुसार भोपाल की जनसंख्या लगभग 2011 17,98,4 कुल जनसंख्या जिसमें से 218,91,जनसंख्या 860 झुग्गी बस्तियों में निवास करती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जोकि बहुत बड़ा शहर भी है और यहाँ पर अनगिनत रोजगार भी उपलब्ध हैं। अतः भोपाल में आसपास के गांवों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और कोई ना कोई रोजगार मिल भी जाता है परंतु रहने के लिए घर या मकान नहीं मिल पाता है। इसलिए मजबूरीवश पलायन कर के आए हुए लोग यहां झुग्गी बस्तियों का निर्माण करते हैं। ये झुग्गी बस्तियां गंदगी से युक्त क्षेत्र होते है। ज्यादातर इनमे शौचालयों का अभाव देखने को मिलता है। या फिर बहुत ही बुरी हालत में होते है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण संभव हो पाया है , परन्तु आज भी कई लोगों के पास यह सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है।

अध्ययन क्षेत्र -:

मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल कहलाता है जिसकी राजधानी भोपाल हैं भोपाल में ही राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय है भोपाल का भौगोलिक विस्तार 237 - 23°54' उत्तरी अक्षांश तक तथा 77°12'-77:40' पूर्वी देशांतर तक के मध्य स्थित है। इसकी समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई 495. मीटर है और न्यूनतम ऊंचाई 76 992 मीटर है। औसत वार्षिक वर्षा 180mm है। अतः यहां पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भोपाल नगर का कुल क्षेत्रफल के 2011 वर्ग किलोमीटर है। 2859 अनुसार भोपाल की जनसंख्या लगभग 17,98,कुल 218 4 जनसंख्या जिसमें से,91,जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में 860 निवास करती है।

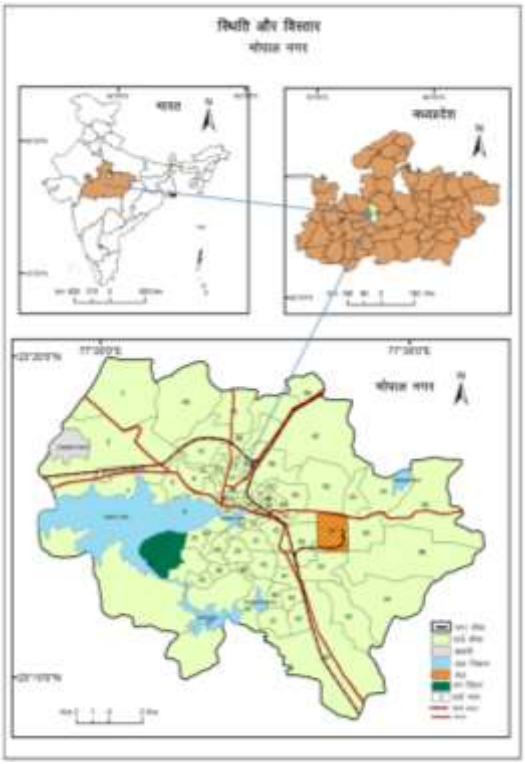

उद्देश्य -:

1) झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की स्थिति का अध्ययन करना।
2) झुग्गी बस्तियों में आय और शौचालयों की स्थिति के बीच संबंध ज्ञात करना।
3) शिक्षा और शौचालयों की स्थिति के बीच संबंध ज्ञात करना।

अध्ययन प्राविधि -:

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आंकडे जनगणना 2011 मध्य प्रदेश जनगणना गजेटियर रजिस्टर 2011, नगर निगम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, शोध पत्र, शोध सारांश और किताबों आदि से एकत्रित किए गए है। प्राथमिक आंकड़ों को अनुसूची के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसमें भोपाल नगर के 5 जोन की 5 झुग्गी बस्तियाँ के 142 परिवारों को लिया गया है। मानचित्र और ग्राफ का भी प्रयोग किया गया है।

भोपाल की झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की स्थिति-:

झुग्गी बस्तियों में अधिकतर रोजगार की तलाश में आए हुए ही रहते हैं जिनकी शिक्षा निम्नतम होती है और यह लोग समाज में कुछ ज्यादा अहमियत भी नहीं रखते हैं इनका जीवन स्तर भी अति निम्न स्तर का होता है। झुग्गी बस्तियां वे बस्तियां होती है, जहां हर तरफ गंदगी, मच्छर मक्खियों की भरमार, रोशनदान का अभाव, आस्वास्थ्यकर स्थिति में, एक साथ छोटे से घर में 5-7 लोग निवास करते हैं, घरों की स्थिति बहुत ही जर्जर होती है। कच्चे घरों में रहना बारिश के दिनों में बहुत ही मुश्किल होता है। और इन में जब शौचालय का अभाव हो तब तो और भी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः निम्न तालिका में जोन अनुसार प्रतिदर्श परिवारों के पास अलग से शौचालय की व्यवस्था है या नहीं। इसका अध्ययन किया गया है।

जोन अनुसार प्रतिदर्श परिवार में शौचालय व्यवस्था का विवरण

जोन नम्बर	शौचालय व्यवस्था				कुल योग
	हाँ		नहीं		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	37	90.2	4	9.8	41
2	17	56.7	13	43.3	30
3	11	40.7	16	59.3	27
4	9	69.2	4	30.8	13
5	23	74.2	8	25.8	31
कुल योग	97	68.3	45	31.7	142(100%)
स्रोत व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित :2022					

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के पास अलग से शौचालय की व्यवस्था है। जिनका कुल जनसंख्या का 68.3% है। जबकि जोन नंबर 1 में सर्वाधिक 90.2% के पास शौचालय की व्यवस्था है और ,सबसे कम मात्र 40.7% जोन नंबर में 3है।

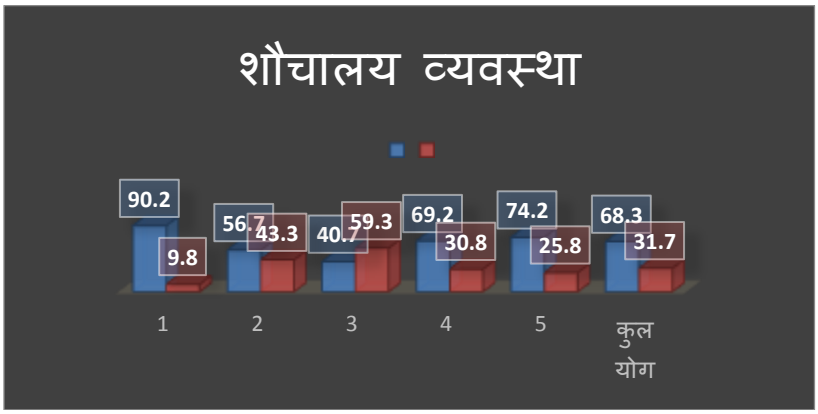

शौचालय की व्यवस्था नहीं में जिनका कुल जनसंख्या का 31.7% है। जोन नंबर में सर् 3वाधिक 59.3% है, जबकि सबसे कम मात्र 9.8% जोन नंबर 1 में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते है की जिस प्रकार से रोग का मुख्य कारण साफ सफाई का अभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई का बिलकुल भी ध्यान न रखे तो वह ज्यादा समय तक रोग से दूर नही रह पाएगा।

नैरोबी की मलिन बस्ती में 75परिवार एक शौचालय साझा करते हैं, केवल 15% घरों में निजी शौचालय की सुविधा है, और एक सार्वजनिक शौचालय की औसत दूरी मीटर से 52 83 अधिक है। निजी शौचालय के बिना प्रतिशत परिवार खराब स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं।) Corburn and Hildebrand, 2015(

शौचालय का प्रकार -:शौचालय कई प्रकार के होते है जैसे -: घर के अंदर ड्राई पिट ,सेप्टिक टैंक)(गड्ढे वाला) और अन्य(, घर के बाहर)सामुदायिक ,सुलभ और (खुले में शौच के स्थान)रेलवे लाइन के किनारे ,सड़क के किनारे , नदी,नाले,तालाब के किनारे और खुले मैदान मेंशौचालय (उपलब्ध है।

शौचालय का प्रकार			
I घर के अंदर	1 सेप्टिक टैंक	2.Dry pit सुखा (गड्ढे वाला)	3. अन्य
II घर के बाहर	1 सामुदायिक शौचालय	2. सुलभ शौचालय	3. अन्य
III खुले में शौच के स्थान	1.रेलवे लाइन के किनारे	2. सड़क के किनारे	3. नदी,नाले,तालाब के किनारे 4.खुले मैदान में

शौचालय घर के बाहर में सामुदायिक और सुलभ का उपयोग भी किया जा रहा है। भोपाल नगर के झुग्गी वासी अधिकतर बहुत ही निम्न आय वाले है और सभी को 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत पेसे नही मिल पाए अतः इसलिए सभी के घरों में शौचालय की व्यवस्था नही हो पाई है। जिस कारण से लोग सुलभ या सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते है। कंपाला की तीन मलिन बस्तियों में एक क्रॉससेक्शनल अध्ययन किया- गया। घरेलू उत्तरदाताओं से आंकडें एकत्र किए गए जो मुख्य रूप से साझा शौचालयों का उपयोग कर रहे थे। जिनमें साफ सफाई का अभाव पाया गया अतः झुग्गीवासी बिमारियों के शिकार हुए है।)Tumwebaze and Mosler, 2014(

भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2 अक्तूबर 2014 से लेकर अब तक देश में लगभग **10,07,62,869** (10 करोड़ से ज़्यादाटॉयलेट बनाये गए (है। जिसके आधार पर भारत को 100 प्रतिशत 'ओडीएफ़' घोषित किया गया है। ओडीएफ़ यानी एक ऐसा देश जहाँ हर घर में शौचालय हैं और लोग खुले में शौच नहीं कर रहे है। झुग्गी बस्तियों में देखा गया है कि शौचालय की व्यवस्था या तो है ही नही या है तो बहुत ही खराब हैजिन झुग्गी , वासियों के यहाँ शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है।

जोन अनुसार प्रतिदर्श परिवार के शौचालय स्थिति का विवरण

जोन नंबर	घर के अंदर		घर के बाहर		खुले में		कुल योग
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	35	85.4	6	14.6	0	0.0	41
2	17	56.7	13	43.3	0	0.0	30
3	11	40.7	10	37	6	22.3	27
4	9	69.2	2	15.4	2	15.4	13

5	23	74.2	8	25.8	0	0.0	31
कुल योग	95	66.9	39	27.4	8	5.7	142(100%)
स्रोत व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित :2022							

उक्त तालिका में जोन अनुसार प्रतिदर्श परिवार के शौचालय में घर के अंदर ,घर के बाहर और खुले में की स्थिति का विवरण दर्शाया गया है। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के पास शौचालय की घर के अंदर जिनकी संख्या 95है, शौचालय की घर के बाहर की संख्या है और खुले में 39शौचालय की संख्या मात्र ही 8है।

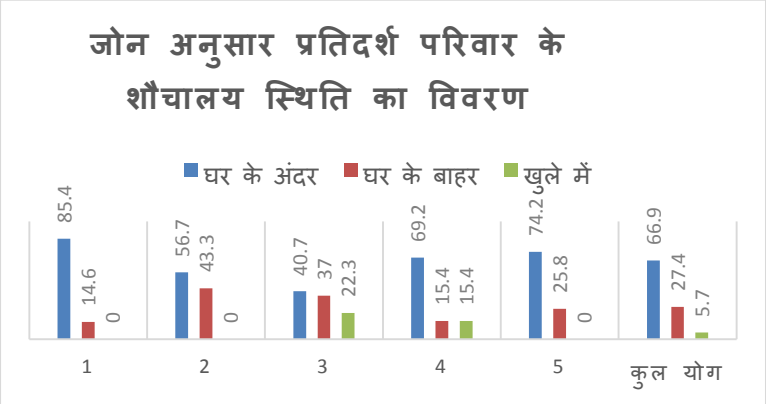

जिनका कुल जनसंख्या में शौचालय घर के अंदर , का 66.9% है ,शौचालय की घर के बाहर का 27.4है % और खुले मेंशौचालय का 5.7 %है। जोन नंबर 1 में सर्वाधिक 85.4% के पास शौचालय घर के अंदर है और , सबसे कम मात्र 40.7% जोन नंबर में 3है। खुले में शौच पूर्णतः समाप्त या मुक्त देश घोषित हो चुका हैपरन्तु आज , भी सच कुछ और ही सामने नज़र आ रहा है। अभी भी उक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा हैमें 4 और 3 कि जोन नम्बर , क्रमशः22.3 एवं 15.4 प्रतिशत उत्तरदाता खुले में ही शौच क्रिया करते हैजोकि बहुत ही बुरा , है।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। कोई भी समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है।

प्लेटो -: "यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है, तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ाकर चलता है। "

शिक्षा के अनुसार प्रतिदर्श परिवारों में घर के अन्दर शौचालय का विवरण					
शिक्षा					
शिक्षित		अशिक्षित		कुल योग	
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
72	75.7	23	24.3	95	100
स्रोत व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित :2022					

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकतर शौचालय घर के अन्दर उन्ही उत्तरदाताओ के यहाँ उपलब्ध है। जोकि शिक्षित है यह बात बिलकुल सच है की मानव के जीवन स्तर को अच्छा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही है। जो मनुष्य शिक्षित हो जाता हैवह अपने लिए और , अपने परिवार के लिए समस्त सुख सुविधाएँ उपलब्ध करने की हर संभव कोशिश में लगा रहताहै। हालाँकि ऐसा नही है कि जो शिक्षित नही वे कोशिश नहीं करते वे भी करते है , परन्तु उनका प्रतिशत कम देखा गयाहै।

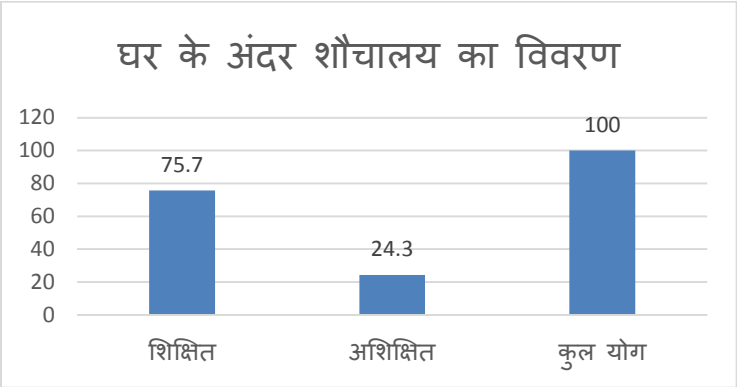

75.प्रतिशत वे उत्तरदाता है जो शिक्षित है और जिनके घर 7 24 में अन्दर शौचालय की व्यवस्था है और मात्र.प्रति 3शत वे लोग भी है जो अशिक्षित है परन्तु उनके घर में भी अन्दर ही शौचालय सुविधा उपलब्ध है।

निष्कर्ष एवं सुझाव -:

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं की भोपाल नगर की झुग्गी बस्तियाँ शौचालय की स्थिति की उचित व्यवस्था नहीं है। भोपाल की झुग्गी बस्तियों में जिस प्रकार से शिक्षा में अंतर है उसी प्रकार से अलग से शौचालय की व्यवस्था और शौचालय के प्रकारों में भी अंतर देखने को मिला है मात्र 68.3 उत्तर दाताओं के पास ही अलग से %शौचालय की व्यवस्था है जबकि 31.7 उत्तर दाताओं की यहां %शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है

झुग्गी बस्तियों में 'स्वच्छ भारत मिशन' योजना के तहत कई उत्तर दाताओं के पास शौचालय की व्यवस्था देखने को मिली हैं कुल 142 उत्तर दाताओं में से सर्वाधिक 78 के द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है अतः अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिक्षा स्तर का शौचालय की स्थिति और शौचालय के प्रकार में घनिष्ठ संबंध हैं। शिक्षित लोग घर के अंदर शौचालय का उपयोग अधिक कर रहे हैं जबकि अशिक्षित लोग बहुत ही कम घर के अंदर शौचालय का उपयोग रहे हैं। भोपाल नगर की बढ़ती झुग्गी बस्तियां जागरूकता की कमी, अज्ञानता, शिक्षा से वंचित और समाज से दूरी के कारण यह कई सारी योजनाओं से लाभ ही नहीं ले पाते हैं। इनके निदान के लिए सरकार को इन्हें शिक्षित करके, इनके आवास की व्यवस्था में सुधार करके इन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कुछ दृढ कदम उठाने चाहिए। इन्हें कुछ मूलभूत सुविधाएँ भी मुफ्त में या कुछ रियायत के दाम में ही प्रदान की जानी चाहिए।

देश में आज भी झुग्गी बस्तियों में ऐसे लोग रहते है जो सच में किसी नरक से कम नही है। वहां रहना तो दूर वहां से गुजरना भी बहुत ही मुश्किल कार्य जैसा प्रतीत होता है। जिन झुग्गी बस्तियों में साफ सफाई की अति आवश्यकता है और इन लोगों खुद सफाई के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1) Corburn, J. and Hildebrand, C., 2015. Slum sanitation and the social determinants of women's health in Nairobi, Kenya. Journal of environmental and public health, 2015.
2) Tomlinson, R., 2015. Scalable community-led slum upgrading: The Indian Alliance and community toilet blocks in Pune and Mumbai. Habitat International, 50, pp.160-168.
3) Tumwebaze, I.K. and Mosler, H.J., 2014. Shared toilet users' collective cleaning and determinant factors in Kampala slums, Uganda. BMC public health, 14, pp.1-10.
4) गंदी बस्तियों की समस्याएं, दुबे संजय 2007, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली
5) डॉ एसमौर्य .डी ., अधिवास भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
6) डॉ विजय कुमार वर्मा, भारत में मलिन बस्तियों के दुष्प्रभावों का भौगोलिक अध्ययन जनरल ऑफ 2014 एडवांस एंड स्कॉलरलीइरिसर्चस इन एलाइड एजुकेशन
7) डॉ सुरेश चंद्र बंसल, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी पब्लिकेशन, मेरठ
8) भारत में गंदी बस्तियां एवं विकास श्रीवास्तव नीरज 1994, जीवन पब्लिकेशन, आगरा
9) भारतीय जनगणना 2011

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.4 No.22 May-June 2023

भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंध

Dr. Sanjay Mishra[1], Pradeep Tripathi[2]
[1]Associate Professor, Department of Political Science, MMH College, Ghaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut
[2]Research Scholar, Department of Political Science, MMH College, Ghaziabad Chaudhary Charan Singh University, Meerut
Corresponding Author- Dr. Sanjay Mishra
Email: sanjaymishrammh@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8167933

Abstract

भारत-रूस संबंध की शुरुआत 20वीं सदी से हुई, जिसमें शुरु में रिश्ते तनावग्रस्त रहे लेकिन बाद में संबंधों में सुधार आया और भारत-रूस घनिष्ठ मित्र बन गये, जिसमें लोगों के बीच संवाद स्थापित हुआ। दोनों देशों में विचारधारा अलग है, शासन व्यवस्था भी अलग है फिर भी भारत-रूस अच्छे मित्र हैं। विश्व के महत्त्वपूर्ण संगठनों में साथ-साथ काम करते हैं। भारत को रूस के समर्थन व सहयोग की आवश्यकता है।

Keyword - भारत, रूस, आर्थिक, रणनीतिक।

भूमिका

आजादी के बाद से 20वीं सदी तक भारत की विदेशी नीति का एक महत्त्वपूर्ण धुरी सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों में रहे हैं।

भू-राजनैतिक दृष्टि से देखें तो रूस एक महत्त्वपूर्ण देश है। इसका भौगोलिक विस्तार दुनिया के दूसरे देशों से व्यापक है। यह धरती के छठे हिस्से में फैला है। इसकी सीमा प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से और जापान तथा चीन की सरहदों को छूती है। इसका पश्चिम सीमा यूरोप में फिनलैंड, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया तक पहुँचता है। उत्तर में ध्रुवीय अर्कटिक प्रदेश से लेकर दक्षिण में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इसका फैलाव है। ईरान तथा मध्य एशिया का बड़ा भाग रूस से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता है। 14वीं शताब्दी से रूसी साम्राज्य की स्थापना के बाद से हमेशा रूस का शुमार यूरोप की बड़ी ताकतों में किया जाता रहा है। रूस सिर्फ यूरोपीय नहीं बल्कि एक यूरेशियाई ताकत भी है। उसकी सांस्कृतिक पहचान यूरोपीय भी है और एशियाई भी।

भारत-रूस के बीच संबंधों की शुरुआत 20वीं सदी से ही प्रारंभ होना शुरु हुआ। 1927 में आयोजित लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें पंडित नेहरु ने वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की पहल पर हमें भाग लिया था इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। नेहरु ने 1936 में सोवियत संघ का दौरा किया था वह साम्यवादी नियोजन से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने केन्द्रीय नियंत्रण वाले आर्थिक नियोजन प्रणाली को उन्होंने कांग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया।

आजादी के बाद भारत-सोवियत संघ के संबंध अप्रत्याशित रूप से शुष्क और तनावग्रस्त रहे। इसका कारण यह था कि नेहरु वास्तव में पश्चिमी पूंजीवादी ताकतों के पिछलग्गू थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरु ने अंग्रेजों के नेतृत्व वाले राष्ट्रमंडल में रहना स्वीकार किया और विदेशी व्यापार के लिए पाउंड स्टरलिंग वाली मुद्रा को अपनाया था।

भारत जब आजाद हुआ था उस समय विश्व में दो गुट बने थे एक अमेरिका तो दूसरी ओर सोवियत संघ का। भारत गुटनिरपेक्ष देश। क्योंकि भारत ने तय किया था कि वह अपने विकास पर ध्यान देगा, जिसके लिए उसे अमेरिका और रूस दोनों की सहायता चाहिए थी। रूस गुटनिरपेक्ष और तीसरी दुनिया के देशों को शंका की नजर से देखता था।

सोवियत संघ में सबसे पहले राजदूत के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन् को भारत ने भेजा था जिसके बाद अपनी बहन को इस पद पर नियुक्त किया गया। यह दोनों राजनयिक भारत-सोवियत संघ के संबंधों की जड़ता को तोड़ सके और न ही अंतर्विरोधों का कोई समाधान सुझा सके।

सोवियत संघ में बदलाव और भारत-सोवियत संबंधों में सुधार

भारत-सोवियत संघ के बीच संबंधों में स्टालिन की मृत्यु के बाद आना शुरु हुआ। ख्रुश्चैव ने सत्ता सम्भाली और सोवियत साम्यवादी पार्टी के 20वीं क्रांति के बाद अत्याचारी स्टालिन कालीन तानाशाही के कई कार्याध्यायों से पर्दा उठाया। रूसी ख्रुश्चैव ने यह फैसला राष्ट्रहित में किया कि भारत के साथ संबंधों में सुधार अति आवश्यक है। अपने प्रधानमंत्री गुलगानी के साथ ख्रुश्चैव भारत के दौरे पर आये तो उनका भव्य स्वागत और गर्मजोशी के साथ किया। इस दौरे के बाद ख्रुश्चैव को यह लगने लगा कि भारत भले ही गुटनिरपेक्ष देश है। परंतु विदेशनीति स्वाधीन है और पूर्व

और पश्चिम के बीच शीत युद्ध में उसकी भूमिका भेदभाव रहित और राष्ट्रहित के अनुसार है। भारत उस समय पश्चिमी देशों से काफी भिन्न हो चुका था। अपने औद्योगिक विकास के लिए जो तकनीकी और आर्थिक सहायता चाहता था जिसे ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी से चाहता था नहीं सहयोग मिला। ब्रिटेन भारत को राजनैतिक क्षेत्र में अभी भी बनाये रखना चाहता था। मनमानी शर्तों पर मुंहमांगे दामों पर ही वह भारत को उसकी इच्छानुसार अपने सामरिक प्राथमिकता के अनुसार ही संयंत्र या टेक्नोलॉजी देने को राजी था।

सोवियत नेताओं को एक अवसर मिला था अगर वह इस शून्य की पूर्ति कर सकें तो भारत को कृतज्ञ बना सकेंगे। ख्रुश्चैव ने बड़े पैमाने पर सभी वंचित क्षेत्रों में रियायती शर्तों पर बिना विदेशी मुद्रा का तकाजा किये सहयोग देने की घोषणा कर दी।

भिलाई का इस्पात संयंत्र, सिन्दरी का रासायनिक उर्वरक कारखाना, ऋषिकेश की प्राणरक्षक एंटी बायोटिक औषधि निर्माण इकाई,भारत-सोवियत सरकार के कारण कारगर हो सकी। इसके अलावा भी तेल, शोध, वायुयान निर्माण आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ता गया। अंतरिक्ष अनुसंधान में एटमी ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में भारत की गहरी रुचि रही थी। इन दोनों क्षेत्रों में सोवियत संघ ने अपनी सहायता का दायरा बनाया।

पाकिस्तान द्वारा जब बल प्रयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उसे इस समर्थन के वैधानिकता का जामा पहनाने की कुचेष्टा की है। इस संदर्भ में भी सोवियत संघ द्वारा भारत को राजनैतिक समर्थन बेहद महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ था।

अपनी यात्रा के दौरान ख्रुश्चैव ने दो टूक शब्दों में जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग माना है। भारत से लौटने के बाद भी सोवियत संघ ने अपनी कथनी और करनी में अन्तर नहीं आने दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में उसने हमेशा वीटो पावर का प्रयोग किया।

नेहरु की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी ख्रुश्चैव के पदमुक्त होने के बाद भी इन संबंधों में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा।

1962 में भारत-चीन युद्ध के समय सोवियत संघ स्वयं क्यूबा संकट में लिप्त था फिर भी उसने भारत को समर्थन दिया, जिसके बाद कई वर्षों तक भारत ने सोवियत संघ से बड़े पैमाने पर सैनिक साजो-सामान प्राप्त किया था। पश्चिमी देशों की तरह सोवियत संघ ने लड़ाकू या बम, विमान-टैंक और तापें, युद्धपोत और पनडुब्बियों का सौदा भर नहीं किया था उसने भारत के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें क्रमशः भारत के निर्माण के लिए वचनबद्ध था क्योंकि इससे भारत के औद्योगिक-तकनीकी क्षमता का कायाकल्प संभव हुआ था। बड़े पैमाने पर भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने एक-दूसरे देशों की यात्रा की और परिष्कृत टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के दौर में विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया।

भाषा की खाई को कुशल द्विभाषियों ने पार्टी और दोनों देशों को एक-दूसरे को समझने का मौका मिला। इंडियन रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो), हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (बी.एच.एल.) जैसी सार्वजनिक कंपनियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय भी सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। युद्ध के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता भी कराया। दुर्भाग्यवश ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी का देहांत हो गया। 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण उसूरी नदी के तट पर एक रक्तरंजित विस्फोट के रूप में हुआ। इस घटना के बाद से सोवियत विदेश नीति निर्धारकों के लिए भारत का सामरिक महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। चीन के बढ़ते प्रभाव को अफ्रीका और एशिया संतुलित करने के लिए भारत के साथ मैत्री बेहद निर्णायक सिद्ध हो सकती थी। न केवल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में बल्कि तमाम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और सोवियत संघ के बीच सहकार की नई शाखाएँ फलती-फूलती रही।

भारत और रूस के बीच उस तरह की सांस्कृतिक आदान-प्रदान कभी नहीं देखने को मिला जैसा चीन और अरब इस्लामी दुनिया के बीच देखने को मिलता है। 'परदेशी' नामक फिल्म, जिसका निर्माण भारत और सोवियत संघ ने मिलकर किया था। इतिहासकार निकितिन के यात्रावृत्तांत को महत्त्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पेश करते हैं।भारत के लेखक, कलाकारों ने भी भारत-रूस संबंधों में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक और साहित्य कलात्मक संबंधों को बढ़ाने में गैर-सरकारी संगठनों इंडो-सोवियत कल्चरल सोसाइटी और फ्रेंड्स ऑफ सोवियत यूनियन जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। सोवियत सरकार ने बड़े स्तर पर रूसी से हिन्दी, अंग्रेजी और कुछ अन्य भाषाओं के अनुवाद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्षों तक चलाया।

भारत में रूसी भाषा के प्रशिक्षण के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ बनाई गईं और 1960 के दशक के आरंभ में एक एशियन इंस्टिट्यूट की स्थापना जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में की गई। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय सोवियत ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का। इसी समय भारत-सोवियत संघ के बीच एक मैत्री संधि हुई। इस संधि के अनुसार किसी भी एक देश पर आक्रमण होने पर संधि मित्र अपने ऊपर आक्रमण समझेगा। 1971 के बाद से भारत-सोवियत संघ के संबंध और भी मजबूत हो गये।

1990 के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरी दुनिया में परिवर्तन देखने को मिला। विश्व की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। सोवियत संघ की जगह रूस ने ली, जिसको अब पश्चिमी देशों से उम्मीद थी कि वह उसको

सहयोग करे। भारत-रूस संबंधों में भी दिक्कत आनी शुरु हुई। भारत अपने रक्षा उपकरण रूस से भारी मात्रा में लेता था जो अब समय पर नहीं मिल पा रहे हैं और रुपया-रुबल विनिमय की समस्या आ गई। विघटन के बाद विश्व में भी एक ही महाशक्ति रह गई थी। रूस ने भी पश्चिमी देशों से अपने संबंध सुधारने शुरु किये।

2000 में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आये। अपने संबंधों को फिर पहले जैसा बनाने के लिए भारत-रूस के बीच रणनीतिक पार्टनर के रूप में समझौता किया गया। यह भी तय किया गया कि साल में एक बार वार्षिक बैठक का भी आयोजन किया जायेगा। इसके बाद संबंधों में जो शिथिलता आ गई थी फिर से गर्मजोशी देखने को मिली। रूस के ध्रुव पूर्वी प्रदेश साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान जैसे प्रांत में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यह रूस के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाने का स्रोत भी है और इसकी सामरिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं।

सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वयं रूस की क्षमता तेल इस दुर्गम क्षेत्र में तैल गैस शोध और उसके परिष्कार की बहुत सीमित बची थी। रूस के सामने इस बारे में जयादा विकल्प नहीं थे। उसे बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों को उनकी शर्तों पर इस काम को ठेके पर देना पड़ता या फिर भारत जैसे अच्छे मित्र से समर्थन की पेशकश करनी होती। इसमें भारतीय सार्वजनिक उद्योग ओ.एन.जी.सी. विदेश में इन वर्षों में बड़े पैमाने पर शाखालीन नामक एक तेल भंडार वाले क्षेत्र में एक अरब डॉलर से ज्यादा धनराशि का निवेश किया। इस क्षेत्र में तेल उत्पादन भारत-रूस दोनों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

जिस वक्त रूस राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल के जटिल दौर से गुजर रहा था उसके साथ व्यापार करने वाले को यह महसूस हो रहा था कि यहाँ पूँजी निवेश निरापद नहीं है। कई उद्यमियों को लगता था कि रूस में कोई कानून का राज नहीं है। इन्हीं दिनों भारतीय कंपनियों और बैंकों ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। रनबैक्सी जैसी औषधि निर्माण कंपनियाँ तो पहल से ही सोवियत संघ में काम कर रही थी पर अब डॉ. रेड्डी, इन्फोसिस और आई.सी.आई.सी. बैंक ने यह फैसला किया कि बिना जोखिम उठाये लाभ की आशा व्यर्थ है। इस श्रेणी में सिर्फ बड़ी कंपनियाँ ही नहीं निजी उद्यमी भी सक्रिय रहे। पुतिन के सत्ता में आने से भारत-रूस संबंधों में तेजी देखने को मिली।

एटमी ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के मामले में भी रूस-भारत सहयोग तेजी से बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु में कुन्डाकुलन नामक स्थान पर दस हजार मेगावॉट क्षमता वाले संयंत्र का काम चालू है। भारत-रूस की घनिष्ठता को कम करने के प्रयत्न निरंतर जारी हैं। कभी शंघाई संगठन के नाम पर तो कभी ब्राजील, रूस, भारत-चीन (ब्रिक) वाले मंच को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।

निष्कर्ष

भारत-रूस संबंधों का इतिहास शुरुआत में थोड़ा तनावपूर्ण रहा था लेकिन धीरे-धीरे दोनों देशों में सुधार आया और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गये, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा है। भारत-रूस संबंधों में अपार सम्भावनाएँ देखने को मिलती हैं। भविष्य में और नये क्षेत्रों में भी सहयोग होगा और आपसी सहयोग के साथ विश्व के विभिन्न मंचों के माध्यम से दोनों देश अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

References

1. Bhatia, Rajiv K., et.al. (2014). India and Russia Deepening the Strategic Partnership. New Delhi: Shipra Publications.
2. Chopra, V.D. (2001). Indo-Russian Relations: Prospects Problems and Russia Today. Gyan Publishing House.
3. Chopra, V.D. (Ed). (2003). New Trends in Indo-Russian Relations. Gyan Publishing House.
4. Deshpande, Sanjay, Yatanoor, Chandrakant. (2019). Re-Emerging India-Russian Relations in The New World Order. New Delhi: G.B. Books.
5. Gupta, Surendera Kumar. (2011). Russia and India New Realities, New Equation. 43-48.
6. Kapoor, N. (2019). India-Russia Relations: Beyond Energy and Defence. Observer Research Foundation.
7. Kapoor, N. (2019). India-Russia ties in a changing world order. In pursuit of a special strategic partnership. ORF Occasional Paper, 2018, 1-33.
8. Kundu, Nivedita Das. (2010). India-Russia Strategic. New Delhi: Academic Foundation.
9. Mishra, Rajana. (2011). India and Russia: Importance of Strategic Synergy. January: World Focus. 7-10.
10. Pandey, S.K. & Yadav, A. (2016). Contextualizing India-Russia Relations. International Studies, 53(3-4), 227-257.
11. Pant, Pushpesh. (2018). India's Foreign Policy. Chennai McGraw Hill Education Private Limited.
12. Singh, Amitabh. (2020). India-Russia Relations. Yojana, October, 48-51.
13. Unnikrishnan, N. (2017). The enduring relevance of India-Russia Relations. ORF Issue Brief, 179(1), 109-112.
14. Usha, K.B. (2018). India-Russia Relations in the Emerging World order. India's Bilateral Relations and Foreign Policy. New Century Publications.

Chief Editor
P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde	Dr. M. B. Potdar	Dr. P. K. Pandey
Dr. L. R. Rathod	Mr. V. P. Dhulap	Dr. A. G. Koppad
Dr. S. B. Abhang	Dr. S. P. Mali	Dr. G. B. Kalyanshetti
Dr. M. H. Lohgaonkar	Dr. R. D. Bodare	Dr. D. T. Bornare